राजस्थान विधान सभा

७७वीं बैठक, बुधवार, दिनांक २२ सितम्बर, सन् १९५४ ई०

विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर, में ८–५ (मध्यान्ह पूर्व) पर प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न,. श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १८८२

राजस्थान के सिंचाई विभाग में एस० डी० ओज० विशेषतया किशनगढ़ में

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में सिंचाई विभाग में एस० डी० ओज़० की संख्या कितनी है ?

(ख) उक्त एस० डी० ओज़० में से किस २ के चार्ज में कितने तालाब और कितनी २ भूमि सिंचाई की है ?

(ग) किशनगढ़ सब डिविजन के कितने २ तालाब और कितनी २ सिंचाई की भूमि किस २ एस० डी० ओ० के मातहत रखी गई है ?

(घ) पुराने किशनगढ़ राज्य के तालाबों के लिये अलग एस० डी० ओ० नहीं रखने के क्या कारण हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—(क) राजस्थान सिंचाई विभाग में ऐसे एस० डी० ओ० की संख्या जिनके पास तालाब या नहर की सिंचाई है २४ है। इसमें भाखड़ा, चम्बल या नये कामों पर जो एस० डी० ओ० हैं वे शामिल नहीं हैं।

(ख) उक्त एस० डी० ओ० के चार्ज में तालाब व सिंचाई की भूमि निम्नलिखित है :

Page No.2

[श्री टीकाराम पालीवाल]

क्र० सं०	नाम एस० डी० ओ०		संख्या तालाब	सिंचाई की भूमि एकड़ों में
१.	एस० डी० ओ०	जयपुर	१५८	३६,३७५
२.	,,	टोंक	१५६	६२,५००
३	,,	करोली	६१	३७,५००
४.	,,	पूर्व जयपुर	६०	५०,०००
५.	,,	बून्दी	१८३	८,५३०
६.	,,	बरां	२०८	३०,०००
७.	,,	झालावाड़	६६	१,५००
८.	,,	अलवर	१४६	इनका कोई रेकार्ड इस महकमे में नहीं है ।
९.	,,	भरतपुर	२८०	
१०.	,,	नीम का थाना	४४	
११.	,,	उदयपुर	२१६	
१२.	,,	चित्तौड़गढ़	२३२	
१३.	,,	बांसवाड़ा	११५	
१४.	,,	पाली	१५	७२,०५०
१५.	,,	सिरोही	१६	१६,३००
१६.	,,	जवाई केनाल नं० १	१	५५,०००
१७.	,,	राजसमन्द	१२६	इनका कोई रेकार्ड इस महकमे में नहीं है ।
१८.	,,	शाहपुरा	१४६	
१९.	,,	भीलवाड़ा	१००	
२०.	,,	शिवपुर	गंग नहर है	१,१४,४४४
२१.	,,	करनपुर	,,	२,१७,६२६
२२.	,,	पदमपुर	,,	१,५३,६५७
२३.	,,	रायसिंह नगर	,,	१,५४,६६४
२४.	,,	जैतसर	,,	१,१३,५२१

(ग) किशनगढ़ सब डिविजन के ७२ तालाब व १२,५०० एकड़ सिंचाई की भूमि एस० डी० ओ० जयपुर के और ३४ तालाब तथा १७,५०० एकड़ सिंचाई की भूमि एस० डी० ओ० टोंक के मातहत है ।

(घ) किशनगढ़ के तालाब छोटे हैं उनकी कुल संख्या १०६ है और उतना काम व सिंचाई नहीं है कि एक अलग एस० डी० ओ० रखा जावे ।

Page No.3

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि किशनगढ़ सब डिविजन में एस० डी० ओ० का हैडक्वार्टर नहीं रखने से वहां की जनता को असुविधा हो रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—वहां की जनता को असुविधा हो सकती है या जहां जहां एस० डी० ओ० नहीं होंगे, वहां के आस पास के किसानों को भी असुविधा हो सकती है, किन्तु सब जगह तो एस० डी० ओ० नहीं रखे जा सकते हैं। किशनगढ़ में १०६ तालाब हैं और वह छोटे २ तालाब हैं, वहां सिंचाई की भूमि भी कम है और सिंचाई की रेटें भी कम हैं। अतः इन सारी चीजों को देखते हुये अलग से एस० डी० ओ० वहां नहीं रखा गया है।

एक और निवेदन कर दूं कि किशनगढ़ के बारे में ही यदि प्रश्न करना था तो वह प्रश्न हो जाता किन्तु स्वीपिंग वे में प्रश्न करना कि सारे राजस्थान में कितने एस० डी० ओ० हैं, कितने तालाब हैं आदि सारे आंकड़ों को इकट्ठा करने की बात आती है। जो खास बात थी वह ही पूछ ली जाय तो आसान होगा।

श्री चांदमल मेहता—सारी बातें इसलिये पूछी गई हैं कि तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जा सके। किशनगढ़ सब डिविजन में एस० डी० ओ० का हैडक्वार्टर रखने के बारे में सरकार ने किसी प्रकार का एक मर्तबा आश्वासन दिया था।

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरे नोटिस में ऐसी कोई चीज नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि टोंक के एस० डी० ओ० के पास बहुत ज्यादा काम है, इससे सरवाड़ की जनता को तो बड़ी कठिनाइयां हैं ही पर इससे सरकार की ओर से तालाबों का सुपरवीजन भी ठीक से नहीं हो रहा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सुपर्विज़न हो रहा है।

मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह—क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट बारां में भी एस० डी० ओ० रहता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने जो लिस्ट आपके सामने रखी है उसमें बारां का भी नाम है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय जयपुर के एस० डी० ओ० का हैडक्वार्टर किशनगढ़ कर के सरवाड़ के तालाब जो कि टोंक के एस० डी० ओ० के नीचे हैं उनको जयपुर के एस० डी० ओ० के नीचे करने का विचार करेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं अभी कोई ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता।

मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह—बारां के एस० डी० ओ० के नीचे कितने तालाब हैं और उनसे कितनी भूमि की सिंचाई होती है इसका उत्तर नहीं मिला है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—२०८ तालाब हैं और तीस हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होती है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि एस० डी० ओ० ठीक सुपरवीजन न होने की वजह से पिछले वर्ष जो तालाबों के लिए रुपया खर्च किया गया था उसमें बहुत बड़ी तादाद में रुपया बरबाद हुआ है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय को यह ज्ञात है कि एक मर्तबा सिंचाई विभाग को इस प्रकार की सूचना देने के बाद माननीय मन्त्री महोदय की ओर से एक बार जवाब दिया जा चुका है कि इस सम्बन्ध में जांच नहीं की गई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—अगर ऐसा जवाब दिया गया है तो फिर ऐसा प्रश्न नहीं करना चाहिये था ।

मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह—जो आपने भूमि की सिंचाई बताई वह क्या तालाब से ही है या उसमें नहरों से खेती होना शामिल है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैं समझता हूँ कि तालाब से ही होगी ।

श्री घीसीसिंह—अलवर और धौलपुर के जो आंकड़े उपलब्ध नहीं हुये उसके क्या कारण हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हमारे यहां सवाल कई दफा इतने वाइड कर लिये जाते हैं कि उनके लिये सूचना एकत्र करना और वह भी थोड़े समय में कठिन हो जाता है । इसलिये मेरा यह मानना है कि सवाल उतने हो पूछे जायं जो बहुत जरूरी हों और उसमें हमें यह भी देखना चाहिये कि इसमें पब्लिक सरवेन्ट का कितना समय व्यतीत होता है । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये प्रश्न पूछे जाते हैं तो उचित प्रतीत होता है ।

श्री जगत सिंह—I hope the reply given by the Hon'ble Minister concerned is not justified.

श्री घीसीसिंह—क्या इस तरह से कर्मचारी अपनी चोरी छिपाना चाहते हैं ?

Page No.5

श्री टीकाराम पालीवाल—इसमें कोई चोरी का प्रश्न नहीं है।

प्रश्न संख्या १८८३

श्री अध्यक्ष—श्री महादेव प्रसाद।

(प्रश्नकर्ता अनुपस्थित)

कु० श्री जसवन्त सिंह—माननीय अध्यक्ष, यह सवाल जरा पार्के का है और कुछ विशेष महत्व रखता है इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य जिसने कि यह सवाल पूछा और जो कि अनुपस्थित है; फिर भी अगर माननीय मंत्री इसका जवाब देंगे तो यह बड़ी कर्टसी होगी।

श्री अध्यक्ष—Let us see.

(विश्राम)

श्री अध्यक्ष—श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपने प्रश्न पूछने के पहले यह निवेदन करूंगा कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे जब एक बार स्वीकार कर लिये जाते हैं तो उनके स्वीकार होने के बाद उनके अधिकृत होने के बाद उन पर रिमार्क जो कसा जाता है उसके लिये मुझे आपत्ति है। क्या इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष, किसी प्रकार का रूलिंग देना पसन्द करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—आप क्या सवाल पूछना नहीं चाहते ?

श्री चांदमल मेहता—मैंने जो कुछ निवेदन किया क्या उसके सम्बन्ध में आपकी तरफ से कोई आदेश होगा ?

श्री अध्यक्ष—I don't think there is any point for giving a ruling.

श्री चांदमल मेहता—जिस तरह का माननीय मंत्री महोदय ने रिमार्क कसा उसमें वास्तविकता क्या है, यह तो मैं तब बताऊंगा जब कि इस सम्बन्ध में कोई वाद-विवाद का मौका आयेगा। क्या जिस प्रकार का रिमार्क माननीय मंत्री ने कसा है क्या वह वाजिब है, इस सम्बन्ध में मैं आपका रूलिंग चाहता हूँ ?

श्री जवानसिंह—माननीय अध्यक्ष, यह सही है कि इस प्रकार का आक्षेप किसी भी माननीय सदस्य के लिये नहीं होना चाहिये। हरेक माननीय सदस्य अपनी कोन्स्टीट्यूएन्सी का ख्याल रखते हुए प्रश्न पूछता है। यह माननीय अध्यक्ष को अधिकार है कि वे उस चीज के महत्व को या उसकी एडमिसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए उसको सदन में पूछने की अनुमति दें या न दें। किन्तु सवाल यह रह जाता है कि जब इस प्रकार के सवाल रखने की अनुमति माननीय अध्यक्ष द्वारा दी जा चुकी है उसके बाद जब माननीय मंत्री का जवाब देने का समय आता है तो वे उसको टालते हुए यह कहते हैं कि यह वेग और वाइड क्वेश्चन हैं, वे नहीं पूछे जाने चाहिये, मेरे ख्याल में यह कहना सदन की प्रतिष्ठा के खिलाफ है। मैं चाहता हूं कि इस बारे में माननीय अध्यक्ष का स्पष्ट रूलिंग हो जाना चाहिये ताकि आयन्दा इस प्रकार की परिस्थिति हो पैदा न हो।

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय मंत्री जरा विलम्ब से आये हैं इसलिये वे इस स्थिति में नहीं थे कि उसका जवाब दिया जा सके।

श्री अध्यक्ष—The Member has got a dissatisfaction with the observation that the Hon'ble Member from the Treasury Benches has made.

श्री टीकाराम पालीवाल—माननीय अध्यक्ष, मेरे जवाब से या मेरे कुछ कहने से किसी माननीय सदस्य की भावना को ठेस पहुची हो तो उसके लिये मुझे अफसोस है। किन्तु मेरा यह जरूर फीलिंग है कि बहुत बार क्वेश्चन्स बहुत वाइड कर लिये जाते हैं। इस प्रश्न में सिर्फ बात केवल इतनी ही थी कि किशनगढ़ में एस. डी. ओ. क्यों नहीं रखा जाता। उसके लिये क्वेश्चन किया जाता है कि राजस्थान में एस. डी. ओज़ की संख्या कितनी है और उनमें से किस किस के चार्ज में कितने कितने तालाब हैं और कितनी कितनी भूमि सिचाई की है। आप अन्दाज लगाइये कि हर एक एस. डी. ओ. के पास कितनी भूमि है, इस प्रकार की सूचना एकत्र करने में कितने समय की बरबादी होती है। इसी तरह का एक क्वश्चन मेरे पास और आया है कि किशनगढ़ सब डिवीजन में किस किस तालाब पर कितनी कितनी मिट्टी डलाई गई है, उसमें से किस किस तालाब के बाहर से और किस किस रेट पर मिट्टी डाली गई, इस प्रकार से इन्युमरेबल और वाइड क्वेश्चन्स किये जाते हैं। मैं नहीं समझ सकता कि इस प्रकार के क्वेश्चन्स को क्या समझा जाय। फिर भी मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन माननीय सदस्य को मेरे कहने से कुछ ठेस लगी हो तो उसके लिये मैं अफसोस जाहिर करता हूं।

श्री चांदमल मेहता—मेरे इस प्रकार प्रश्न पूछने का केवल मात्र यह आधार था कि मैं यह जान सकूं कि एस. डी. ओ. रखने का क्या आधार है?

श्री टीकाराम पालीवाल—तो आपको इतना ही पूछना चाहिये था कि एस. डी. ओ. के रखने का क्या आधार है, इस पर आपको जवाब मिल जाता।

Page No.7

श्री चांदमल मेहता—जहां तक इस चीज का सम्बन्ध है कि किस किन एस. डी. ओ. के नीचे कितनी कितनी भूमि है इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। किन्तु उसके ऊपर जो सप्लीमेंन्ट्री प्रश्न किया गया कि सरवाड़ प्रोपर के तालाबों पर सुपरवीजन न होने की वजह से जो नुकसान हुआ है उसके बारे में जवाब देते हुए माननीय मंत्री ने रिमार्क कसा है। क्योंकि वह एक ऐसा प्रश्न था जिसका पहले एक बार जवाब दिया जा चुका था, उस पर जो रिमार्क कसा गया उसको यदि माननीय अध्यक्ष, ठीक समझते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मेरा यह निवेदन है कि आयन्दा किसी भी सदस्य के लिये ऐसे रिमार्क न कसे जांय।

श्री टीकाराम पालीवाल—माननीय अध्यक्ष, यह बात नहीं है जब कि एक दूसरे सदस्य ने यह पूछा कि ये आंकड़े प्राप्त नहीं होने का क्या कारण है उसके जवाब में मैंने यह निवेदन किया था कि इनफॉरमेशन इतनी वाइड पूछ ली जाती है कि थोड़े समय में उसको कलेक्ट करना सम्भव नहीं होता। इससे क्या होता है कि ऑफिसर्स लोग सब काम को छोड़कर सवालों की इनफॉरमेशन कलेक्ट करने में लग जाते हैं। इसलिये मेरा ऐसा मानना है कि सवाल पूछते वक्त पब्लिक टाइम का भी ख्याल रखा जाना चाहिये। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि यह प्रश्न कितने महत्व का है इसके जवाब में कितना समय खर्च होगा। जब ऑफिसर्स इस प्रकार की इनफारमेशन के इकट्ठा करने में लग जाते हैं तो उनके काम के सुपरविजन में खामी रह जाती है। यदि सुपर्विजन में खामी रहती है तो वह पूछा जाता है कि सुपर्विजन में खामी क्यों रही।

श्री चांदमल मेहता—मैंने तो यह कहा था कि सरवाड़ के तालाबों की ठीक सुपरवीजन न होने से वहां रुपया बरबाद हुआ है।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने तो इतना ही निवेदन किया था कि इनफॉरमेशन वाइड पूछी जाती है, अतः उनको कलेक्ट करने में समय ज्यादा खर्च होता है।

श्री चांदमल मेहता—हम सुपर्वीजन भी चाहते हैं और प्रश्न का उत्तर भी। सुपर्विजन नहीं होने की वजह से ही तो सवाल पूछे जाते हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरा यह कहना है कि सवाल जो भी पूछे जांय वे टू दी पाइन्ट हों। सवाल यह था कि किशनगढ़ में एस. डी. ओ क्यों नहीं है, इस सवाल के पूछने के लिये आपने सारे राजस्थान के आंकड़े पूछ लिये। आपके केवल इतना सा पूछने पर कि किशनगढ़ में एस. डी. ओ क्यों नहीं है ? आपको उत्तर मिल जाता।

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, जब एक बार प्रश्न पूछने के लिये माननीय अध्यक्ष के पास भेजे जाते हैं और वे उनके द्वारा स्वीकृत होकर हाउस में आते हैं तो उसके बाद उन प्रश्नों के लिये यह कहना कि यह प्रश्न ठीक नहीं है, यह उचित प्रतीत नहीं होता। माननीय अध्यक्ष उन प्रश्नों को देखकर ही तो माननीय मंत्री के पास उन प्रश्नों को जवाब के लिये भेजते हैं तो ऐसी हालत में सरकारी बेन्चेज के लिये लाजमी हो जाता है कि उन प्रश्नों का उत्तर दें। प्रश्न वेग है या वाइड

[श्री भैंरोंसिंह]

है, शासन की दृष्टि से ठीक है या नहीं; यह निर्धारण करना माननीय मंत्री का काम नही, यह तो माननीय अध्यक्ष का काम है। जब माननीय अध्यक्ष ने किसी प्रश्न को स्वीकार कर लिया तो उस सूरत में माननीय मंत्री के लिये यह लाजमी हो जाता है कि वह उन प्रश्नों का उत्तर दें ! यदि माननीय मंत्री सदस्य के लिये कुछ कहने के बजाय माननीय अध्यक्ष से यह प्रार्थना करते कि इस प्रकार के प्रश्न नहीं एलाउ किये जांय तो ज्यादा ठीक रहता। माननीय अध्यक्ष, इस प्रकार की परिस्थिति हर सेशन में उपस्थित हो जाती है, इसलिये यह आवश्यक है कि आपका इस बारे में स्पष्ट रूलिंग हो जाना चाहिये कि आया एक दफा क्वेश्चन एडमिट हो जाने के बाद उसका जवाब दिया जाना लाजिमी है या नहीं ?

श्री टीकाराम पालीवाल– स्पेसिफिक क्वेश्चन था कि यह इन्फोर्मेशन क्यों नहीं दी गई ? इस पर सप्लीमेन्टरी क्वेश्चन का अधिकार है। एक ने पूछा भी। ये जो आंकड़ें हैं वे प्राप्त नहीं हुए। इस पर मैंने यह जवाब दिया कि इनके प्राप्त नहीं होने का कारण यह है कि प्रश्न इस सारे मसले के बारे में नहीं किया गया था, जितना जो प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया गया। That was not a remark on the supplementory question.

कु० श्री जसवन्तसिंह—माननीय अध्यक्षजी, इस सवाल का महत्व इसलिये बढ़ जाता है कि हम आइन्दा के लिए ऐसे मामलों में स्वस्थ परम्पराएं स्थापित करें। सवालों में सदस्य जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में यह अधिकार उनको है, इस पर अगर देर न हो और कुछ समय अधिकारियों का न लगे, अधिकारियों को इसमें कष्ट न उठाना पड़े, ऐसी बात नहीं हो सकती। वह प्रश्न आवश्यक हो या न हो, फिर भी यह उन अधिकारियों की ड्यूटी है कि वे सारी जानकारी दें। उन्हें इसके लिए तकलीफ भी अगर होगी तो उठानी पड़ेगी, समय भी लगाना पड़ेगा और अगर इसमें कुछ खर्चा करना पड़ेगा तो वह भी करना पड़ेगा, क्योंकि यह तो डेमोक्रेसी में हमारा हक है।

इसके आलावा यह पूछने का मकसद माननीय सदस्य का इतना ही है कि अगर उसका प्रश्न चाहे वह इनकम्पलीट हो, सुपरफ्लुअस हो, चाहे वह किसी काम का नहीं हो, उत्तर अवश्य दिया जाय, तो भी अगर उसका गवर्नमेन्ट की बैंचों द्वारा नम्रता के साथ और वगैर गरमी लाये जवाब दे दिया जावे तो माननीय सदस्यों को सन्तोष हो जाता है और इसमें किसी का कुछ बिगड़ता नहीं है और वातावरण भी इससे शान्त रहता है।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर प्रश्न किसी मतलब का न भी हो तब भी नम्रता के साथ, वगैर गरम हुए ठंडा जवाब सरकारी बैंचों से दे दिया जाया करे। व्यर्थ का समय नष्ट करने के लिए हम यहां नहीं आये हैं या सरकारी पक्ष को हैरान या परेशान करने के लिए नहीं आये हैं। इससे तो उनके शासन की खामियां ही उनके सामने आती हैं, जिसे वे सुधारने में हमारी मदद से फायदा उठा सकते हैं।

(कुछ सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—As if it has & become a matter of discussion,

श्री किशनलाल शाह—अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह आया है कि किशनगढ़ में एस. डी. ओ. का हैड क्वार्टर क्यों नहीं रक्खा गया ? इसके स्थान पर अगर उनसे यह पूछा जाता कि एस. डी. ओ. का आफिस रखने का सरकार का आधार क्या है, तो आधार के माने हैं डोटा और फिर इसका जवाब यह दिया जा सकता था कि यह आधार नहीं होने की वजह से ऐसा नहीं हुआ। यह इसका सीधा सा उत्तर होता। पर एक प्रश्न जब पूछा जाता है जो मोटी मिसाल का आधार होता है तो उसका उत्तर टालमटूल के इरादे से दे दिया जाता है और डिटेल में जा कर स्पष्ट उत्तर नहीं दिया जाता कि जिससे पूछने वाले सदस्य को सन्तोष हो जाय। इसका सदस्यों को बड़ा कष्ट अनुभव है और इसी कारण उन्हें इन प्रश्नों के द्वारा इस उसूल को, उस आधार को उनसे कहलवा लेने के लिए डिटेल में जाना पड़ता है।

तो अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों का जो जवाब दिया जाता है वह वास्तविक तथ्य से, सदस्यों की दृष्टि से कहीं बहुत दूर होता है और यह हमारा अनुभव है इस कारण से उनमें विरोधाभास होता है और एक मानसिक कलह सा पैदा होता है। इसलिए भी यहां इतनी डिटेल में जाने की आवश्यकता पड़ती है।

It is not a question of vagueness, यह हमारा अनुभव बताता है। ऐसे उत्तर सरकारी अधिकारियों के जरिये से और ऐसे तथ्य उनके जरिये से हमारे सामने आते हैं जो वस्तुस्थिति से कभी कभी तो सर्वथा विपरीत होते हैं। तो ट्रेजरी बैंचों द्वारा अपनी उस सरकारी मशीनरी को इस प्रकार की सख्त हिदायतें होनी चाहिये कि वे सही सही और विस्तृत सूचानाएं भेजे ('हियर-हियर' की आवाज)। पर ट्रेजरी बैंचें अपनी मशीनरी के द्वारा भेजी गई सूचनाओं का गलत सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं और माननीय सदस्यों को उन्हें मनवाने का प्रयास उनका मालूम पड़ता है। उस वक्त यह स्थिति पैदा होती है। इसलिये मेरा यह कहना है कि इस परम्परा तो तोड़कर सही परम्परा कायम करने की बड़ी आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, यह हमारी अभिलाषा है और यह हमारी मंशा है।

श्री भोपालसिंह—माननीय मन्त्री महोदयों को इस बात की भी चिन्ता है कि ऐसा प्रश्न पूछे जाने से सरकारी मशीनरी के बारे में रिकार्ड कहीं खराब न हो जाय।

श्री अध्यक्ष—यह सप्लीमेन्टरी है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सुना नहीं गया साहब ?

श्री अध्यक्ष—रेकार्ड खराब नहीं हो जावे, यह वे कहते हैं।

Where ignorance is bliss, it is folly to be wise. मैं समझता हूं कि इस पर कोई खास रूलिंग की जरूरत नहीं है। माननीय सदस्यों ने इस पर अपना जो रोष और असन्तोष व्यक्त किया है, यही बहुत काफी है। We should proceed further. नेक्स्ट

प्रश्न संख्या १८८४

किशनगढ़ सब डिविजन के तलाबों की मरम्मत न होने से "सप्लाइ कट" पिछले दो वर्षों से कटाना

श्री **चांदमल मेहता**—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ सब डिविजन में ऐसे कितने तालाब हैं जिनकी मरम्मत नहीं होने से सप्लाई कट (फीडर) पिछले २ वर्षों में कटाये गये हैं ?

(ख) ऐसे कितने तालाब हैं जिनके 'सप्लाई कट' मरम्मत के काबिल हैं ?

(ग) उक्त सप्लाई कट के तैयार नहीं होने से पिछले २ वर्ष में कितनी कम जमीन की सिंचाई किस किस तालाब में हुई है ?

(घ) इन सप्लाई कट को तैयार कराने का काम कब तक हाथ में लेने का सरकार विचार रखती है ?

श्री **टीकाराम पालीवाल**—(सिंचाई मंत्री) (क) ऐसा कोई तालाब नहीं है।

(ख) लगभग ६० ऐसे तालाब हैं जिनकी सालाना साधारण मरम्मत कर दी जाती है परन्तु जिनका अधिक उपयोग करने के लिए विशेष काम की आवश्यकता है।

श्री **चांदमल मेहता**—आवाज नहीं आ रही है साहब।

श्री **टीकाराम पालीवाल**—(क) ऐसा कोई तालाब नहीं है।

(ख) लगभग ६० ऐसे तालाब हैं जिनकी सालाना साधारण मरम्मत करा दी जाती है परन्तु जिनका अधिक उपयोग करने के लिये विशेष काम की आवश्यकता है।

(ग) सरकारी सूत्रों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वर्षा कम होने से पानी कम आया और जो पानी आया उसे सप्लाई कट अपनी मौजूदा हालत में ही ले गये।

[श्री टीकाराम पालीवाल]

(घ) इन सप्लाई कट्स को धीरे धीरे ठीक किया जा रहा है । पिछले दो वर्षों में २३ सप्लाई कट ठीक किये जा चुके हैं और आशा है कि साठ भी क्रमशः तीन चार वर्षों में ठीक कर दिये जावेंगे ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि सिरोंज के तालाब की मरम्मत नहीं होने की वजह से उसकी सप्लाई के कट्स सरकार द्वारा कटाई गई ?

श्री टीकाराम पालीवाल—क्या मतलब ?

श्री चांदमल मेहता—यानि सप्लाई की कट्स तोड़ दी गई। क्या सरकार की यह जानकारी में है कि सिरोंज, तहसील अराई में जो तालाब है उसकी मरम्मत नहीं होने की वजह से उसकी सप्लाई के कट्स सरकार द्वारा तोड़ी गई है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—तो इस सम्बन्ध में फिर से जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हां ।

श्री चांदमल मेहता—क्या जिन साठ तालाबों के बारे में सप्लाई कट के मरम्मत होने की बात बताई गई, क्या यह सही है कि पिछले २ वर्षों में वे तालाब पूरे नहीं भर पाये सप्लाई कट्स तैयार नहीं होने की वजह से ?

श्री अध्यक्ष—इसका उत्तर दे दिया गया है नम्बर (ख) में।

श्री चांदमल मेहता—नहीं साहब । इसमें तो उन्होंने यह बताया कि वर्षा ही कम हुई। पर ऐसी बात नहीं है। वर्षा काफी हुई पर सप्लाई कट्स ही तैयार नहीं होने के कारण वे तालाब पूरे नहीं भर पाये ।

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने यह कहा था कि सप्लाई कट्स के मरम्मत नहीं होने के कारण यह बात नहीं हुई। वर्षा ही कम हुई।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार को यह जानकारी है कि पिछले वर्षों में पर्याप्त वर्षा हुई और इसके बावजूद भी तालाबों के सप्लाई कट्स तैयार नहीं होने की वजह से वे पूरे नहीं भर पाये; जैसे ताजियो का तालाब, भीम सागर ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या इस तरह का जवाब देने से पहले पूरी जानकारी हासिल करके जवाब देने की कृपा करेंगे, और इसके लिए एक जांच कमेटी बिठायेंगे कि इन तालाबों का फीडर तैयार नही होने की वजह से कितना भारी नुकसान किशनगढ़ सब डिविजन में पिछले दो वर्षों में हुआ है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—क्वेश्चन्स ऑन दी स्पोट किये जाते हैं और इसकी जांच कराने से भी सम्बन्ध नहीं है। यहां जवाब देने का नियम है। इस प्रकार की डिपार्टमेन्टल जांच कराने की आवश्यकता होगी, कराई जा सकती है. पर इस तरह जांच कमीशन बैठाने की आवश्यकता नहीं है और इसके लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ।

श्री चांदमल मेहता—तो इसके लिए इस तरह की जाच कराने की आवश्यकता है कि नहीं कि इन फीडरों के तैयार नहीं करने की वजह से कितना नुकसान इन पिछले दो वर्षों में किशनगढ़ सब डिविजन का हुआ है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—डिपार्टमेंट की इन्फोर्मेशन यह है कि सप्लाई कट्स की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ।

श्री खेतसिंह—ये सप्लाई कट्स जितने भी कट हैं सब टोकन कट हैं।

श्री चांदमल मेहता—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। यह निवेदन करने के बाद भी क्या आप जांच कराने को तैयार हैं कि इन तालाबों के फीडर तैयार नहीं करने की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—पहले आप मुझे यह पूरी जानकारी बतावेंगे कि कितना कितना नुकसान कहां कहां हुआ है किस आधार पर आप यह कहते हैं, तो सोचा जा सकता है पर केवल यहां पर कह देने से मैं एन्क्वायरी शुरू कर दूं यह मैं आवश्यक नहीं समझता हूं।

श्री चांदमल मेहता—क्या सदन में किसी सदस्य के मांग करने पर और कई बातें कहने के ऊपर भी माननीय मंत्रीजी विश्वास करके उसकी जांच करना पसन्द नहीं करते ?

श्री अध्यक्ष—It is a different matter. Here the Hon'ble Member can seek information only. A demand for enquiry can be made outside the House, or by way of resolution or some other parliamentary method.

(विराम)

श्री भोपालसिंह।

प्रश्न संख्या १८८५

डेगाना स्टेशन पर सीमेंट की दुकान और सीमेंट के परमिट जारी करने के सम्बन्ध में

श्री भोपालसिंह—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डेगाना स्टेशन, तहसील मेडता में सीमेन्ट की कोई दुकान है ? क्या सीमेंट के परमिट सरकारी अहलकार जारी करते हैं अथवा कोई गैर सरकारी आदमी ?

(ख) अगर पब्लिक मेन है तो जनता का चुना हुआ है, या राज्य का मुकर्रर किया हुआ राज्य के किस ऑफिसर ने मुकर्रर किया ? क्या मुकर्रर शुदा आदमी कोई बिजीनेसमेन है ?

(ग) क्या परमिट जारी करने का कोई टाइम है अथवा बिना टाइम जारी किये जाते हैं ? क्या कोई स्थान मुकर्रर है जहां जनता जाकर परमिट की मांग कर सकती है ?

(घ) क्या परमिट काटने के लिये सरकार कोई सरकारी अफसर या मुस्तकिल दुकानदार को मुकर्रर करेगी ?

श्री भोगीलाल पंड्या (रसद मन्त्री)—(क) डेगाना में सीमेंट के दो स्टाकिस्ट्स हैं। कलेक्टर नागौर द्वारा निर्माण की गई सीमेंट वितरण कमेटी द्वारा सीमेंट के परमिट जारी किये जाते हैं।

(ख) सरकारी अधिकारियों द्वारा मुकर्रर किया हुआ। कलेक्टर नागौर द्वारा सीमेंट वितरण कमेटी के नाम नीचे दिये जाते हैं। यह व्यक्ति अनाज के व्यापारी हैं :

(१) श्री मन्साराम, (२) श्री जगन्नाथ और (३) श्री शिवराज।

(ग) परमिट केवल मन्साराम द्वारा बनाये जाते हैं जो कि हर समय दिन में काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। परमिट कथित श्री मन्साराम की दूकान पर बनाये जाते हैं।

(घ) दो सीमेंट के स्टाकिस्टों की दुकानें पास में हैं।

श्री भोपालसिंह—श्री मन्साराम को लोग इधर उधर से ढूंढ़कर लाते हैं, क्योंकि वह अपनी दुकान पर नहीं बैठते हैं और बाहर से जो जनता आती है वह परेशानी उठाती है (अश्रव्य) ठीक नहीं है। वह कहता है कि मुझे क्या सरकार तनख्वाह देती है जो हर समय मिलूं।

श्री भोगीलाल पंड्या—इस तरह की कोई शिकायत श्री राजप्रसाद के सिवाय नहीं आई है। उनकी शिकायत आई थी, जिस पर जांच करवाई तो यह मालूम हुआ कि जिस समय श्री मन्साराम भोजन कर रहे थे उस समय वह गये थे और उनसे कहा था कि परमिट काट दो तो उन्होंने कहा था कि भोजन करके काट दूंगा। शिकायत करने वाले ने भी यह मन्जूर किया है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री चांदमल मेहता ।

प्रश्न संख्या १८८६

किशनगढ़ सब-डिविजन में नहरों का जीर्णोद्धार

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ सब डिविजन में ऐसे कितने तालाब हैं जिनकी नहरें मरम्मत तलब हैं ?

(ख) सरकार उक्त नहरों को कब तक तैयार कराने की योजना रखती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)—(क) किशनगढ़ के तालाबों की नहरों की हालत साधारण तौर पर संतोषजनक है । बरसात के कारण कटाव अगर हो जाते हैं तो उनकी मरम्मत सिंचाई शुरू होने से पहले कर दी जाती है ।

(ख) किशनगढ़ के तालाबों की नहरों की साधारण तौर पर रबी की सिंचाई से पहले मरम्मत कर दी जाती है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि वहां ऐसे तालाब मौजूद हैं जिनकी नहरें तैयार नहीं होने की वजह से प्रत्येक वर्ष सैकड़ों बीघा जमीन का पानी बरबाद होता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं, यह मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री चांदमल मेहता—क्या अब माननीय मन्त्री महोदय जानकारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर जवाब दिया है ।

श्री अध्यक्ष—श्री छुंगा ।

प्रश्न संख्या १८८७

हरिजनों को छात्रवृत्ति-गंगापुर में

श्री छुंगा—क्या दलितवर्ग मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

[श्री छंगा]

(क) हरिजनों को वजीफा किस किस स्थान पर दिया जा रहा है ?

(ख) सन् १९५३ में कितने रुपये के वजीफे दिये गये ?

(ग) सवाई माधोपुर जिले में कितना दिया गया ?

(घ) क्या गंगापुर में भी किसी को दिया गया अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री भोगीलाल पंड्या (श्री दलितवर्ग मन्त्री)—(क) राजस्थान के सभी हिस्सों में देते हैं जो कि राजकीय तथा राज्य से मान्य स्कूलों अथवा कालेजों में हरिजन छात्र पढ़ते हैं उन सबको, जो कि नियमानुसार छात्रवृत्ति के फार्म प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति दी जाती है।

(ख) १९५३-५४ में हरिजन छात्रों को ४३,७६७ रु० के वजीफे की स्वीकृति हुई।

(ग) सवाई माधोपुर जिले में हरिजन छात्रों को ५५० रु० स्वीकृत हुए।

(घ) गंगापुर में किसी को छात्रवृत्ति नहीं दी है। उनके नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुए थे।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या कारण है कि हरिजन विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृति नहीं मिल पाती है।

श्री भोगीलाल पंड्या—कोई करण नहीं है। जब छात्रवृत्ति वितरण करने का तय हो जाता है उस समय दी जाती है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यह किस आधार पर दी जाती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—कोई भी हरिजन छात्र जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है किसी भी सरकारी या सरकार द्वारा मान्य स्कूल या कालेज में पढ़ता है तो पांचवी और छठी कक्षा तक ३ रु० मासिक दिया जाता है, सातवीं और आठवीं तक के छात्र को ५ रु० मासिक दिया जाता है, नवीं और दसवीं के छात्रों को १० रु० दिया जाता है, इन्टरमिजियेट के छात्र को २० रु० दिया जाता है, और बी. ए. में होता है तो ४० रु० दिये जाते हैं। इसके सिवाय टेक्नीकल लाइन के लिये या विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिये छात्र जाते हैं उनका सभी खर्चा दिया जाता है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि छात्रवृति में तय करने के लिए हरिजनों का कोई बोर्ड बना हुआ है या सरकारी अधिकारी देते हैं? अगर ऐसा नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बोर्ड जब बनाने की आवश्यकता पड़ेगी जब कि किसी को छात्रवृत्ति के लिए इन्कार करना पड़ेगा। जितने प्रार्थना-पत्र आते हैं उनको नियमानुसार छात्रवृत्ति दे देते हैं। जब छात्रवृत्ति के लिये छात्रों की संख्या ज्यादा होगी उस समय यह देखना पड़ेगा कि इसमें किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं और किसी व्यक्ति विशेष को दे दी और दूसरे को नहीं दी है उस समय बोर्ड बनाने पर विचार किया जायगा।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या यह मान लिया जाय कि वह गरीब छात्र सरकारी अधिकारियों की दया पर निर्भर रहते हैं जिनको वे चाहे दे दें और जिनको वे नहीं चाहे उनको नहीं दें।

श्री भोगीलाल पंड्या—दया पर नहीं। जिनको आवश्यकता होती है वह नियमानुसार प्रार्थना-पत्र देते हैं उनको मिलती है। यदि किसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं चाहिये और प्रार्थना-पत्र नियमानुसार नहीं भेजे तो इसके लिये सरकारी अधिकारी क्या कर सकता है?

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—सरकार उनकी आर्थिक स्थिति को किस तरह जानती है?

श्री भोगीलाल पंड्या—आप जो फार्म हैं उसको देख लेते तो उसमें सारी बातें दी हुई हैं। छात्रों को वह फार्म दिया जाता है जिसको कि वह भर कर भेजते हैं। उसमें सारी बातें लिखी हुई हैं।

श्री हरिशंकर सिद्धांत शास्त्री—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कई ऐसे छात्र हैं जिनकी आर्थिक अवस्था बड़ी खराब है लेकिन उनको छात्रवृत्ति नहीं दी गई है।

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८८८

किशनगढ़ में पिछले ३ वर्षों से कुछ तालाबों पर मिट्टी डालना

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) पिछले तीन वर्ष में किशनगढ़ सब डिविजन में किस किस तालाब पर कितनी कितनी मिट्टी डलाई गई है?

Page No.17

[श्री चांदमल मेहता]

(ख) उक्त मिट्टी में से किस किस तालाब पर, तालाब के बाहर से किस किस रेट पर मिट्टी डाली गई, वह कितने रुपये की होती है ?

(ग) उक्त मिट्टी तालाब के बाहर से नहीं डालने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या किसी टेक्नीकल एक्सपर्ट ने मिट्टी तालाबों के बाहर से डालने की सलाह दी है ?

(ङ) यदि हां, तो किस किस एक्सपर्ट ने किस किस तालाब के लिए इस किस्म की रिपोर्ट दी है ?

(च) क्या यह सही है कि तालाब के भीतर से मिट्टी डालने की रेट बाहर के मुकाबले में सस्ती है ?

(छ) बाहर से मिट्टी डालने में किस किस तालाब पर कितना कितना नुकसान रहा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मन्त्री)—(क) किशनगढ़ में बहुत से छोटे छोटे तालाब हैं अतः उनकी अलग अलग सूचि किस किस पर कितनी मिट्टी डाली गई अलग अलग प्राप्त नहीं है ।

(ख) मिट्टी जहां से ठीक समझी जाती है डाली जाती है । अन्दर और बाहर का कोई हिसाब नहीं रखा जाता ।

(ग) (घ) और (ङ) जहां मिट्टी अन्दर से ठीक समझी जाती है वहां अन्दर से ही ली जाती है क्योंकि अन्दर की मिट्टी कुछ ही समय में भर जाती है । बाहर की मिट्टी भरना कठिन होती है । इसके लिए सिंचाई विभाग के ही कर्मचारी निर्णय करते हैं और किसी एक्सपर्ट की आवश्यकता नहीं है ।

(च) यह सही नहीं है ।

(छ) ऐसा कोई नुकसान नहीं रहा ।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की जानकारी में है कि एक मर्तबा इसी सदन में यह कहा गया है कि मिट्टी बाहर या अन्दर से निकालने से पहले एक्सपर्ट से जांच कराई जाती है फिर इजाजत दी जाती है ? क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलायेंगे कि किस किस

[श्री चांदमल मेहता]

तालाब के संबंध में एक्सपर्ट से जांच कराई गई है और उन्होंने यह रिपोर्ट दी है कि तालाब की मिट्टी अन्दर से नहीं निकाल कर बाहर से निकाली जानी चाहिये ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जहां तक मुझे याद है कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि एक्सपर्ट से जांच कराई जाती है।

श्री चांदमल मेहता—क्या माननीय मन्त्री महोदय की यह जानकारी में है कि मिट्टी अन्दर से निकालने के रेट्स कम हैं और बाहर से निकालने के ज्यादा हैं और ठेकेदार को नाजायज फायदा दिलाने के लिये आम तौर पर मिट्टी तालाब के अन्दर से नहीं निकलवा कर तालाब के बाहर से निकाली जाती है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सरकार के जो फिक्स्ड रेट्स हैं उनके अनुसार ही वह दी जाती है। अन्दर और बाहर के रेट्स जहां जैसे पड़ते हैं उनके अनुसार दिये जाते हैं।

श्री चांदमल मेहता—वह रेट्स जो फिक्स्ड हैं उनके मुताबिक दिये जाते हैं यह ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि बाहर के रेट्स ज्यादा हैं और अन्दर के रेट्स कम हैं। आम तौर पर ठेकेदारों को फायदा दिलाने के लिए और सरकार को नुकसान देने की दृष्टि से मिट्टी अन्दर से नहीं निकाल कर बाहर से निकाली जाती है, इसका क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने जो कारण अभी आपको बताया कि तालाब के अन्दर से मिट्टी खोदना इसी कन्सीडिरेशन से रहता है कि तालाब की गहराई बढ़ती है और उसकी पानी की केपेसिटी बढ़ती है। दूसरे जो कि बाहर के गड्ढे होते हैं वे आसानी से नहीं भरते हैं और तालाब की केपेसिटी भी नहीं बढ़ती है।•••

श्री चांदमल मेहता—इन दोनों दृष्टिकोणों को मद्देनजर रखते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि अन्दर से मिट्टी न निकालकर बाहर से निकालने का क्या कारण है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कहीं कहीं अन्दर की मिट्टी ज्यादा रखत या गीली होती है और और भी ऐसे कई कारण होते हैं इसलिए बाहर से निकाली जाती है।

श्री चांदमल मेहता—किस किस तालाब से गीली होने के कारण निकाली गई और किन किन तालाबों में से अधिकारियों ने अपनी स्वेच्छा से निकाली ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सुनाई नहीं दिया।

Page No.19

श्री चांदमल मेहता—ऐसे कौन कौन से तालाब हैं जिन में से, जैसा कि मंत्रीजी कहते हैं, गीली होने के कारण निकलवाई और किन किन तालाबों से बाहर से निकलवाकर अधिकारियों ने ठेकेदारों को फायदा पहुँचाया ?

श्री टीकाराम पालीवाल—किशनगढ़ में इतने अलग अलग और छोटे छोटे तालाब हैं कि वहां से पूरी सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार के रेकार्ड में अलग अलग तालाबों में से मिट्टी निकाली जाती है उनका हिसाब नहीं रहता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—हिसाब रहता है लेकिन इतने थोड़े समय में जवाब नहीं आ सकता।

श्री चांदमल मेहता—क्या सरकार एक जांच कमीशन बैठाने के लिए तैयार है जो इस बात की जांच करे कि मिट्टी बाहर से निकालने में कितने हजार रुपयों का नुकसान सरकार को हुआ है ?

श्री टीकाराम पालीवाल - जांच कमीशन बैठाने की जरूरत नहीं है ?

श्री चांदमल मेहता—बहुत बड़ी तादाद में सरकार का रुपया बरबाद हो और सरकार उसकी जांच करना पसन्द नहीं करती, क्या यह ठीक बात है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—किसी खास चीज की जांच करवाई जा सकती है लेकिन हर काम के लिए जांच कमीशन बैठाना जरूरी नहीं होता।

श्री संतोषसिंह—क्या सरकार इस बात की जांच करेगी कि जहां बंधों की मिट्टी बाहर से निकाली जाती है वह इसलिए निकाली जाती है कि किसानों के खेतों को खोदकर नाजायज फायदा उठाया जाय और खेतों में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर किसानों को नुकसान पहुंचाकर नाजायज फायदा उठाया जाय ?

श्री टीकाराम पालीवाल—कोई निश्चित उदाहरण दिया जायगा तो जांच कराई जायगी।

श्री संतोषसिंह—क्या इस किस्म की शिकायतें बिलाड़ा से आपके पास नहीं आ रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी नहीं।

श्री लालबहादुर—क्या किशनगढ़ सब डिविजन के लिए इरिगेशन इन्फरमेशन ब्यूरो कायम करने के लिए आप तैयार हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी नहीं।

श्री कंवरलाल जेलिया—माननीय प्रश्नकर्ता पर कितना खर्चा सूचना इकठ्ठी करने में होता है ?

श्री अध्यक्ष—The Hon'ble Member wants information about his sub division and the other members should not grudge it. Next.

प्रश्न संख्या १८८६

किशनगढ सब डिविजन में शरणार्थियों के मामले लोन देने के सम्बन्ध में सरकार के अधीन

श्री चांदमल मेहता—क्या पुर्नसस्थापन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ सब डिविजन के कितने शरणार्थियों के मामले लोन देने के सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन हैं ?

(ख) उक्त मामले किन किन के हैं और कितने वर्षों से विचाराधीन हैं ?

(ग) उक्त व्यक्कित्तियों में से किन किन के कितने रुपये के क्लेम भी स्वीकृत हुए हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (पुर्नसस्थापन मंत्री)—(क) केवल दो।

(ख) एक प्रार्थना पत्र श्री गेहीमल निहालचंद का है, दूसरा श्री गनपतराम सूरजमल का है। ये दोनों प्रार्थनापत्र अगस्त, सन् १९५४ के हैं।

(ग) श्री गेहीमल निहालचंद का रु० १४, २०० का क्लेम है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि शरणार्थियों से पहले यह कहा गया है कि वे पहले दुकानें किराये पर लें उस के बाद में लोन दिया जायगा और दुकानें किराये लेली गई और ८-८ महीनों तक किराये पर रहने के बाद भी लोन देने के लिए मना कर दिया गया ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री चांदमल मेहता—क्या आप की जनकारी में यह बात है कि गेहीमल को सरकार से चिठ्ठी मिली है उसमें कहा गया है कि दुकान किराये पर लें फिर लोन दिया जायगा। ८ महीने तक दुकान किराये पर ली और रहने प्रार्थना-पत्र भी दिया गया पर उसको कह दिया गया कि लोन नहीं दिया जायगा।

Page No.21

श्री अमृतलाल यादव—मैंने ऊपर जवाब दिया है कि गेहीमल का आवेदन-पत्र अगस्त १९५४ में आया है इसलिए यह सवाल नहीं उठता कि उसको मना कर दिया गया।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह आपकी जानकारी में है कि यह आवेदन पत्र पहला नहीं सातवां या आठवां है ?

श्री अमृतलाल यादव—निर्णय पर तो आप भी नहीं पहुंचे हैं कि यह सातवां है या आठवां है, लेकिन मेरे यहां तो यह पहला ही है।

श्री चांदमल मेहता—यदि मन्त्रीजी के यहां पहले के बजाय सातवां या आठवां ह पहुंच इसमें जिन अधिकारियों की गलती पाई जाय उनके लिए क्या करने को आप तैयार हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—मेरे पास जो सूचना है उसके माफिक मैंने जवाब दिया है।

श्री चांदमल मेहता—जो मामला सरकार के पास पेन्डिंग है उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने निवेदन किया कि सरकार के विचाराधीन है। सरकार का रुपया यों ही पानी में नहीं फेंकने दिया जाता। उस पर विचार किया जारहा है।

श्री चांदमल मेहता—क्या आप की जानकारी में है कि जिन्होंने लोन के लिए मांग की है उनके क्लेम मौजूद हैं, ऐसी सूरत में लोन नहीं देने का क्या कारण है ?

श्री अमृतलाल यादव—मैंने अभी जवाब दिया था कि दो आवेदन पत्रों में से सिर्फ एक का क्लेम है दूसरे का नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या आप ने जानकारी की है कि दोनों के क्लेम हैं और उनके क्लेम के बारे में आप के दफ्तर से सर्टिफाई किया गया है।

श्री अमृतलाल यादव—माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि कोई शरणार्थी अपना क्लेम कह दे इससे क्लेम मंजूर नहीं होता। क्लेम करने का जो तरीका है उसके अनुसार क्लेम पेश करने पर वह वेरिफाई होता है, केवल इससे क्लेम नहीं माना जाता कि एक आदमी कह दे कि मैं इतने का क्लेम छोड़ आया हूं। इसकी जांच करने के बाद कहा जा सकता है कि किसका कितना क्लेम है मैंने अभी बताया था कि एक का क्लेम १४, २००) रु० का है।

श्री चांदमल मेहता—मैं निवेदन कर दूं कि दोनों का क्लेम है और गवर्नमेंट आफ इंडिया से आये हुए पत्रों की कापी मौजूद है। यह पूछना चाहता हूं कि जिनके क्लेम मन्जूर हो

[श्री चांदमल मेहता]

के ? क्या उनके कागजात डिप्टी डाइरेक्टर के पास पेंडिंग रखने का अधिकार है या क्लेम ऑफिसर के पास भेज देना चाहिये ?

श्री अमृतलाल यादव—क्लेम ऑफिसर का कोई सवाल नहीं है। क्लेम ऑफिसर द्वारा लोन पहले दिये जाते थे। अब लोन नियमों के अनुसार दिया जाता है और दिया जाता रहेगा।

श्री चांदमल मेहता—जिन व्यक्तियों का क्लेम मन्जूर हो गया उनको लोन किशनगढ़ के अलावा दूसरे स्थानों में दिया गया या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव—किशनगढ़ और दूसरे स्थानों में फर्क रखने का सवाल नहीं है, लोन के तरीके के माफिक लोन दिया जाता है। किशनगढ़ में भी लोन दिया गया है और दिया जायगा और दूसरी जगहों में भी दिया जायगा और दिया गया है।

श्री चांदमल मेहता—क्या जो प्रार्थना पत्र मंत्रीजी के समक्ष हैं वे कायदे के माफिक नहीं हैं ?

श्री अमृतलाल यादव—अभी मैं नहीं कह सकता कि कायदे के माफिक हैं या नहीं। ये गवर्नमेंट के विचाराधीन है।

श्री चांदमल मेहता—कब तक ये विचाराधीन रखे जायेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव—जबतक आवश्यकता होगी।

श्री चांदमल मेहता—कितना समय आवश्यक मानते हैं ऐसे विचार के लिये ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वश्चन।

प्रश्न संख्या १८६०

राजस्थान की वे तहसीलें जो विकास योजना या प्रोजेक्ट में शामिल नहीं

श्री रिद्धिचन्द पालीवाल—क्या कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी तहसीलें हैं जो किसी भी डवलपमेंट योजन या प्रोजेक्ट में शामिल नहीं की गई हैं ? इस प्रकार की तहसीलों का डवलप्मेंट ब्लॉक्स (Development Blocks) में शामिल करने का नम्बर कब तक आजावेगा ?

Page No.23

श्री टीकाराम पालीवाल (योजना, एवं विकास मन्त्री)—राजस्थान की कुल १६५ तहसीलों में से अब तक ४१ तहसीलें सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं के अन्तर्गत आ चुकी हैं। जो तहसीलें इन योजनाओं में अब तक नहीं आई हैं उनकी सूची नीचे दी गई है। इन तहसीलों में से कुछ तो सन् १६५५-५६ में खुलनेवाले विस्तार खण्डों में शामील हो जावेंगी, उसके बाद रह जाने वाली तहसीलें आगामी पंचवर्षीय योजना में विस्तार क्षेत्र योजना के अन्तर्गत आजायेंगी। सूची इस प्रकार है :

श्री अध्यक्ष—कुल कितने नाम हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—१५० के करीब हैं।

श्री अध्यक्ष—सूची टेबल पर रख दें।

(सूची उपलब्ध नहीं हुई)

कु० श्री जसवन्तसिंह—क्या यह मानकर चला जाय कि राजस्थान में जितनी भी तहसीलें हैं उन सब को विकास योजना में लाया जायगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल—यथा-संभव सब को लाने का विचार है।

श्री चांदमल मेहता—किशनगढ़ सब डिवीजन में ऐसी योजना कब लागू करने का विचार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसके लिये अलग नोटिस चाहिये।

श्री किशनलाल शाह—प्रायोरिटी तय करने का आधार क्या है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सेन्ट्रल प्रोजेक्टस एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कंसीडरेशन्स सामने रखे हैं उनको मानकर चलना पड़ता है जैसे भूमि की उत्पादन शक्ति, यातायात के साधन, सिंचाई के साधन, आबादी आदि के कारण हैं जो विचार में रखने पड़ते हैं।

श्री किशनलाल शाह—जहां एक से ज्यादा स्थान समानान्तर रूप में हों, एक से हों वहां प्रायोरिटी व्यक्तियों के लिहाज के आधार पर दी जाती है, क्या यह सही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—जी नहीं, प्रायोरिटी के लिहाज से जो ये सब चीजें, जो इन स्थानों को प्रायोरिटी देने के लिये आवश्यक हैं वे सब एक जगह नहीं मिलती हैं, सब जगह समान शक्ल मिलती हो ऐसा बहुत कम मिलता है। अगर मिलता है तो फिर उनमें से किसी भी एक स्थान को प्रायोरिटी दी जाती है।

श्री किशनलाल शाह—स्थानों को चुनने के लिये सरकार ने क्या तरीका अख्तियार कर रखा है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—ऑफिसर्स की रिपोर्ट्स मंगाई जाती है और उनके आधार पर तय किया जाता है ।

श्री किशनलाल शाह—क्या सारे राजस्थान के ओफिसर्स की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सारे राजस्थान का प्रश्न जब आता है तो कमिश्नर्स से रिपोर्ट्स मंगा ली जाती हैं कि किन किन स्थानों को उचित समझते हैं ।

श्री किशनलाल शाह—सारे राजस्थान की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं और कुछ स्थानों की आई हैं, उनमें से जिन स्थानों का चुनाव हुआ है उनका चुनाव व्यक्तियों के प्रभाव के कारण से ही हुआ है क्या ऐसा माना जाय, क्योंकि सारे राजस्थान की तो रिपोर्ट्स आई नहीं हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—नहीं ऐसा नहीं मानना चाहिये । । जो उपयुक्त स्थान हैं, जिनको उचित समझते हैं, उन्हीं को चुना जाता है । कुछ स्थान ऐसे होते हैं कि बिना आंकड़े इकट्ठे किये ही यह मालूम कर लिया जाता है, मसलन जहां यातायात और सिंचाई का सवाल आता है तो जैसलमेर और बाड़मेर की तरफ निगाह नहीं जाती, दूसरे कई इलाके हैं जिन पर अपने आप निगाह जाती है उनमें से देख लिया जाता है कि कौन-कौन से स्थान ज्यादा उपयुक्त हैं ?

श्री घासीसिंह—केवल ऑफिसर्स की रिपोर्ट के आधार पर ही यह सब कुछ तय किया जाता है या मिनिस्टर महोदय भी कुछ अपनी विचार धारा रखते हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल—इसके लिये कमेटी बनी हुई है जिसमें मुख्य मन्त्री हैं, रेवेन्यु मन्त्री हैं, मैं भी हूं और ऑफिसर्स भी हैं । यह कमेटी अल्टीमेटली तय करती है ,परन्तु इस कमेटी के सामने जो निर्णय करने के लिये मसाला आता है उसमें ओफिसर्स की रिपोर्ट्स होती हैं ।

श्री किशनलाल शाह—जिन तहसीलों के बारे में जांच नहीं हुई है और ऑफिसर्स की रिपोर्ट्स नहीं आई हैं उनके बारे में क्या आगे प्रोग्राम बना हुआ है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—उसी समय स्थान चुनते हैं जब कि आवश्यकता होती है ।

प्रश्न संख्या १८६१

उदयपुर डिविजन का सहकारी समितियां तथा आदिवासियों को सहायता

श्री लक्ष्मण हीरात—क्या सहकारी मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) उदयपुर डिविजन में सहकारी समितियां कितनी हैं और कहां कहां हैं ?

(ख) आदिवासियों को सहकारी समितियों से सन् १९५१ से ५४ तक क्या २ सुविधाएं मिली हैं और इसमें सरकार को कहां तक सफलता मिली है ?

(ग) उदयपुर जिले में भी क्या कोई सहकारी समितियां हैं यदि हां, तो कितनी और कहां कहां ?

(घ) क्या आदिवासियों को कोई विशेष सुविधा दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारी मन्त्री)—(क) सहकारी समितियां इस प्रकार है :

१.	जिला उदयपुर.	२२२.
२.	जिला भीलवाडा.	५८.
३.	जिला चित्तोडगढ़.	२०.
४.	जिला बांसवाडा.	३६.
५.	जिला डूंगरपुर.	२६.
	कुल.	३६२.

(ख) आदिवासियों की उन्नति के लिये ३६ समितियों को २४, ४५०) रुपये आर्थिक सहायता दी गई जिससे उन्होंने कृषि, बुनाई, ताड़गुड़ बनाने के बर्तन सम्बन्धी औजार, आदि खरीद किये हैं जो सदस्यों के जीवन निर्वाह में उपयुक्त हैं। इसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों की संख्या १-७-५१ को ७ थी बढ़कर ३०-६-५४ को ६५ होगई है, जो आदिवासी जनता की उन्नति में काफी सहायताप्रद साबित हुई है।

(ग) उदयपुर जिले में २२२ सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं, जिनका विवरण निम्न है ;

१.	तहसील	भीम.	१४०.
२.	तहसील	रेलमगरा.	८.
३.	तहसील	उदयपुर.	२४.
४.	तहसील	भूपालसागर.	३.

[श्री अमृतलाल यादव]

५.	तहसील	आमेट.	२.
६.	तहसील	बल्लभनगर.	३.
७.	तहसील	सलूम्बर	२.
८.	तहसील	मावली.	१२.
९.	तहसील	गिरवा.	१.
१०.	तहसील	फलसिया	१.
११.	तहसील	खमनौर	३.
१२.	तहसील	राजसमन्द.	१७.
१३.	तहसील	लसाड़िया.	२.
१४.	तहसील	खेरवाड़ा.	१.
१५.	तहसील	नांथद्वारा.	१.
१६	तहसील	सराड़ा.	१.
१७.	तहसील	कोटड़ा.	१.
		कुल	२२२.

(घ) जी हां, आदिवासियों की (सहकारी संस्थाओं को) गत वर्षों में २४,४५०) रुपये सबसिडी के दिये जा चुके हैं और मौजूदा सूरत में भी सबसिडी दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही जारी है।

श्री छंगा—यह जो कोटड़ा में सहकारी समिति कायम हुई वह कब कायम हुई ?

श्री अमृतलाल यादव—तारीख तो मुझे इस समय मालूम नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर—क्या यह सहकारी समितियों के अधिकारियों द्वारा उचित देखभाल नहीं होने के कारण सहकारी मूवमेंट फैल हो रहा है ?

श्री अमृतलाल यादव—जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८९२

हिन्डौन प्रोजेक्ट एरिया में १६५२-५३ व जुलाई १६५४ में पेट्रोल खरीदा जाना

श्री छंगा—क्या कम्युनिटी प्रोजेक्ट मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे

(क) हिन्डौन प्रोजेक्ट एरिया में सन् १६५२-५३में व जुलाई ५४ तक कितना पेट्रोल खरीदा गया ? किन २ से खरीदा गया और किस भाव से खरीदा गया ?

(ख) क्या यह सच है कि पेट्रोल कम्पनी द्वारा निर्धारित रेट से चार आना प्रति गेलन अधिक तक में खरीदा गया है ?

(ग) इस प्रकार जो अनुचित रुपया खर्च हुआ है क्या उसकी जांच कमीशन द्वारा करवाने को सरकार तैयार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल (विकास मंत्री)—सन् १६४२ से जुलाई, सन् १६५४ तक हिन्डौन सामुदायिक योजना खंड के लिये ८६१ गैलन पेट्रोल खरीदा गया । मेसर्स चिरन्जीलाल एन्ड सन्स से ८५३ गैलन और मेसर्स रिद्धिचन्द जगन्नाथ से ८ गैलन । पेट्रोल खरीदने की दर इस प्रकार थी :—

	रु०	आ०	पा०	
अक्टूबर, सन् १६५२ ई० से जून सन् १६५३ तक	३	४	०	प्रति गैलन
जुलाई सन् १६५३	३	३	०	,, ,,
अगस्त से नवम्बर, सन् १९५३ तक	३	२	०	
				खुला हुआ प्रति गैलन
	३	२	६	,, ,,

	रु०	आ०	पा०	
नवम्बर, सन् १६५३	३	०	६	प्रति गैलन
दिसम्बर, सन् १६५३ से जुलाई, १६५४ तक	३	०	६	,,

विकास अधिकार से प्राप्त सूचना के अनुसार पेट्रोल कम्पनी द्वारा निर्धारित दर पर ही खरीदा गया है । इसकी और तसदीक की जा रही है ।

श्री छंगा—जब तीन रुपया प्रति गैलन की रेट थी तो फिर सवा तीन रूपया प्रति गैलन की रेट से क्यों खरीदा गया ?

Page No.28

श्री टीकाराम पालीवाल—जिस रेट से खरीदा गया है उस रेट में और कम्पनी की रेट में कितना अन्तर है इसकी जांच की जा रही है ।

श्री चांदमल मेहता—यह प्रश्न आने से पहले जांच शुरू कराई गई या पहले हो ?

श्री टीकाराम पालीवाल—प्रश्न आने के बाद । क्योंकि प्रश्न में यह सजेस्ट किया गया है कि जिस रेन्ट से पेट्रोल खरीदा गया उस रेट में और कम्पनी की रेट में फर्क है । इसलिए इसमें जांच कराई जा रही है ।

श्री छंगा—२ रुपया ६ पैसा की रेट है साहब, ज्यादती नहीं ।

श्री अध्यक्ष—यस, नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १८६३

करौली व सवाई माधोपुर सब डिवीजन को प्रोजेक्ट में सम्मिलित करना किन्तु गंगापुर को नहीं करना

श्री छंगा—क्या प्रोजेक्ट मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या करौली व सवाई माधोपुर सब डिवीज़न प्रोजेक्ट में शामिल कर लिये गये हैं ? लेकिन गंगापुर को शामिल क्यों नहीं किया गया है ? इसको कब तक शामिल कर लिया जायगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल (विकास मन्त्री)—सवाई माधोपुर सब डिवीजन की सवाई माधोपुर तहसील एवं करौली सब डिवीजन की करौली तहसील राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्र में सम्मिलित कर ली गई है ।

गंगापुर सब डिवीजन की तहसीलें भी शनैः शनैः शामिल कर ली जायंगीं । एक साथ सब जगह ये राष्ट्रीय विस्तार खण्ड शुरू नहीं किये जा सकते थे ।

श्री छंगा—जब सवाई माधोपुर तहसील और करौली तहसील में यह काम शुरू किया गया है तो फिर गंगापुर को बीच में क्यों छोड़ा गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल—मैंने कहा कि सब जगह एक साथ काम शुरू नहीं किया जा सकता था । इसको भी शामिल कर लिया जायगा ।

श्री छंगा—इसको कब तक शामिल कर लिया जायगा ?

Page No.29

श्री टीकाराम पालीवाल—समय निर्धारित करना मेरे लिए इस वक्त कठिन है।

श्री सोहनलाल भटनागर—आस-पास की दो तहसीलों में काम चालू है और बीच की एक तहसील में शामिल नहीं किया गया है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८६४

तहसील सिवाना व पचपदरा में फसल के समय मलेरिया होने से फसल मारी जाना

श्री मोटाराम चौधरी—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विदित है कि तहसील सिवाना व पचपदरा में मलेरिया अधिक होने की वजह से किसानों के फसल के समय बीमार हो जाने से सारी फसल मारी जाती है ?

(ख) क्या गत वर्ष भी वहां मलेरिया व तिल्ली को बीमारी अधिक होने की वजह से सब साख मारी गई ?

(ग) क्या सरकार इस वर्ष इन भयंकर बीमारियों की रोकथाम के लिए समय से पहले ही कोई व्यवस्था करेगी ? अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री कुंभाराम आर्य (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं, फसल की कटाई में विलम्ब अवश्य हुआ।

(ग) जी हां।

श्री मोटाराम चौधरी—(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—सुनाई नहीं दिया, जरा स्पष्ट बोलें और धीरे बोलें।

श्री मोटाराम चौधरी—प्रश्न यह है कि सिवाना और पचपदरा में मलेरिया की बीमारी सबसे ज्यादा हुई और हम लोगों ने बहुत रिपोर्ट की, मगर फिर भी कोई इन्तजाम नहीं हुआ इसका क्या कारण था ?

श्री कुम्भाराम आर्य—दवाइयें भेजी गई, बंटवाई गई, डाक्टर लोग भेजे गये और बीमारी को दबाया गया।

(हंसी)

श्री मोटाराम चौधरी—(अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष—जरा जोर से और साफ बोलिए ताकि सुनाई दे सके।

श्री मोटाराम—माननीय मंत्रीजी ने फरमाया वह बिल्कुल गलत बात है। क्या वे बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन कौन से गांव में डाक्टर भेजे गए ?

श्री कुंभाराम—मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि अभी तक भी वहां दवाइयों का ढ़ेर पड़ा है।

श्री मोटाराम—दवाइयों का ढ़ेर पड़ा होगा इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन सिवाना और पचपदरा में कौन से गांव में कौन से आदमी को दवाई दी गई उसमें से एक आदमी का भी आप नाम बता दें।

श्री कुम्भाराम—प्रश्न में बीमारों के नाम नहीं पूछे गए थे। अगर ऐसा होता तो मैं आपको उनके नाम भी मंगाकर बता सकता था, लेकिन जितने बीमार थे उनमें से अधिकांश को दवाई दे दी गई।

श्री मोटाराम—लूनी नदी के पास के गांवों के लिए मैंने और दूसरे लोगों ने सरकार से कई प्रार्थना की लेकिन सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। इसकी आप जांच करें और देखें।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं कुछ भी नहीं समझा।

(श्री सन्तोषसिंह बोलने के लिए उद्यत)

श्री अध्यक्ष—सिवाना और पचपदरा की तरह आपके यहां भी ...

श्री सन्तोषसिंह—दवाइयें भेजी गई तो वे किसके द्वारा बांटी गई ?

श्री कुम्भाराम आर्य—दवाइयें डाक्टरों के द्वारा और पब्लिक के लोगों के द्वारा और सरकारी ऑफिसरों के द्वारा बांटी गई।

श्री मोटाराम चौधरी—आपने फरमाया कि डाक्टरों को भेजा गया तो कौन से डाक्टरों को भेजा उनके नाम भी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह अलग से प्रश्न है।

श्री जवानसिंह—आपने बताया की डाक्टरों को मलेरिया और तिल्ली के इलाज के लिये भेजा गया तो वे कौन कौन डाक्टर थे ?

श्री कुम्भाराम आर्य—प्रश्न के अन्दर डाक्टरों के नाम की बात नहीं।

श्री जवानसिंह—आपने कहा कि तिल्ली और मलेरिया के लिए डाक्टर भेजे गये वे कौन से डाक्टर थे ?

श्री कुम्भाराम आर्य—यह अलग से प्रश्न है।

श्री मोतीराम—कौनसे डाक्टर भेजे गये और उन्होंने किन किन के इलाज किये ?

राज श्री हिम्मतसिंह—मलेरिया की दवाई बची है, उसका ढ़ेर किस जगह लगा है ?

श्री कुम्भाराम आर्य—कलेक्टर के यहां है।

श्री खेतसिंह—गत वर्ष बहुत मलेरिया था इस वर्ष के लिए...

श्री अध्यक्ष—अलग प्रश्न करिये।

श्री कुम्भाराम आर्य—भगवान ने दया की है।

श्री खेतसिंह—भगवान ने दया की है कि बीमारी ज्यादा फैली है।

श्री कुम्भाराम आर्य—मलेरिया पानी से ज्यादा होता है और इस वर्ष पानी ज्यादा नहीं पड़ा।

श्री खेतसिंह—फिर भी मलेरिया ज्यादा हो रहा है।

श्री कुंभाराम—सरकार ने इसके लिये पहले प्रबन्ध कर दिया है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या सरकार ईश्वर से यह दुआ करती है कि पानी नहीं बरसे।

श्री कुंभाराम—सरकार ईश्वर से दुआ करती है कि पानी बरसे।

Page No.32

श्री कपिलदेव अग्रवाल—वह इत्तला आपको किसने दी कि डॉक्टर भेजे गये और दवाइयां भेजी गई ?

श्री कुंभाराम—यह अपने महकमें ने दी है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—किस ऑफिसर ने दी है ? मेडिकल सेक्रेटरी ने दी है या डी. एम. एच. ओ. ने दी है ?

श्री कुंभाराम—मुझे मालूम नहीं था कि माननीय सदस्य ऐसी इच्छा रखते हैं तो उनके नाम भी मंगा लिये जाते।

श्री जवानसिंह—उनकी सूचना का आधार क्या है ?

श्री कुंभाराम—इस बात का हमें पता है कि सूचना का आधार डिपार्टमेंट है और सेक्रेटरी है। आपने नाम पूछा तो मुझे यह मालूम नहीं हो सकता कि आप कौन से आदमी का नाम पूछना चाहते हैं, क्यों कि आखिर सेक्रेटरी भी एक जिम्मेदार आदमी है जो सूचना भेजता है।

श्री देवीसिंह—जब दवाइयें पब्लिक के आदमियों के द्वारा बांटी गई थीं तो उस समय मोटारामजी पब्लिक के आदमी नहीं माने गये !

श्री कुंभाराम—मोटाराम जी बड़े आदमी हैं। इस इलाके में वे नहीं रह कर किसी दूसरे हलके में चले गये होंगे।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १८६५

श्री हरिकृष्ण व्यास।

(अनुपस्थित)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—May I ask the question on his behalf ? It is an important question.

श्री अध्यक्ष—Yes.

Page No.33

प्रश्न संख्या १८६५

सादूल टैक्सटाइल लिमिटेड से बिजली व्ययकी शेष रकम की वसूली

कु० श्री जसवन्तसिंह—Will the Minister for P.W.D. be pleased to answer.

(a) What is the amount due on account of electric charges from the Sadul Textiles Ltd.?

(b) Since when is this amount due?

(c) What steps are being taken to recover this amount?

श्री टीकाराम पालीवाल (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(a) An amount of Rs. 8,47,502/4/- is due from the Sadul Textiles Ltd. SriGanganagar, on account of electric charges.

(b) This amount is due from the period from May, 1951 to 20th August, 1954.

(c) They were given a notice to clear the outstandings by 20th August. 1954, and on non-payment, have been disconnected. Further steps to effects recovery are under Government consideration.

कु० श्री जसवन्तसिंह—This connection is for supply of power and it also includes power required for essential supplies like drinking water and light for the workers and members of the staff of the Mill residing in the new colony. Now is the disconnection for the mill alone or also for essential supplies for drinking water and other requirements of the members of the colony?

श्री टीकाराम पालीवाल—The mill has been disconnected.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Does it also include disconnection of supply of water for the labour and the members of the staff of the mill?

श्री टीकाराम पालीवाल—The town of Ganganagar has got a system of water supply, however satisfactory or unsatisfactory may be. The mill used to take power from the Government, but they did not pay for the consumption inspite of repeated warnings. They were given prior notice that the power connection will be disconn-

[श्री टीकाराम पालीवाल]

ected unless they pay. From their behaviour it seemed they had no intention to pay at all. Therefore power connection was disconnected. I do not see any reason why there should be any sympathy for them in any corner of this House.

कु० श्री जसवन्तसिंह—I do not know as to how the question of sympathy arises, I am asking information and I would assure the Hon'ble Minister that I have the least sympathy for them. But I am entitled to ask for information. If he grudges in giving the information that is a different thing...

श्री टीकाराम पालीवाल—No that.

कु० श्री जसवन्तसिंह—(अपना प्रश्न जारी रखते हुए) The Second question that arises is whether the power House authorities or the Government entered into any agreement with the mill as to the rates and other particulars of the electric energy that may be supplied to this mill? Whether they have entered into any agreement regarding the rate of supply.

श्री टीकाराम पालीवाल—I did not know whether such questions of rates and agreements will also arise. I have not brought any agreement before the House but I may say there is an agreement and the rates were charged according to that agreement.

कु० श्री जसवन्तसिंह—Can this agreement be placed on the Table?

श्री टीकाराम पालीवाल—The Government will consider, if it is necessary. There is nothing to hide about the agreement. If necessary and if the Members insist upon a copy of the agreement on this particular point, the Government will consider the question.

कु० श्री जसवन्तसिंह—The question of hiding does not arise. I will request my Hon'ble friend that there should be no suspicion on the person asking the question on the floor of the House. I simply like to know how this amount totalling Rs. 8 lacs and odd were allowed to accumulate and why no early steps were taken to effect recovery of this due?

श्री टीकाराम पालीवाल—It is unfortunate that earliar steps wers not taken As a matter of fact this amount should not have been allowed to accumutale. Somehow it was allowed to accumulate and the management, as a matter of fact, took

Page No.35

[श्री टीकाराम पालीवाल]

more dilatorg steps, they adopted delaying tactics, They did not deny to pay, but cleverly enough put off the payment on one pretext or the other. Therefore the dues got accumulated.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Whose responsibility does the Hon'ble Minister think it was about the accumulation of such a huge arrear to the tune of Rs. 8 lacs of rupees ?

श्री टीकाराम पालीवाल—Well, the responsibility certainly is of the cleverness of the management of the Sadul Textile Mills and some due to lack of vigilance on the part of the Government also.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Does the oHn'ble Minister realise that by closing this mill the manufacture of cloth has completely come to a standstill and the shareholders, of whom the Government is also one of the big share-holders, are also losing substantial amount ?

श्री टीकाराम पालीवाल—सबकी जानकारी के लिए मैं हिन्दी में जवाब दूंगा ।

श्री अध्यक्ष—Is the question is so important, we can put it for half-an-hour discussion; if the required information is not readily available.

श्री टीकाराम पालीवाल—That may be made available very soon.

कुं० श्री जसवन्तसिंह—Day after tomorrow we may have it.

श्री टीकाराम पालीवाल—I will be very glad.

एक माननीय सदस्य—He has agreed. The Minister has agreed.

श्री अध्यक्ष—Then we will drop it here. We will have to sit for a longer time. we have already got other half-an hour discussions.

श्री टीकाराम पालीवाल—I am prepared for tomorrow.

श्री अध्यक्ष—We have it. The formal application will be made by the member concerned.

[श्री अध्यक्ष]

Next, Shri H. K. Vyas.

प्रश्न संख्या १८६६

सन् १९५३-५४ में पीली बंगा डिविजन के लिए स्वीकृत रकम तथा एक्स इन्जीनियर टी० बी० सिंह के विरुद्ध शिकायतें

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for P.W.D. (Irrigation) be pleased to answer:—

(a) How much amount was sanctioned for division pili Bangan for the year 1953-54 ?

(b) How much of it was actually spent ?

(c) Has any amount out it been spent for the purchase of machinery tc. ? If so, how much ?

(d) Was proper sanction obtained before incurring the expenditure ?

(e) Have the minors in the pili Bangan Division been completed ? How much land received water from the canal in this division ?

(f) Has the Government received any complaint against the ex-Engineer, Shri T. B. Singh ?

(g) If so, was any enquiry conducted ? What are the results of the enquiry ?

श्री टीकाराम पालीवाल (सिंचाई मंत्री)—इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं आ सकी है।

श्री अध्यक्ष—We can switch on to the next over.

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या हुआ साहब ?

श्री अध्यक्ष - Questions are over.

(हंसी)

Time is up.

कु० श्री जसवन्तसिंह—whose time is up ? The Hon'ble Member's ?

श्री अध्यक्ष—The question-hour. Already we are 15 minutes late.

श्री हरिकृष्ण व्यास—I did not think that the time was so influenced by my presence.

श्री अध्यक्ष—The questions were put even in your absence..

सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व मैं सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री भानुप्रतापसिंह, डि० नं० १४ ने तारीख १८-८-५४ से पूर्ण सत्र तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि उनको अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृति)

आज्ञा प्रदान की गई।

(विराम)

Now Legislative Business.

("हाफ एन अवर डिस्कशन का क्या हुआ ?" इस प्रकार की आवाज)

श्री अध्यक्ष—After 12 O' clock,

राजस्थान कृषि भू-धारण विधेयक, १९५३

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, कल इस क्लॉज़ पर काफी वादविवाद हुआ था और कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि एक तरफ तो इजेक्टमेन्ट के खिलाफ बहुतसी क्लॉज़ेज़ रखी गई हैं और इस क्लॉज़ के अन्दर डेटरीमेन्टल एक्ट्स और एक्ट्स ऑफ ओमिशन्स . अन्दर इजेक्टमेन्ट के बारे में गुन्जाइश रखी गई है वह उचित नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आम तौर से इस प्रकार की क्लॉज़ेज़ सभी कानूनों के अन्दर अलग अलग राज्यों में विद्यमान हैं। डेट्रीमेन्टल एक्ट्स के बारे में एक ने कहा कि कुछ साल जमीन पड़ी रही और उसने क्या कह कर ओमिशन किया है, तो उसको इजेक्ट कर दिया गया। एक ने कहा कि वाटर लॉक हो गया

श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

है तो इजेक्ट हो जायगा। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का समावेश होने की इसमें गुन्जाइश नहीं है। एक माननीय सदस्य ने यह भी अमेन्डमेन्ट मूव किया था कि इसमें इस बात की गुन्जाइश रहनी चाहिए कि अगर कोई कन्टेस्ट हो तो सूट के तौर पर वह ट्राई हो, और बाद में उसका फैसला दिया जाय बजाय इसके कि आउट राइट उसका फैसला हो जाय। माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी इजाजत से इस क्लॉज़ को इस रद्दोबदली के साथ स्वीकार करना चाहूंगा और उस रद्दोबदली के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वह निम्न प्रकार से हो, ताकि स्टेट गवर्नमेन्ट को भी इजेक्ट करने का, उन क्लॉज़ेज़ में समावेश हों तो, अधिकार हो जाय उसमें रद्दोबदली इस प्रकार होगी कि:—

In clause 129 :

"(a) in sub-clause (1), omit the words 'on the suit of the landholder:' and (b) in place of sub-clause (2) substitute the following sub-clauses :—

"(2) The Tehsildar within the local limits of whose jurisdiction the holding of a tenant referred to in sub-clause (1) is situate, shall suo moto in case it is helddirectly from the Government or in the application of the landholder, and other cases, issue a notice to such tenant to appear within such time as may be specified therein and show cause why he be not ejected from his holding.

(3) To every proceeding under sub-section (2), any person claiming to be a tenant may join as a party where the cause of action is based wholly or partly on any act or omission or on breach of condition by transferee or sub-lessee of the tenant, such transferee or sub-lessee shall join as a party.

(4) If in response to the notice issued under sub-section (2), an appearance is madewithin the time specified therein and the notice is contested, the Tehsildar shall forward the case to the Assistant Collector having jurisdiction who shall procesdwith the case on the payment of proper court fee, as if it were a suit for ejecment Provided that—

(i) in the event of the notice having been issued by the Tehsildar, suo moto, no court fee shall be payable, and

(ii) if no such appearance is made and the notice is not contested, the Tehsildar shall forward the case for orders of the Assistant Collector having jurisdiction.' "

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

तो, अध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन के बाद, मैं समझता हूँ, सिर्फ आरबीट्रेरी इजेक्टमेंट की गुंजाइश थी उसके बजाय स्टेट के द्वारा इजेक्ट हो सकता है। इससे हर टिनेन्ट को अपनी बात को रिप्रेजेन्ट करने का मौका मिल जाता है। इसलिये मैं आशा करता हूँ कि इस रद्दोबदल के साथ सदन इस क्लॉज़ को स्वीकार करेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—इसकी कॉपी मिल जाती तो हम देख लेते कि इसका मतल क्या होता है?

श्री भैरोंसिंह—माननीय अध्यक्ष, इसकी कॉपी तो सकुंलेट होनी चाहिये थी।

श्री अध्यक्ष—इसकी कॉपी मेरे पास भी नहीं आई है।

(विराम)

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय अध्यक्ष, यह जो संशोधन इस धारा में प्रस्तुत किया गया है उससे मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रश्न पर कल यहां बहस हुई थी उससे जुदा ही मसले पर संशोधन इन्ट्रोड्यूस किया गया है। कल यहां बहस मुख्यतः इस सवाल पर नहीं हुई थी कि प्रोसीजर क्या होना चाहिये? बहस मुख्यतः इस सवाल पर हुई थी, कि इजेक्टमेंन्ट की पर्मिशन देने के सिलसिले में जो प्रोविज़न्स यहां रखे गये हैं वे रखने वाजिब हैं या नहीं? मसलन सब क्लॉज़ (1) के पार्ट(ए) में ओमीशन रखा है यह वाजिब है या नहीं अथवा इसी सब क्लॉज़ (1) पार्ट एम "Inconsistant with the purpose or which it was let" रखना ठीक होगा या नहीं होगा? मेरा ख्याल है कि इस प्रश्न पर विचार करने के बजाय केवल एक प्रोसीजर में तब्दीली कर दी गई है जो करीब करीब क्लॉज़ १२६ में inherent है।

लैन्ड होल्डर कोई डंडा मार कर तो उस को निकाल नहीं देगा, उसके लिये उसको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। जिसके लिये अलग से नियम हैं, उसको क्लासीफाई कर दें, यह ठीक है। किन्तु इसेन्सियल पॉइन्ट यह है कि अभी तक इसका कोई ठीक तरह से निर्णय नहीं निकला। कल जब बहस हो रही थी तो माननीय अध्यक्ष, यह कहा जा रहा था कि अगर हम इस प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं रखते हैं तो कुछ लोग, काश्तकार लोग या ऐसे लोग जो थोड़े अर्से के लिये काश्तकार का काम करने के लिये आये, वे इसका मिस्‌यूज़ करेंगे। जहां तक मैं समझ पाया हूं उधर बैठने वाले माननीय मित्र ने जोर से इस क्लॉज़ के पक्ष में बात कही। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि ऐसी क्लॉज़ न रखने का तात्पर्य यह होगा कि कुछ लोग उसका मिस्यूज़ करेंगे। मेरा यह कहना है, माननीय अध्यक्ष, कि हजारों में से एक आदमी इस क्लॉज़ के अभाव की परिस्थिति में मिस्यूज करेंगे तो उसके विपरीत हजार में से ९९९ आदमी इस क्लॉज़ को रखने की परिस्थिति

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

में मिस्यूज करेंगे तो आप किस तरह के मिस्यूज़ का खतरा उठाने के लिये तैयार हैं ? यह सही है कि ऐसे कई आदमी निकल सकते हैं जो जान बूझकर खुराफात की तौर पर पेश आयें उनके लिये मैं तो यह कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हम यह रख दें "On the willful act detrimental to the polding' जान बूझकर कोई ऐसा काम करे, जिससे होल्डिंग को नुकसान हो इसमें आप चाहें तो उसको कवरअप कर लें। लेकिन इसमें जहां तक ओमिशन का ताल्लुक है, "in consistent with purpose for which it was let" तो इन चीजों के रखने का तात्पर्य यह होगा कि हम गुंजाइश रखेंगे इस बात की कि क्लॉज़ का मिस्यूज़ किया जाय।

कल भी यह कहा गया था कि अगर कुछ लोगों को सरकार जमीन देती है, उस संबन्ध में कोलोनाइजेशन की भी बात कही गई, मुझे याद है वे मित्र आज उपस्थित नहीं हैं जिनके पास कोई आमदनी का जरिया नहीं है, उनको जमीन देकर आमदनी का जरिया पैदा करते हैं। उस जमीन को नाजायज तरीके से इस्तेमाल करता है तो क्या हमको इतना ही अधिकार नहीं होना चाहिये कि हम उस जमीन को वापिस लेने की कार्यवाही करें ? दलील तो बहुत दुरुस्त है और बहुत पसन्द आने के काबिल है, किन्तु खुशी तो तब होती जब सरकार की ओर से काश्त करने के लिये किसी को जमीन दी गई हो और उसने उस जमीन का दुरुपयोग किया हो, और ऐसी हालत में सरकार की ओर से कार्यवाही करने के बारे में जो आतुरता कुछ लोगों के दिल में आ रही है, वही आतुरता पहले ठीक दूसरे मामलों में, तो इस्तेमाल करके देखते। मशीन तकावी लोन के आठ-आठ दस दस हजार रुपये लोगों ने लिये, ट्रैक्टर के नाम से कर्जा लिया, किन्तु ट्रैक्टर नहीं खरीदे। उसके लिये आपने क्या किया तो फिर इसका दुरुपयोग करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही करने में आप क्यों आतुरता दिखाते हैं ?

(राज श्री हिम्मत सिंह अटरू ९ -३० बजे पदासीन)

श्री सभापति— Come to the point.

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, दुरुपयोग करने की जो बात कह रहे हैं, इसके लिये मुझे कहने की आवश्यकता पड़ी। दुरुपयोग का भी कोई जनरल स्टेंडर्ड होना चाहिये।

जिन जिन चीजों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनमें से केवल एक चीज को पेनेलाइज़ करना, और बाकी सबके दुरुपयोगों के लिये दुर्लक्ष्यपूर्ण नीति अख्तियार करना यह कोई उचित बात नहीं है। तो इसीलिये मैं कहूँ कि वह एक रिलेवेन्ट (relevant) क्लॉज़ है कि जो क्लॉज़ इस प्रिन्सिपल (सिद्धान्त) को गवर्न करता है। तो मशीनरी तकावी के लिए हजारों रुपया दिया गया, उनका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है, उसको रोकने के बारे में हमारी आतुरता क्यों नहीं आई सामने

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

सवाल यह नहीं है। सवाल दरअसल यह है कि आप किस तरह के दुरुपयोग को दूर करना चाहते हैं ? मेरे नागौर से आने वाले मित्र ने यह कहा कि मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट में यह धारा थी, जयपुर टिनेन्सी एक्ट में भी यह थी और अभी राजस्व मन्त्री ने कहा कि और भी दूसरी दूसरी रियासतों में यह क्लॉज़ है और उसका आज तक तो कभी दुरुपयोग नहीं हुआ, तो फिर हम क्यों इस बात की वजह से परेशान हों कि आगे चल कर इसका दुरुपयोग होगा।

मैं मेरे उन मित्रों से कहना चाहता हूँ कि यदि इस क्लॉज़ का दुरुपयोग यहां नहीं होगा, ऐसा उनका कहना है, जो कि उनका कहना है कि यह तथ्यपूर्ण है तो यह मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। यदि इस क्लॉज़ का दुरुपयोग नहीं होगा तो मैं कहना चाहता हूं कि आप इसके लिए इन्फोर्मेशन देने की कृपा करें, व आप इसके कुछ तथ्यपूर्ण आंकड़े तो बता दें। केवल दूसरे और मामूली कारणों की वजह से इजेक्टमेंट की एप्लीकेशन्स में ऐसा अगर क्लेम नहीं किया गया है, दो-दो तीन तीन पर्सेन्ट तो आपकी बात तथ्यपूर्ण मान लेता हूँ।

श्री नाथूराम मिर्धा—मारवाड़ टिनेन्सी बिल में एक भी अर्जी में ऐसी ग्राउन्ड अगर आप बता दें तो मान लूंगा मैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं एक्सेप्ट करता हूं और इस बिल की क्लॉज़ के लिये यह चाहता हूं कि यह तब तक के लिये पोस्टपोन कर दिया जावे। मैं ऐसी एक नहीं ११ अर्जियां देने की कोशिश करूंगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—यह कानून मारवाड़ का नहीं, राजस्थान का है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मुझे खुशी है कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ सलाह दी, पर बेहतर यह होता कि अपने पास में बैठने वाले मित्र को वे यह सलाह देते तो ठीक होता।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—दूर हैं भाई।

श्री सभापति—आप अपनी स्पीच जारी रखिये।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं तो जरा जवाब दे रहा था।

श्री सभापति—नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह मान भी लिया जावे बहस के लिये कि ऐसा कोई दुरुपयोग नहीं हुआ तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी एक भी आवश्यकता प्रतीत हुई कि जिसमें किसी काश्तकार के द्वारा under these provisions, detrimental act, को पैनेलाइज़ करने के लिये क्लॉज़ न होने की वजह से हमारे हाथ बांध दिये गये हों।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अभी अभी माननीय मन्त्री महोदय कह चुके हैं कि यह क्लॉज़ थी अन्त में, लेकिन इसको डेट्रीमेन्टल करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब क्या है? यह है कि अगर काश्तकार की तरफ से कहीं किसी भी प्रकार का डेट्रीमेंटल एक्ट किया गया होता तो इसकी जरूरत पड़ती, पर किया नहीं गया, तो फिर इस क्लॉज़ के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ी। पर लैण्ड होल्डर के लिये ऐसा कोई प्रोविजन नहीं तो यह पार्शियलिटी क्यों? काश्तकार के लिये इस क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ी तो that is a thing not only to the credit of the landholders at all, but it is more to the credit of the tenants who have never given an occasion to make an application. मैं यह अर्ज करूंगा, माननीय चेअरमेन, कि इस क्लॉज के दुरुपयोग की आवश्यकता न पड़ी तो इसका क्रेडिट लैन्ड होल्डर को नहीं, काश्तकार को है कि जिसने ऐसा मौका ही नहीं आने दिया कि कोई कह सके कि तुमने जमीन के नुकसान के सिलसिले में कोई कदम उठाया है।

पर आज हम ऐसी परिस्थिति में रह रहे हैं जो परिस्थिति पहले नहीं थी। मारवाड़ टिनेन्सी एक्ट जब पास हुआ था अथवा जयपुर टिनेन्सी एक्ट जब पास हुआ था, तब राजस्थान के बुनियादी एक्ट के सिलसिले में कोई कानून नहीं बना था।

उस वक्त न जागीर रिजम्पशन एक्ट की बात थी और न जागीर रिजम्पशनएक्ट केबारे मेंकोई प्रोविजो ही था। जमीन्दारी, जागीरदारी व्यवस्था को खतम करने के बारेंमें कोई बात तक नहीं थी उस जमाने में। पर आज हमें यह सोचना है कि उन कानूनों को जिनमें से एक को हमने पास कर दिया और दूसरा या तीसरा कानून भी बजट अधिवेशन में हम पास करने वाले हैं उनकी वजह से जो उथल पुथल मची है, आज जमीन का कब्जा एक बुनियादी चीज बन गई है, इसका नतीजा आगे चलकर क्या होगा इसको आज हमें सोचना है। पहले की और आज की सारी पृष्ठभूमि ही बदल गई है। शायद मेरे मित्र इस बात से परिचित होंगे कि आज से दस साल पहले जमीन देते समय, उन्हें गौर करना चाहिये कि दस बारह पन्द्रह साल पहले ऐसा भी जमाना था कि लैन्ड होल्डर काश्तकार के पास जाता था और कहता था कि मेरी जमीन पड़त पड़ी है तुम जाकर उसको काश्त करो। पर वह जमाना आज खतम हो चुका है। लैन्ड होल्डर और टिनेन्ट के बीच के वे रिलेशन आज खतम हो चुके हैं। आज जमीन का कब्जा राजस्थान के एग्रीकल्चरल रिलेशन्स का एक बुनियादी उसूल बन गया है इसलिये हम आज यह नहीं मानकर चलें कि इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता।

पर हमें तो यह भी सोचना पड़ेगा कि यहां कोर्ट कुछ इन्टेन्शन्स हमें देगा। The Court will attribute some intention to us, हम यहां पर चाहे उतनी गम्भीरता से विचार करें या नहीं, चाहे उस सारी घटनाओं पर और सारे पहलुओं पर विचार अपने सामने लावें या नहीं, पर जो कोर्ट

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

उनको इन्टरप्रेट करेगा वे तो यह मानकर चलेंगे कि कानून बनाते समय इस कानून की धाराओं में लेजिस्लेचर ने बहुत अक्लमन्दी से एक क्लॉज़ पर काफी सोच समझ कर एक एक शब्द इसमें रक्खा होगा। और इसलिये जब आप पाबन्दी लगाते हैं एक्ट और ओमीशन की वजह से और किसी कारण से इजेक्टमेन्ट का मौका आता है, और बाद में जब विरोध होता है तो प्रोसीजर मुकर्रर कर देते हैं कि तहसीलदार के सामने दावा होगा। दावे की मांग नहीं है किन्तु काश्तकार की मांग है, बेदखली पर रोक लगाने की। और इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि जो अमेन्डमेन्ट आज राजस्व मंत्री ने पेश किया है वह इस उसूल को आगे नहीं बढ़ाता है इसलिये मैं उनसे यह निवेदन करूंगा कि वे इसे स्वीकार न कराएं और मेरा जो संशोधन है वह सदन के सामने प्रस्तुत किया जावे मत के लिये। मैं तो अब भी दरख्वास्त करूंगा कि केवल 'डेट्रीमेन्टल एक्ट' शब्द को कायम रखकर बाकी सब को सब क्लॉज़ तो तर्मीम किया जावे जिससे मिनिमम रेस्ट्रिक्शन्स के साथ मेजर मिसयूज के बारे में हम रोक लगा सकें।

इस दरख्वास्त के साथ में अपना संशोधन पेश करता हूं और राजस्व मंत्री की अनुमति के लिये प्रस्तुत करता हूं। जैसा मैंने बताया इसमें कुछ तब्दीली खुद भी मानने को तैयार हैं और वह यह है "Any willful act betrimental to the land" यहां तक इसको महदूद कर दिया जावे। इसके आगे न बढ़ाया जावे।

(श्री मथुरादास माथुर बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री सभापति—आप किस पर बोलना चाहते हैं? इस पर और तो कोई क्लॉज़ ही नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर—राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज़ नहीं किया है।

श्री मथुरादास माथुर—(जारी) माननीय चेयरमेन, जोधपुर से आने वाले माननीय साथी ने जो तकरीर आज की, करीब करीब वही विचार उन्होंने कल सदन के सामने रखे थे....

श्री हरिकृष्ण व्यास—मेरे तो रोज एक ही विचार रहते हैं, आज एक और कल दूसरे नहीं होते हैं।

श्री मथुरादास माथुर--विचार भी वही थे इसलिए आज बोलने की आवश्कता नहीं थी। मगर फिर भी आज की तरमीम पर इसके बाद दूसरी दफा बोलने का हक मिलता है तो उन्होंने अपनी हक अदायगी की।

मुझे इतना ही अर्ज करना है, वैसे कहने को तो बहुत कुछ कहा जा सकता है इस क्लॉज़ के बारे में। मगर उनकी दलीलों को मानते हुए, और यहां तक कि वे खुद ही कबूल करते हैं कि जहां

[श्री मथुरादास माथुर]

तक कोई ऐसा एक्ट 'डेट्रीमेन्टल टू दी लैंड' हो तो उसके लिए इसमें रख दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—As a compromise !

श्री **मथुरादास माथुर**—'As a compromise' वह कह रहे हैं मगर फिर भी अगर आप इस क्लॉज़ को गौर से पढ़ें तो "act or omission detrimental to the land" यानि जमीन को बिगाड़ा जा सकता है, बुरे इरादे से कोई काम किया जाय, उस जमीन पर जिससे कि वह जमीन बिगड़ जाय, और कोई काम नहीं करके ऐसे जिससे कि जमीन बिगड़ जाती है। अगर मान लीजिये, किसी जमीन पर गोब खड़ा हुआ है और वह किसी को सब-लेट कर दी गई है, और वह उससे कह देता है "भाई इन पेड़ों की देखरेख रखना।" लेकिन वह उन पेड़ों की तरफ तवज्जह नहीं देता है और पेड़ सब बरबाद हो गये। तो आखिर कोई आदमी अपनी जमीन को देता है कि जमीन से दूसरा भी कमाये और कुछ हिस्सा उसको भी मिले जो कि जायज़ है, और वह इसलिए नहीं देता है कि जो उसकी मिल्कियत है, जो जमीन है, जिस के जरिये उसे रोजी कमाने का अधिकार मिला हुआ है, हक मिला हुआ है, उसको कोई आदमी बरबाद कर दे, इसलिए यह "ऑमीशन" लब्ज रखा गया है। यह कोई नई चीज़ नहीं रखी है। यू. पी. के कानून में जो कि काफी प्रगतिशील समझा जाता है इन मामलों में, उसमें भी यह चीज़ मौजूद है, और यह क्लॉज़ उसकी हूबहू नकल है। उसके लिए यू. पी. में यह क्लॉज़ काफी अर्से से मौजूद है और कई केसेज़ हाई कोर्ट में और रेवेन्यु बोर्ड में इसी पर तय हुए हैं कि कौन सा काम 'ऑमीशन' का समझा गया है और कौनसा कमीशन का समझा गया है। यह सब बातें उसमें दर्ज हैं। माननीय चेयरमेन, ऑमीशन कमीशन एक्ट में यह सीधी सी बात है कि जो असल में जान-बूझकर किया जायगा, या इस बात की नेग्लीजेन्स होगी जिससे कि जमीन को नुकसान हो जाय, तो वह भी उसकी तारीफ में आयेगा। यह "एक्ट ऑर ओमीशन" कानूनी लब्ज हैं जो कि दूसरे कानूनों में भी इस्तेमाल में लिये गये हैं और वहां पर इनके बारे में काफी विस्तार पूर्वक चर्चाएं हुई हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि वे किन किसानों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं? या तो उन लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं जो कि जानबूझकर जमीन को खराब करेंगे, या उन लोगों को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं जो कि अपने फर्ज को अदा नहीं करेंगे जिसके लिए कि उनको जमीन दी गई है। हम किसान के हित के बराबर हामी हैं। हमने कानून को बनाते हुए इधर उधर के साथियों की नाराजी को बर्दाश्त किया है, लेकिन यह भावना नहीं रखी है कि रोंग डूअर्स (wrong doers) को प्रोटेक्शन दें। कोई कानून, माननीय चेयरमेन, ऐसा नहीं बनाया जा सकता है जो कि 'रोंग डूअर्स' को प्रोटेक्शन दे। इसलिए मैं समझने में असमर्थ हूं, कि जो विचार उन्होंने रखे हैं वे कम से कम इस बात के लिए तसल्ली नहीं दिलाते हैं कि हम किसानों के साथ इन्जेक्टमेन्ट...

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—आप मजबूरी से बोल रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर—मैं मजबूरी से बोल रहा हूं, या आप किसी के आदेश से बोलते हैं; यह सदन जानता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—अभी तक तो आदेश देने का काम मेरा है जहां तक इस सूबे का ताल्लुक है।

श्री मथुरादास माथुर—यह चिढ़ावा कॉन्फ्रेन्स के बाद में नजर आता है।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—व्यवस्था को उखाड़ने का आदेश देना हमेशा इन्हीं का काम है।

श्री मथुरादास माथुर—(अपना भाषण जारी रखते हुए) उनको मौका दिया जाना चाहिए। इन क्लाज़ेज़ पर विस्तारपूर्वक चर्चाएं करने में उनकी अदम मौजूदगी कुछ चन्द दिनों के लिए काफी महसूस हुई थी। इसलिए जहां तक उन्होंने विचार रखे, उनका स्पष्टीकरण करने का मौका दिया, वह बहुत ठीक है। मगर वह खुद अपनी दलील में मान लेते है कि 'एक्ट ऑर ऑमीशन' की बात ठीक है, और 'ऑमीशन' का लब्ज हटा दिया जाय तो मैं कहता हूँ कि 'ऑमीशन' भी इस किस्म का हो सकता है, जैसा कि मिसाल में कहा गया। वह काफी डेट्रीमेंटल होता है। इसके लिए रूलिंग्स ऑफ हाई कोर्ट एन्ड रेवेन्यु बोर्ड के हैं। उनमें सब में इसको विलफुल एक्ट (willful act) माना गया है। क्लॉज़ में सभी विलफुल एक्ट नहीं होने पर भी इसकी तारीफ में लिया गया है। इसलिए उनको इस बात का कोई खतरा नहीं होना चाहिए।

अब रही दूसरी बात कि पहले जमाना कुछ और था, और अब जमाना बदल गया है। यह रोज हम भी कहते हैं। नई बात नहीं कही है उन्होंने। इजेक्टमेंट नहीं हो तथा और अब इजेक्टमेंट ज्यादा होने की गुन्जाइश है। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि यू० पी० में लैंड पर प्रेशर है और यू० पी० में होल्डिन्ग बहुत छोटे हैं। वहां लैंड पर प्रेशर कई गुना ज्यादा है फिर भी आप यू० पी० के कानून की कमेन्ट्री को पूरी पढ़ जाइये तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि वहां पर इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी कभी यह प्रोब्लेम सामने नहीं आया है। पांच से दो पर्सेन्टेज़ बताने का यहां प्रयत्न किया गया है वह नहीं हुआ है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Please go to Balia and Azamgarh.

श्री मथुरादास माथुर—बलिया तो वह जाते हैं जो हमारे यहां चौमू में जाया करते हैं इसलिए वहां जाने की जरूरत नहीं।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—चौमू कौन जाया करते हैं ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आप जाया करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर—बलिया और आजमगढ़ को राजस्थान के नुक्ते निगाह से देखें।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यू. पी. की मिसाल दी, इसलिये बलिया और आजमगढ़ की जानकारी तो आपको जरूर रखनी चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर—मैं पांच साल वहां यू. पी. में रहा हूं और बलिया को आपसे ज्यादा समझता हूं और बलिया से आने वालों से मिलता भी हूँ।

श्री हरिकृष्ण व्यास—तभी हवा...

श्री सभापति—please stop this topic.

(श्री कपिलदेव से) क्या आप भी बोलेंगे ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब की तरमीम पर बोलूंगा। माननीय चेयरमेन साहब...

श्री हरिकृष्ण व्यास—ओन ए प्वाइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन सर, यह हो क्या रहा है ? क्या यह जनरल डिस्कशन हो रहा है या राइट ऑफ रिप्लाई हो रहा है ?

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आपने क्या किया था ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना राइट ऑफ रिप्लाई समझकर बोला था लेकिन मुझे अपनी ओपीनियन चेन्ज करनी पड़ रही है, इसलिए क्लेरिफिकेशन मांग रहा हूं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आपने किस एमेंडमेंट के राइट ऑफ रिप्लाई पर बोले थे ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपने एमेंडमेंट के राइट ऑफ रिप्लाई पर बोला था।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—हम ठीक अभी तक आपको पता कहां दे रहे हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह रूलिंग माननीय चेयरमेन देंगे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—जो एमेंडमेंट माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने इस सदन में अभी पेश किया है उसके लिए हम अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—ठीक।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—आपके 'ठीक' से क्या हुआ ?

श्री सभापति—वैसे स्पीकर महोदय इसमें अपनी रूलिंग दे चुके हैं कि अन एटेन्ड मेम्बर्स ही ऐसे एमेंडमेंट पर बोलें जो कि मिनिस्टर महोदय ने मूव किया है, और दूसरे सदस्य इस एग्रीड एमेंडमेंट पर अपने विचार प्रकट नहीं करें। इसलिए ठीक यह है कि आप (श्री कपिलदेव) इस बात पर नहीं बोलें।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—नहीं बोलें ? मेरा तो अधिकार है। मेरा एमेंडमेंट है उसका जवाब दूंगा। मेरा आगे एमेंडमेंट है उस पर सब बोल दूंगा। मेरा बोलने का अधिकार है।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय चेयरमेन, मेरा एक एमेंडमेंट है...

श्री सभापति—आपका एमेंडमेंट डिसअलाऊ हो गया है क्योंकि मिनिस्टर महोदय...

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय चेयरमेन, यह डिसएलाऊ कैसे हुआ ? मेरा एमेंडमेंट तो पहले दिया हुआ था।

श्री सभापति—पहले और बाद की बात नहीं। डिसएलाऊ कर दिया गया है। अगर आप अपने अमेंडमेंट के जवाब में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। Don't gobeyond this.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मि० चेयरमेन सर, जो मैंने यह एमेंडमेंट रखा है उस सूरत में मुझको क्या करना पड़ेगा यह मैं समझता हूं, फिर भी आप जो इजाजत देंगे उसकी तामील करूंगा।

श्री सभापति—आपका अपना अमेंडमेंट दूसरा है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मेरा एमेंडमेंट दूसरा है लेकिन उस एमेंडमेंट पर यह एमेंडमेंट होता तो फिर मेरा क्या कर्तव्य हो जाता है ?

श्री सभापति—शायद आपको मालूम नहीं अपना अमेंडमेंट। आपके अमेंडमेंट को पढ़कर सुनाता हूं।

"In item (b), in place of the word and figure "Section 3" the words "this Act" be Substituted.'

श्री सभापति—(श्री हिम्मतसिंह)इसी के ऊपर आप सीमित रहें और इसी के ऊपर आप जवाब दे दें।

Page No.48

श्री जवानसिंह—That has been accepted.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—So far not. अभी क्लॉज़ १२९ पर बहस चल रही है, एक्सेप्टेन्स और नोन एक्सेप्टेन्स का प्रश्न नहीं चल रहा है।

श्री सभापति—Do not waste time. If you want to reply, reply; otherwise you will waste your time.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं यह गुजारिश करना चाहता हूँ माननीय चेयरमेन, कि क्लाज़ (१२९) जो मौजूदा स्थिति में माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर ने पेश किया है उसमें यह लिखा है :

" '(4) If in response to the notice issued under sub-section (2) an appearance is made within the time specified therein, and the notice is contested, the Tehsildar shall forward the case to the Assistant Collector having jurisdiction who shall proceed with the case on payment of proper court fee as if it were a suit for ejectment:

Provided that (i) in the event of a notice having been issued by the Tehsildar suo moto no court fee shall be payable, and (ii) if no such appearance is made and the notice is not contested, the Tehsildar shall forward the case for the order of the Assistant Collector having jurisdiction."

तो इसका मतलब मैं यह समझा कि तहसीलदार जो नोटिस देगा उसका जवाब कोई टिनेन्ट दे या नहीं दे, हर सूरत में वह एस. डी. ओ. या असिस्टेन्ट कलेक्टर के पास चला जायगा तो फिर ये २ सब क्लॉज़ रहे हैं कि कोई खातेदार है तो भी चला जाय और नहीं है तो भी चला जाय। मेरी समझ से ये हेप्पी वर्डिंग्ज़ नहीं हैं। या तो यह हो कि तहसीलदार नोटिस देकर उसको डाइरेक्ट कर दे कि फलां तारीख को एस. डी. ओ. के पास हाजिर हों। फिर उस काश्तकार की मर्जी है, वह एपीअर हो या न हो। नोटिस नहीं देने से क्या नतीजा निकलेगा ? दूसरे क्लॉज़ में यह बात है कि हर सूरत में एस. डी. ओ. के पास जाना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल से मन्त्रीजी की मन्शा यह है कि गवर्नमेंट लैंड के ऊपर सूट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तहसीलदार नोटिस दे दे और एस. डी. ओ. उसको डिसाइड करे, तो गवर्नमेंट लैंड के लिए तो यह ठीक है लेकिन लैंड होल्डर के लिए तो यह सूट हो जायगा। इसलिए तहसीलदार के पास जाकर फिर उसको एस. डी. ओ. के पास आना पड़ेगा। एक स्थिति यह हो सकती है कि तहसीलदार के सामने आने के बाद वह राजी हो जाय तो उसके लिए नोटिस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि यह भावना है तो यही नोटिस असिस्टेन्ट कलेक्टर दे सकता है। बजाय तहसीलदार के यह नोटिस एस. डी. ओ. दे सकता है on the applica-

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

tion of the land holder और फिर सूट कोर्ट फीस देने के बाद दायर हो सकता है। इसके बीच में तहसीलदार को अड़ाना ठीक नहीं होगा। यदि गवर्नमेंट लैंड है तो तहसीलदार सूओ मोटो नोटिस दे सकता है और फिर एस. डी. ओ. के पास भेज सकता है। एक बात और है :

"Provided that in the event of the notice having been issued by the Tehsildar suo moto no court fee shall be payable."

कोर्ट फीस पे नहीं करनी होगी लेकिन क्या गवर्नमेंट लैंड पर भी सूट ही होगा ? मेरे ख्याल से यह भावना नहीं है। गवर्नमेंट से डाइरेक्टली टिनेन्ट का सम्बन्ध है। वह एक तरफ मुद्दई बन कर कोर्ट फीस दे यह नहीं समझा जायगा। वह सूट नहीं हो पायगा। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट लैंड के लिए यही है कि तहसीलदार नोटिस की कार्यवाही करे और एस. डी. ओ. के पास भेज दे। एस. डी. ओ. यदि चाहे तो इजेक्टमेंट की कार्यवाही करे, विदाउट कन्टेस्ट के क्योंकि इसमें लिखा है :

"Provided that in the event of the notice having been issued by the Tehsildar suo moto no court fee shall be payable."

सिर्फ कोट फीस गवर्नमेंट को माफ कर दी है बाकी :

If in response to the notice issued under sub section (1) an appearance is made within the time specified therein, and the notice is contested then the Tehsildar shall forward the case to the Assistant Collector having jurisdiction who shall proceed with the case on payment of court fee as if it were a suit for ejectment —

और लैंड होल्डर को नोटिस भी है :

It means that for Government land also it will be a suit for ejectment.

तो यह हम कभी नहीं समझते है कि गवर्नमेंट लैंड के लिए भी यह सूट समझा जायगा. इसलिए इसमें डिफरेन्स है। इसलिए मेरा सुझाव है कि लैंड होल्डर के केस में तहसीलदार को नोटिस देने की जरूरत नहीं है "before filing the suit." जिनको सुनवाई करने का अधिकार है वे ही विदाउट सूट नोटिस दे दें कि वह काज शो करे कि उसको क्यों नहीं इजेक्ट कर दिया जाय, वरना बाकायदा इजेक्टमेंट का दावा कर दिया जायगा। In the case of Government land तहसीलदार सूओ मोटो नोटिस दे, और वह काश्तकार आकर कहता है कि मैं कुछ दिनों में दे दूंगा या कन्टेस्ट करता है तो फिर ऑर्डर के लिए कागजात एस. डी. ओ. के पास भेजे जांय। लेकिन उसको सूट नहीं समझा जाय बल्कि प्रोसीडिंग ही समझा जाय।

Page No.50

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

जहां तक "ओमिशन" का प्रश्न है उस पर काफी बहस हो चुकी है, काफी वाद-विवाद हो चुका है। मैं समझता हूं कि यदि सरकार "एक्ट" को कायम रखती है तो "ओमिशन" को भी कायम रखना पड़ता है। क्योंकि "ओमिशन" का मतलब डिक्शनरी में यह है कि "विलफुल नेग्ली-जेन्स" (willful negligence) । एग्रीमेंन्ट के मुताबिक विल-फुली निगलेक्ट नहीं करना चाहिये। यदि किसी खेत में होकर पानी का नाला निकलता है जिससे खेत को नुकसान होने की संभावना है, और उस किसान ने उससे खेत की रक्षा करने के लिए कुछ नहीं किया, तो उसका यह एक्ट विलफुली निग्लेक्ट करने का हो जायगा, और उसका यह एक्ट डेट्रिमेंटल हो जायगा। यदि वह अपनी ड्यूटी को ओमिट करता है, या ड्यूटी पूरी नहीं करता है तो उसका मतलब ओमिट करने का है। इसलिए यदि "एक्ट" को मानना चाहते हैं तो ओमिशन जरूरी है। यदि उनका ख्याल है कि "एक्ट" और "ओमिशन" दोनों ही नहीं होने चाहिये, तो उनकी बात प्लाजीबल हो सकती है। ऐसी सूरत में 'ओमिशन' की जो बात आई है उसका मतलब मामूली भूल से नहीं है बल्कि इस कानून के अनुसार उस पर जो जिम्मेदारी है, उसका वह ओमिशन करता है। यह मामूली भूल नहीं है बल्कि इसका मतलब है और इसलिए यह रहना चाहिये।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेयरमेन, मेरे पूर्व वक्ता ने दो बातों की ओर संकेत किया जो मैंने संशोधन पेश किया है उसके बारे में। एक तो यह कि लैंड होल्डर की एप्ली-केशन पर पहले तहसीलदार नोटिस दे और उसके बाद असिस्टेन्ट कलेक्टर के पास भेजे। इसमें आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है, वहां भी जाय और यहां भी जाय। इसके बजाय एस. डी. ओ. या असिस्टेन्ट कलेक्टर ही नोटिस दे दे। इस तरह का नोटिस रखना तो आवश्यक है लेकिन बजाय तहसीलदार के असिस्टेन्ट कलेक्टर कर दिया जाय इसमें कोई ऐतराज नहीं है।

लेकिन दूसरी बात यह कही गई कि गवर्नमेंट द्वारा इजेक्ट कराने के प्रश्न को सूट की तरह नहीं लिया जाय। मैं समझता हूँ यह उचित नहीं होगा। इसको सूट की तरह रहने देना ज्यादा अच्छा है क्योंकि गवर्नमेन्ट का ज्यादा काम पड़ेगा, खातेदार टिनेन्ट से, और खातेदार टिनेन्ट से काम पड़ने में इस बात की गुंजायश हो सकती है कि यदि किसी आदमी पर सरकारी अफसरों की नाराजगी है तो उसको राहत दी जानी चाहिये। वह यदि कंटेस्ट नहीं कर सकता तो इसका मिस् यूज़ होगा। इसलिये यह बात न्याय संगत नहीं होगी। जब सूट की हरेक को इजाजत दे दी जाती है तो गवर्नमेंट के मामले में इस तरह की रोक लगाना कहां तक ठीक होगा ? बिना सामने वाले को ओपोन्युनिटी दिये ही गवर्नमेंट के केस में रखे तो यह उपयुक्त नहीं होगा। ज्यादा अच्छा यही होगा, कि एक सा प्रोसिजर हो।

हां, पहला संशोधन अगर आप वार्डिंग्स देंगे तो स्वीकार कर लिया जायगा।

दूसरी बात कही डेट्रिमेंटल की, इस पर काफी वाद-विवाद हो गया है। मैं यही निवेदन करूंगा कि यह एक आवश्यक चीज़ है, इससे चेक होता है, अगर कोई व्यक्ति एक्ट डेट्रिमेंटल करें तो

[श्री मोहनलाल सुखाड़िया]

उसको इजेक्ट किया जा सकता है। किसी भी कानून में बहुत सी धाराएं होती हैं कोई ऐसी भी हो सकती हैं कि जिन्हें नहीं रखा जाय पर अमुक क्लॉज़ रखने से चेक होता है तो उसको रखा जाता है। इतना ही इससे परपज़ सर्व हुआ है और आगे भी हो, यह हमारी मंशा है। मैं समझता हूँ कि इस बात का ख्याल रखते हुए इसे रखना आवश्यक है। कई उदाहरण भी हो सकते हैं पर इसका दुरूपयोग करने जैसी परिस्थिति हो, ऐसी मैं कल्पना नहीं कर सकता।

दूसरी बात यह कही गई, कि लैंड होल्डर को सूट के तौर पर लाने के बाद साबित करना पड़ेगा तभी इजेक्टमेंट हो सकता है।

इस बिना से इजेक्टमेन्ट कर दें तो इजेक्टमेन्ट करने की गुंजाइश नहीं। तो डेट्रिमेंटल एक्ट करे तो उसे इजेक्ट करने की गुंजायश रखना आवश्यक है, इससे वाजिब प्रतिबन्ध टिनेन्ट पर लगता है। मैं आशा करता हूँ कि सदन इसे स्वीकार करेगा।

श्री सभापति—तो आप इनका पहला संशोधन स्वीकार करते हैं?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—हां, लैंग्वेज़ अभी लिख कर दे देंगे।

श्री **सभापति**—इस पर मत लिये जाते हैं। प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १२६ पर श्री कपिलदेव का ३०६ नं० का अमेंडमेंट जो है और जिसको मिनिस्टर इन्चार्ज ऑफ दी बिल ने स्वीकार किया है; वह स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट स्वीकार किया गया।

(विराम)

इसी क्लॉज़ पर श्री एच. के. व्यास का अमेंडमेंट है डिलीट करने का, उसके सम्बन्ध में प्रश्न यह है कि क्या इसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

अमेंडमेंट गिर गया।

प्रश्न यह है कि श्री श्रीदास गोयल का जो क्लॉज़ १२६ पर अमेंडमेंट है उसे स्वीकार किया जावे?

एक माननीय सदस्य—वह क्या है साहब ?

श्री सभापति— After the first proviso insert the following proviso :

"Provided further that in case of land held directly from the State Government a notice shall be issued by the Tehsildar under this section; if the tenant contests the notice, the tehsildar shall forward the case to the Assistant Collector who shall try the case in accordance with the procedure laid down for the trival of suits."

(विराम)

क्या सदन को यह संशोधन स्वीकार है ।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

(विराम)

एक अमेंडमेंट इस पर श्री हिम्मतसिंह (वि० सं० ६१) का है (हंसी) वह इसको मूव करना नहीं चाहते हैं । क्या सदन की राय है कि इसको मूव न करने की इजाजत......

श्री मथुरादास माथुर—मूव तो हो गया है साहब ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—He is not present in the House !

(हंसी)

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि श्री हिम्मतसिंह का इस क्लॉज़ पर जो अमेंडमेंट है उसे स्वीकार किया जाय ।

(अस्वीकृत)

अमेंडमेंट अस्वीकार किया गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १२९ पर श्री मिनिस्टर महोदय का अमेन्डमेन्ट है और इसके ऊपर जो संशोधन श्री कपिलदेव ने पेश किया है वह भी उनको स्वीकार है । तो प्रश्न यह है कि इस संशोधित अमेंडमेंट को स्वीकार किया जाय ?

Page No.53

[सभापति]

संशोधित अमेंडमेंट स्वीकार किया गया।

(विराम)

Now the question is that clause 129 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

clause 129, as amended, is added to the Bill.

(विराम)

क्लॉज़ १३० के ऊपर कोई अमेंडमेंट नहीं है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं इसमें एक चेंज सजेस्ट करना चाहता हूँ। वह यह है कि:

Check "(a) In clause 130 of sub-clause (1): After the words 'for ejectment' add the words 'or order'; and

(b) In sub-clause (2), after the words 'decree' appearing thrice, insert 'or order'."

श्री भैरूंसिंह—मेरा भी अमेंडमेंट है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—But what is the amendment proposed by the Hon'ble Revenue Minister?

श्री सभापति—श्री भैरूंसिंह का अमेंडमेंट १३० (२) पर है।

श्री भैरोंसिंह—माननीय चेयरमेन महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है:

"Insert the words in sub-clause (2) not exceeding six months in all' between the words 'period' and 'as' in the fourth line."

श्री भैरोंसिंह—माननीय चेयरमेन, क्लॉज़ १३० में यह व्यवस्था की गई है कि यदि १२९ अनुसार कोर्ट यह समझे कि किसी काम के करने से, या किसी काम के न करने से लैंड होल्डर को किसी प्रकार का नुक्सान हुआ है तो यह उस नुक्सान के एवज में उस काश्तकार को बेदखल करने की आज्ञा जारी करें, और यदि वह काश्तकार निर्धारित समय में, उस नुक्सान की मरम्मत करानी हो, तो मरम्मत के जरिये या उस नुकसान का एवजाना किसी दूसरे रूप में अदा कर दे तो, उस काश्तकार को बेदखल नहीं किया जाय।

Page No.54

[श्री भैरोंसिंह]

मेरा इसमें संशोधन यह है कि जहां वह व्यवस्था की गई है सब क्लॉज़ (२) के द्वारा, कि तो काश्तकार इस प्रकार की मरम्मत या हर्जाने का एवजाना तीन महीने के अन्दर अन्दर अदा करदे तो उसको बेदखल नहीं किया जाय। लेकिन यदि कोर्ट मुनासिब समझे तो इस अवधि को अनिश्चित काल के लिये भी बढ़ा सकती है, और आज्ञा जारी कर सकती है कि अमुक समय में काश्तकार हर्जाना दे या मरम्मत करादे, जिस लैंड होल्डर को नुकसान हुआ हो उसकी जमीन की। मैं समझता हूं कि यह समय निश्चित करने का अधिकार एस. डी. ओ. और एसिस्टेन्ट कलेक्टरों को जो दिया गया है, वह उनके डिस्क्रीसन पर इस तरह से नहीं छोड़ा जा कर एक समय मुकर्रर कर दिया जावे कि इस कानून के माफिक इतने समय के बाद बेदखल होना पड़ेगा अगर वह हर्जाना नहीं देगा तो। अगर वह उस जमीन की मरम्मत नहीं करावेगा, या मुआवजा नहीं देगा तो उसको बेदखल होन पड़ेगा। इससे यह होगा कि वह यह समझेगा कि उसको अमुक समय में मुआवजा देना है, और यदि मुआवजा अदा नहीं करता है तो उसको जमीन छोड़नी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि यहां जो तीन महीनों के समय का प्रश्न आता है और जैसा कि मेरा संशोधन है तीन महीनों के समय के एवज छः महीने का समय रख दिया जाय। मैं समझता हूँ कि यह जरूरी है। क्लॉज़ १२६ में आया है कि जितना भी नुकसान होगा वह ज्यादा माइनर से ज्याया से ज्यादा नुकसान हो सकता है। जैसी कई सदस्यों को शंका थी, कि कोई नदी आ गई या कोई बाढ़ आ गयी और उसको रोकना उसकी हिम्मत के बाहर की बात थी, और उस कारण से वह काम नहीं कर सका, और न उसकी ड्यूटी थी कि वह इस प्रकार का काम करता, और इसलिए उस संबन्ध में इसप्रकार की कोई डिक्री जारी न होगी और न इस वजह से उसको बेदखल किया जावेगा। लेकिन जहांतक सदन की सम्मति मैं समझ पाया हूँ वह यह है कि छोटे काम जो काश्तकार कर सकता है, लेकिन जानबूझ कर नहीं करता है जिसको दुरुस्त करनेका अधिकार था, कोन्ट्रैक्ट के माफिक तो उस हालत में उसको बेदखल किया जावेगा। जो ऐसा काम होगा वह सुगम काम होगा, और वह काम तीन महीनों में हो सकता है, और अगर कोर्ट यह मुनासिब समझे कि तीन महीने काफी नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा छः महीने का समय रख सकती है और इसलिए मैंने छः महीनों का समय रखने का सुझाव रखा है। मैंने यह समय इसलिए भी रखा है कि फसल का समय अनुमान छः महीनों का समझा जाता है और जब वह काम तीन महीनों में पूरा नहीं हो सकता, और अगर हम उस समय कोर्ट पर छोड़ देते हैं तो कोर्ट दो महीने का या एक महीने का समय, जैसे वह मुनासिब समझेगी, देगी, और वह समय किसी भी फसल के समय का हो सकता है, जो किसी भी हालत में अच्छा नहीं समझा जा सकता। मेरे संशोधन का मतलब यह है कि आज आपने उसको नोटिस दिया, और छः महीनों के बाद अगर वह काम पूरा नहीं कराता है, या एवजाना नहीं देता है, तो उसको बेदखल कर दिया जावेगा मगर इसका अर्थ यह होगा कि छः महीनों में नई सफल शुरू होने के पहले या तो वह जो नुकशान हुआ है उसकी मरम्मत करा देगा, या एवजाने के जरिये उसकी पूर्ति कर देगा, वरना उसको बेदखल कर दिया जावेगा, तो वह फसल के समय बेदखल करने से जो नुकसान उसको होता है उससे बच जावेगा। अगर इसमें कोई लिमिट

[श्री भैरोंसिंह]

नहीं रखी तो उससे काश्तकार को बहुत नुकसान होगा। मानलें, कि एक काश्तकार ने जो नुकसान लैंड होल्डर का हुआ है उसकी पूर्ति नहीं की, और महज एस्योरेन्स दे दिया कि वह तीन महीने में उस नुकसान की पूर्ति करा देगा, और जो मरम्मत काबिल है उसकी मरम्मत करा देगा। मगर समय के गुजर जाने के बाद भी वह न तो मरम्मत करता है और न मुआवजा देता है, और महज लैन्ड होल्डर को नुक्सान पहुँचाने की नियत से समय की अवधि बढ़ाने की मांग करता है, तो इस कानून के अनुसार पहले तीन महीनों की अवधि नियत होगी, और बादमें आवश्यकता समझी गई तो कोर्ट से वह अनिश्चित समय तक के लिये अवधि ले सकता है। इससे लैन्ड होल्डर को नुकसान होगा। मैं यह कहूँगा कि काश्तकार पर पाबन्दी होनी चाहिये। मैं समझता हूँ कि यह बहुत ही न्याय संगत है और इसका कानूनी रूप होना बहुत आवश्यक है। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के संशोधन को स्वीकार कर लें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**—माननीय चेयरमेन, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो संशोधन अभी पूर्व वक्ता ने रखा है, उसमें छः महीनों की अवधि ज्यादा से ज्यादा हो, यह कहा गया है। मैं समझता हूं कि यदि यह बात कोर्ट के डिस्क्रेशन पर ही छोड़ दी जावेगी, तो ज्यादा उपयुक्त होगा। हो सकता है कि कोर्ट जब इन्क्वायरी हो, तो छः महीने का समय उचित समझे या नहीं समझे। कोर्ट उसके बोनाफाइडी इन्टेशन को देखेगी, और उसके बाद में मियाद बढ़ावेगी। इसलिए हमने पहले ही इसमें इसमें यह रखा है कि कोर्ट उसको एग्जामिन करके डिक्री देगी। अगर तीन महीनों के लिए वेलिड रीजन्स होंगे तो तीन महीनों का समय देगी और ज्यादा के लिए वेलिड रीजन्स होंगे तो ज्यादा समय देगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि जैसी धारा है, उसके बजाय इस संशोधन को स्वीकार किया जावे यह वाजिब नहीं होगा।

श्री भैरोंसिंह (१६)—माननीय चेयरमेन, मेरा संशोधन था, वह इस बात के लिये था कि जिस वक्त डिक्री एग्जीक्यूट की जावे और उसको बेदखल करने का आर्डर दे दिया जावे उस समय से लेकर छः महीनों का समय निर्धारित किया जावे। इसके अनुसार पहले तो कोर्ट में दावा करना पड़ेगा उस आदमी के खिलाफ, जिसको जमीन से बेदखल करना होगा। जब वह दावा करेगा तो उस व्यक्ति को भी अपने आर्गूमेंट पुट अप करने का मौका दिया जावेगा, और जब कोर्ट इस बात के लिए सेटिस्फाई होगी कि वास्तव में उसके एक्ट से लेन्डहोल्डर को नुकसान हुआ है तब वह अपना फैसला देगी। लेकिन मैंने जो कहा है उसका अर्थ यह है कि जिस दिन नुकशान हुआ है, अगर छोटा नुकसान हुआ है तो काश्तकार इतना बेवकूफ नहीं है, कि वह अपने खेत को छोड़े, इसलिए वह खुद ही दुरूस्ती करा लेगा। लेकिन जहां काश्तकार जानबूझ कर ऐसा नहीं करता, तब वहां यह प्रश्न पैदा होता है कि जिस समय से वह नुकसान हुआ है और उसने उसको मरम्मत नहीं कराई है, तो उस समय से उसको छः महीनों का समय दे दिया जावे, तो मैं समझता हूं कि यह समय पर्याप्त होगा। यदि उसको ज्यादा समय दिया गया, तो वह इस बात को सोचेगा कि जिस तरह से एक मुकदमा चल

Page No.56

[श्री भैरोंसिंह]

रहा है उसी तरह से वह यह समझेगा कि मुकदमा चल रहा है, मरम्मत नहीं कराई जावे। लेकिन यह तो साफ जाहिर हो जाता है इसी से कि वह मरम्मत नहीं करता है और जब वह मरम्मत नहीं कराता है तो उसका बोनाफाइडी इन्टेन्शन मालूम हो जाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसको कोर्ट पर नहीं छोड़ा जावे। मैं समझता हूं कि पहले तीन महीने और बाद में छः महीनों का समय काश्तकार के लिये पर्याप्त है, और मैं यह भी समझता हूं कि इस प्रकार का संशोधन होना आवश्यक है। अगर इस संशोधन को माननीय मंत्री स्वीकार नहीं करते हैं तो मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर विचार करके इसको पास करावें।

श्री सभापति—(श्री मोहनलाल सुखाड़िया को संबोधित करते हुए) आपका एमेन्डमेंट नहीं आया।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं संशोधन पहले ही प्रस्तुत कर चुका हूं।

श्री सभापति—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज १३० पर श्री भैरूंसिंह जी ने रखा है उसको मंजूर किया जावे।

(अस्वीकृत)

एमेन्डमेंट गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन मंत्री महोदय ने पेश किया है उसको स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

एमेन्डमेंट स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १३०, संशोधित रूप से, विधेयक में जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३०, संशोधित रूप से, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

श्री सभापति—क्लॉज़ १३० (ए), श्री हरिकृष्ण व्यास; डिलीट करने का उनका अमेंडमेंट है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मुझे स्पष्ट करना है इसलिये पहले कर दूं, ताकि बोलने वालों को दुबारा बोलने की आवश्यकता न पड़े। मैं इसमें यह चेन्ज करना सजेक्ट करता हूं for the words 'suing' substitute the words "suing or applying for the issue of a notice.'"

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, मैं यह मानकर चलता हूं कि राजस्व मंत्री ने जो संशोधन रखा है वही क्लॉज़ का अंतिम रूप है, और ऐसी हालत में मेरा जो संशोधन है उसकी आवश्यकता और बढ़ जाती है।

कुं श्री जसवन्तसिंह—He gives you a chance to speak.

श्री हरिकृष्ण व्यास—He gives me a chance to speak out his real intention. तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि क्लॉज़ १२९ में ऐसा प्रोविजन हमने किया है कि अगर कोई जमीन किसी ने किसी से ली और उसने कोई नुकसान कर दिया या जिस परपज़ के लिये उसने लिया, उसको उसी परपज के लिए इन्टेन्शनली उपयोग में नहीं लिया, अथवा उसने कोई कन्डीशन को तोड़ा या ब्रीच किया है, इत्यादि, इत्यादि, तो इजेक्टमेन्ट की इजाजत दे दी। अब प्रश्न यह उठता है कि उसकी वजह से सिविल क्लेम पैदा होता है उसके बारे में क्या किया जाय? क्लाज १३० (ए) दरअसल कोई रेवेन्यू क्लेम के सिलसिले में पैदा ही नहीं होता है। क्लाज १३० (ए) एक सिविल क्लॉज़ है और उसको बिना कारण बेकार इस एक्ट में घुसेड़ने की कोशिश की गई है। यदि कोई एग्रीमेन्ट है और एग्रीमेन्ट का ब्रीच होता है तो सिविल कोर्ट खुले हैं, लैन्ड होल्डर दावा करें उसके सिलसिले में, उसको कम्पन्सेशन चाहिए, तो सिविल कोर्ट में जाकर दावा करें लेकिन जमीन के बारे में जो ताल्लुकात हैं, उनको तो आप रेगुलेट करें यह समझ में आता है, और जमीन के ताल्लुकात रेगुलेट कर दिये, इजेक्टमेन्ट की इजाजत दे दी, यह भी कहा गया कि कोई अवधि के रहते, समय के रहते हुए नुकसान हुआ है तो उसको रिपेयर कर दें और हरजाना दे दें तो इजेक्टमेन्ट नहीं होगा, यहां तक तो ठीक है। उसके आगे एकटिनेन्ट और लैन्ड होल्डर के बीच जो सिविल लायबिलिटी है वह तो सिविल लॉ के मातहत ही हल होनी चाहिये। उसके लिए रेवेन्यू कानून में प्रोविजन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लॉज़ १३० (ए) में हम क्या कहते हैं? माननीय राजस्व मंत्री ने जो संशोधन पढ़ कर सुनाया अगर उसको उसमें और जोड़ दिया जाय तो उसका मतलब यह होगा कि धारा १२९ के मातहत बेदखली करने, करवाने का हुक्म हासिल करने का अधिकार तो रहेगा ही लेकिन उसके बाद लैन्ड होल्डर इस बात के लिए भी अर्ज कर पायगा कि...

("ऑल्टरनेटिव क्या है?" इस प्रकार की आवाज)

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"Notwithstandng" का तात्पर्य यह है कि उसमें लिखा है कि उसकी वजह से पाबन्दी नहीं होगी। मेरी समझ तो यहीं तक पहुंचती है और उसके आगे कोई विशेष सुझाव पेश करे, कोई माननीय सदस्य तो बात दूसरी है । लेकिन अंग्रेजी जुबान का जहां तक मतलब मैं समझ पाता हूं वह यह है कि notwithstanding' का मिनिंग :

The fact that he has taken action under section 129 shall be no bar for him to take action under section 130A. This is the ordinary meaning of the word. notwithstanding.'

इसका तात्पर्य यह है कि वह १२६ के मातहत इजेक्टमेंट के लिए एप्लीकेशन कर पायगा और उसके अलावा "एण्ड आई रिपीट इट, है उसके अलावा १३० (ए) के मातहत अर्ज कर पायेगा।"

"for compensation or for an injunction with or without compensation, or for the repair of the damage or waste without compensation." यह कैसे ? यह इस प्रकार से कि आपने क्लॉज १३० (ए) के मातहत जो अधिकार दिया है वह यह दिया है कि In lieu of suing for ejectment. यदि उसने क्लॉज़ १२६ (ए) में एक्शन पहले नहीं लिया, और उसने क्लॉज़ १३० (ए) में पहले एक्शन ले लिया, तो उसका मतलब यह होगा कि जो आगे की सिविल पार्ट है उस सिविल पाट का 'इस्तेमाल वह करे' for the purpose of getting remedies within the Tenancy Act. तो मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता क्या है ? यदि मंशा यह है आपकी कि हरजाना मिलने के बाद चाहे बैठ जाय, इजेक्टमेंट न करें तो you have already provided in section 130, तो १३० (ए) का जो पार्ट (२) है उसमें आपने इसके लिये प्रोविजन कर दिया है। यदि आपकी यह इच्छा है कि बेदखल करने के लिये हुक्म हासिल करें तो उनका आपने क्लॉज़ १२६ में प्रोविजन कर दिया है। फिर उसके बाद यह मौका क्यों देते हैं कि इस प्रकार से वह "इनल्यु ऑफ सुइंग फोर इजेक्टमेंट" का एक्शन ले ले, सिविल क्लेम को रेवेन्यू एक्ट के मातहत डिटर्मिन करवा ले और १२६ का जो उसका एब्सोल्यूट राइट है" because of his having taken action under section 130A. वह कर ले। तो साइमल्टेनियसली दोनों नहीं कर पायगा। यह पाबन्दी जरूर लगाते हैं। इसलिये मैं अर्ज करना चाहूंगा कि इस क्लॉज़ को हटा दिया जाय। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और यह मामला सिविल-लायबिलिटी का समझ कर इसको छोड़ दीजिये, केवल इजेक्टमेंट तक और कम्पेन्सेशन देने तक ही रख दीजिये जो कि १२६ में कर दिया गया है। मेरा ख्याल है कि इस संशोधन पर पूरी तरह से विचार किया जायगा और इसको स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—I think it should remian as it is.

श्री सभापति—क्लॉज़ १३० (ए) पर श्री हरिकृष्ण व्यास का अमेंडमेंट है। क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(अस्वीकृत)

श्री जवानसिंह—Noes from the treasusry benches.

श्री सभापति—अमेंडमेंट गिर गया।

(विराम)

क्लॉज़ १३० (ए) पर मिनिस्टर महोदय का जो अमेंडमेंट है, क्या सदन को यह स्वीकार है ?

(स्वीकृत)

अमेंडमेंट स्वीकार किया गया।

(विराम)

अब प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३० (ए), एज़ अमेंडेड, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा जाय।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३०, एज़ अमेंडेड, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

क्लॉज़ १३० (बी)

श्री मोतीलाल चौधरी– माननीय चेयरमेन, मेरा अमेंडमेंट है इसमें।

श्री सभापति—क्लॉज़ १३० (बी) पर आपका अमेंडमेंट अवश्य है, किन्तु जरा थोड़ा संतोष रखिये। श्री चांदमल मेहता।

श्री चांदमल मेहता—मैं अपना संशोधन मूव करना नहीं चाहता।

श्री सभापति—श्री कपिलदेव का अमेन्डमेंट है क्लॉज़ १३०(बी) में। वे अपना अमेंन्डमेन्ट मूव करें।

Page No.60

श्री हरिकृष्ण व्यास—He does not know what is his amendment ?

श्री कपिल देव अग्रवाल—माननीय चेयरमेन, इसमें मेरा टेक्निकल अमेन्डमेंट है, वह इस प्रकार है ;

"In line 5 the words 'offers to pay and' be deleted."
मूल क्लॉज़ इस प्रकार है।

"Where rent is payable in kind by division, estimate or appraisement, and the tenant fails to cultivate his holding or any part thereof successively for three years without any sufficient cause he shall, on application, be liable to eject ment from such holding or a part thereof unless he offers to pay and......"

ये शब्द "offers to pay and" हटा दिये जायें फिर यह ऐसा हो जायगा "pays the cash equivalent of the rent so payable calculatedon the average produce..."
'offers to pay' का कोई सेन्स ही नहीं होता है।

क्योंकि you attach a condition that he would pay. After he pays the question of offers to pay does not arise.

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय चेयरमेन, इस क्लॉज के बारे में मेरा एक अमेंडमेंट है, जो यह है कि क्लॉज़ को डिलीट कर दिया जाय।

माननीय चेयरमेन, मैं शुरू से ही इस चेप्टर के विरोध में हूं। किसान को किसी भी कारण से इजेक्ट न किया जाय। यह जो क्लॉज़ रखा गया है इसका मैं विरोध ही नहीं करता, महा घोर विरोध करता हूं।

जो कन्डीशन्स इसमें रखी गई हैं वे बिल्कुल फिजूल हैं। कोई भी किसान यह नहीं चाहेगा कि वह खेती न करे। जैसा कि इसमें हेडिंग है "ejectment for non-cultivation" यह तो सब को अनुभव है कि किसान खेती करके ही अपना पेट भरता है, खेती ही उसके पेट भरने का जरिया है। ऐसा कौनसा किसान होगा राजस्थान के अन्दर जो तीन साल तक कभी खेती नहीं करेगा। नहीं करेगा तो क्या मक्खी मारेगा, भूखों मरेगा।

कु० श्री जसवन्तसिंह— कलकत्ते चले जायेंगे।

श्री मोतीलाल चौधरी—(अपना भाषण जारी रखते हुए) कलकत्ता जाने वालों के लिये तो बहुत सी दवाइयां हैं। असल बात यह है कि जिस भावना को रखते हुए इस क्लॉज़ को रखा गया है उसी भावना का पालन एक दूसरे कानून द्वारा

[श्री मोतीलाल चौधरी]

हो सकता है; दूसरे कानून के मातहत टिनेन्ट को इजेक्ट कर सकते हैं। यहां तीन साल तक अगर खेती नहीं करता है तो इजेक्ट करने का प्रॉविजन रखा गया है। शुरू में तो इस प्रकार की नौबत ही नहीं आयगी। अगर ऐसी स्थिति आ भी जाय, जैसा कि अभी कहा गया कि लोग कलकत्ते चले जांय ऐसी स्थिति यदि उपस्थित भी हो जाय तो लैन्ड एक्वीजिशन एक्ट के मातहत दो साल तक अगर खेती नहीं करता है तो उस लैन्ड को वापिस ले सकते हैं, ऐसा प्रॉविजन है। राजस्थान के अन्दर जब इस प्रकार का कानून मौजूद है कि अगर कोई लैन्ड होल्डर किसान है वह दो साल तक खेती नहीं करता है तो उसकी जमीन को लैन्ड होल्डर या स्टेट उसको लेकर दूसरों को खेती करने के लिये दे सकता है। इस प्रकार का प्रॉविजन आलरेडी एक एक्ट में है। मेरी समझ में यह धारा रखकर केवल टिनेन्टन्सी एक्ट के कलवेर को बढ़ाना मात्र है। इससे बेहतर तो हमारे पास कानून है जिसके तहत यदि दो साल तक कोई काश्त नहीं करता है तो उसकी जमीन ले सकते हैं। इसलिये मैं इस धारा को फिजूल समझता हूं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस क्लॉज को डिलीट करने का जो मेरा अमेन्डमेन्ट है उसको स्वीकार करें।

श्री भैरोंसिंह (१६)—माननीय चेयरमेन महोदय, इस क्लॉज़ में मेरा संशोधन इस प्रकार है। Substitute the words, 'for more than one year' for the words 'successively for three years', in third line.

(2) Substitute the word 'Assistant Collector', for the words 'S. D. O' in the proviso.

(3) Delete the proviso.

माननीय चेअरमेन महोदय, इस क्लॉज़ में यह व्यवस्था की गई है कि अगर कोई काश्तकार लगातार तीन वर्ष तक काश्त न करे तो लैन्ड होल्डर को अधिकार होगा कि वह असिस्टेन्ट कलेक्टर के कोर्ट में दरख्वास्त देकर उसको बेदखल करने की कार्यवाही करे। अगर वह काश्तकार उस समय तक जिस समय के लिये काश्त नहीं की है उसका लगान देता है तो वह बेदखल की कार्यवाही रोकी जाय। जहां तक मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया इस धारा को बिल्कुल इस कानून से हटा दिया जाय और इसके साथ उन्होंने यह दलील दी कि राजस्थान में हमने इसी प्रकार का एक अलग कानून बनाया है जिस कानून के जरिये अगर कोई काश्त करने वाला अपनी जमीन पर दो साल से अधिक समय तक काश्त नहीं करता है, तो सरकार उस कानून के जरिये उस जमीन को दूसरे व्यक्ति को सौंप सकती है। लेकिन यहां यह सोचना पड़ेगा कि सारी टिनेन्सी को गवर्न करने वाला कानून पहले वाला कानून था, या आज जो हम कानून बना रहे हैं, वह है। मैं तो यह समझता हूं कि पहले जितने भी छोटे मोटे कानून बनाये गये हैं उन सबको गवर्न करने वाला राजस्थान का यह टिनेन्सी एक्ट होगा। अगर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट में उन लोगों को बेदखल करने का जो तीन साल से किसी प्रकार की काश्त नहीं करते हैं कोई खास कारण नहीं है, बल्कि यों ही काश्त नहीं करता है, तो उसको इस कानून के जरिये बेदखल होना होगा।

[श्री भैरोंसिंह]

माननीय चेअरमेन, तीन साल की अवधि के स्थान पर एक साल के लिये समय करने का जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है वह संशोधन बड़ा ही आवश्यक है।

इस क्लॉज़ में यह दिया हुआ है कि 'Without any sufficient cause he shall, on application, be liable to ejectment" जब कोर्ट को यह तसल्ली हो कि लैंड होल्डर को असन्तोष है कि किसी विशेष परिस्थिति के बिना ही काश्तकार जमीन में काश्त नहीं करता है, तो फिर इस बात की आवश्यकता नहीं कि वह पूरे दो साल के लिए इन्तजार करे। दो साल का इन्तजार करने का मतलब यह है कि जो काश्तकार 'विदाउट स्पेसिफिक कॉज़' के एक साल में काश्त नहीं करता है तो विदाउट स्पेसिफिक कॉज़ आगे के दो साल में भी काश्त रोक सकता है। तो दूसरे माने में यह होगा कि जिस जमीन के जरिये से हम पैदावार करके अपनी खाद्य स्थिति ठीक करना चाहते हैं, अगर उसके कानून में ऐसा लूप होल रख दिया गया तो काश्तकार किसी भी डर से सही, चाहे आज जो कानून भूमि संरक्षण का था वह इस कानून के बनाने बाद में रिपील हो जावे, पर इसके जो क्लॉज़ेज़ और इस ढंग के क्लॉज़ेज़ जो काश्तकार को इस बात में रिलीफ देगा कि वह बेदखल नहीं कर सके इसमें भी होंगे, और इसके जरिये से जो जो सबलेटिंग के तरीके रक्खे हैं कि वह एकदफा चाहे तो साल के लिए करे, दो साल के लिए करे, पर पांच साल से ज्यादा के लिए नहीं कर सकता है। जो इस तरह की अड़चन रक्खी है इससे जांच के लिए दलील आ सकती है कि वह किस काश्तकार को जमीन दे, और काश्तकार जिसको जमीन दी है वह उसमें काश्त न करे, तो इसके लिए आवश्यक है कि जिसको जमीन दे, उसके लिए लाजमी है कि वह खेती करे उसमें और अगर परिस्थिति प्रतिकूल है और ऐसी है जिससे कोर्ट को वह सैटिसफाई कर सके, तो वह यहां उस आदमी को बेदखल नहीं किया जावेगा पर जहां जान-बूझकर ऐसी परिस्थिति पैदा की जाती है तो इसके लिए एक साल का समय है वह काफी है और वह ज्योंही समाप्त होता है और दूसरे साल भी काश्त न करे, तो लैंड होल्डर को यह अख्तियार है कि वह कोर्ट में इस आशय की एप्लीकेशन दे कि चूंकि जानबूझकर वह खेत में काश्त नहीं कर रहा है, इसलिए उसे बेदखल किया जावे, और उसे मुझे या अन्य दूसरे ऐसे व्यक्ति को, दे दी जावे, जो खेती करना चाहता हो ताकि उसमें फसल करके खाद्य स्थिति को बढ़ाने में सहयोग दिया जावे। और इसी इश्यू को लेकर मैंने संशोधन पेश किया है।

दूसरा मेरा संशोधन है कि इसमें शिड्यूल में असिस्टेन्ट कलेक्टर शब्द दिया हुआ है। इसकी एवज में प्रोविजो में एस. डी. ओ. दर्ज किया गया है तो यह संशोधन केवल टेक्निकल है, और मुझे उम्मीद है इसे स्वीकार करने में आनाकानी कोई नहीं होगी।

लेकिन मेरा जो तीसरा संशोधन है वह यह है कि इसको डिलीट कर दिया जावे। यह प्रोविजो यदि हम ऊपर की क्लॉज़ स्वीकार कर लेते हैं तो यहां आवश्यक नहीं रहता। इसलिये भी नहीं है इस प्रोविज़ो की जरूरत, कि यहां व्यवस्था की है कि कोर्ट को सैटिसफैक्सन हो जावे कि किसी

Page No.63

[श्री भैरोंसिंह]

रीजनेबल चीज़ के बिना ही उसने जमीन पड़त रक्खी है तो बेदखल की कार्यवाही वह करे तो यह चीज ऊपर दर्ज कर दी गई है जहां हम एप्लीकेशन देते हैं और यह साबित हो जावे कि विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन्स के उससे जमीन पड़त रक्खी है। यह सब पांचवें क्लाज़ में दर्ज है। उसके अनुसार बेदखल की कार्यवाही हो सकती है। तो इन सारी चीजों का समावेश ऊपर की धारामें हो जाता है। और ये शब्द (विदाउट स्पेसिफिक काजेज़) ऊपर जोडने से, क्लॉज़ की यह प्रोविजो बेकार हो जाती है। असिस्टेन्ट कलेक्टर इन दोनों साथ के उचित है इस लिये यह प्रोविजो डिलीट कर दियाजावे। इस प्रकार से जो संशोधन मैंने रक्खे हैं, वे स्वीकार कर लिये जावें।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—माननीय चेयरमेन, डीडवाना परवतसर से आये मेरे माननीय सदस्य ने जो संशोधन रक्खा है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं।

(हियर, हियर, की आवाज)

और साथ ही साथ नीम के थाने से आये माननीय सदस्य ने जो संशोधन रक्खा है उसको बे मतलब का समझ कर उसका विरोध करता हूं, और विशेष कर दांता रामगढ़ से आये मेरे माननीय सदस्य ने हल्के हल्के मामूली मामूली ऐसे मुद्दे कहकर जो संशोधन रक्खा है, उनका भी मैं विरोध करना चाहता हूं।

विरोध की बात ही काफी है, घोर विरोध करने का मौका तो सदन के बाहर आता है और वह होगा। खैर।

तो मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि हम क्या करना चाह रहे हैं, इसके बारे में अपने दिमाग में सोचें। कुछ दिन पहले हमने एक कानून पास किया जिसमें यह कहा गया कि सफिशियेन्ट कॉज़ के बिना अगर कोई भी आदमी लगातार दो साल तक लैण्ड को कल्टीवेट नहीं करता है, तो एनी बड़ी (any body,) चाहे वह टिनेन्ट हो या लैन्ड होल्डर हो, चाहे कोई भी हो उससे कोई भी आदमी जो अर्जी करके वह जमीन काश्त करने के लिये लेना चाहता हो तो हांसिल कर सकता है।

तो उस दृष्टि से हम देखें तो इस क्लॉज़ की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि दो साल के बाद तो वह जमीन कोई न कोई दूसरा अर्जी करके काश्त के लिए लेगा तो तीन साल पूरे कैसे होंगे?

(गण-पूरक घण्टी)

श्री **सभापति**—कोरम नहीं था हाउस में।

(कुछ सदस्यों के प्रवेश पर)

श्री नाथूराम मिर्धा—इसके लिये तो सोलह की आवश्यकता होती है।

श्री सभापति—अब आ गये हैं।

(श्री हरिकृष्ण व्यास से) carry on.

श्री हरिकृष्ण व्यास—इस दृष्टि से अगर देखा जावे तो इस क्लॉज़ की आवश्यकता नहीं, पर बात इतनी आसान नहीं है, और आसान इसलिये नहीं है कि राजस्व मन्त्रीजी की राय डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बने, सारे सदन की राय को प्रभावित करके और संविधान का जिक्र करके और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण को प्रस्तुत करके, अनेकों क्लॉज़ पास करवा लिये जाते है। वे एक इतने patant डिस्क्रिमिनेशन के सवाल पर चुप क्यों हैं? यह मेरी समझ में नहीं आता।

एक टिनेन्ट कि जिसके लिए इन्सेन्टिव है काश्त करना, एक जमीन लेता है तो किस लिये लेता है? कबड्डी उसमें खेलने के लिए तो नहीं लेता। अगर उसका इरादा नहीं है तो नॉर्मल पोज़ीशन यह होगी कि उसको इन्सेन्टिव होगी कैसे काश्त करने की? और वैसे विचार करें, तो कानूनी बन्दिश सारी काश्तकार के लिए है। लैण्ड होल्डर के लिए क्या होगा? अगर लैण्ड होल्डर जमीन को बगैर काश्त किये रख ले तो उसका क्या होगा?

कहा जाता है इसके लिए कानून बना है। तो मैं कहता हूं कि अगर उसके लिए दूसरा कानून बना है, तो फिर टिनेन्ट के लिये भी वही कानून क्यों नहीं लागू हो!

यह क्लॉज़ जो है खतरनाक तो है ही, लेकिन डिस्क्रिमिनेटरी भी है, माननीय चेयरमेन।

टिनेन्ट पर सारी की नजर जा रही है। पर लैंड होल्डर पर तो जैसे हम यह मानकर ही चले हैं कि वह तो रोज रोज काश्त करता ही है। पर मैं कहना चाहता हूं माननीय चेयरमेन, कि हकीकत इसके विपरीत हैं। Facts are to the contrary.

अगर बन्दिश किसी पर लगानी है तो, माननीय चेयरमेन, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि टिनेन्ट पर नहीं, लैंड होल्डर पर लगाई जाय, और मैं इस क्लॉज़ १३० बी को करेक्ट मान लूंगा अगर इसमें टिनेन्ट के बजाय आप लैण्ड होल्डर पर बन्दिश रख दें। टिनेन्ट तो लैंड होल्डर से जमीन लेता ही इसलिये है कि उस पर काश्त करके अपनी आजीविका अर्जन करे, अगर वह नहीं करेगा तो भूखों मरेगा। भूखों कोई मरना नहीं चाहता। पर लैंड होल्डर बैठा है सारी जमीन पर कब्जा करके, और वह अगर काश्त नहीं करता है तो he has no right to keep it. तो यह रोक तो आप लैंड होल्डर पर नहीं लगायेंगे, यह तो लगायेंगे टिनेन्ट पर। नतीजा इसका क्या होगा?

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

एक होगा, और वह यह कि बेकार की लिटिगेशनबाजी होगी। टिनेन्ट परेशान होगा, और आगे जाने में कुछ नहीं। इसलिए कि कहीं तीन तीन साल लगातार काल पड़ जाता है, कहीं और परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं, राजस्व मन्त्रीजी कहेंगे कि जब काल पड़ता है तो हम तो फेमीन घोषित कर देते हैं। उनकी यह भी बात सही है, लेकिन वह तो पूरे जिले में या एक सब डिवीजन में घोषित कर दिया और बाकी किसी छोटे हिस्से में किसी गांव में ऐसी हालत हो सकती है, जहां के लिए आपका गिरदावर से लेकर कलेक्टर तक की रिपोर्ट आप तक नहीं आवेगी तो उसको इसके लिए सफिसियेन्ट कॉज़ बताना पड़ेगा, और ऐसा कौन टिनेन्ट होगा कि जो बगैर सफिसियेन्ट कॉज़ के अपनी जमीन काश्त न करे। यह तो ऐसी बात प्रतीत हुई, माननीय चेयरमेन, कि एक मजदूर पर तो पाबन्दी लगाई जावे कि जो कारखाने में नौकरी करने आया है, अगर वह अपनी हाजरी नहीं भरेगा तो उसको तो सजा होगी, और उसको जो कारखाने वाला बाहर निकाल देगा या रिट्रेन्च कर देगा तो उसके बारे में चुप। यह इसी तरह का क्लॉज़ है, और बहुत खतरनाक है।

इसलिए मैं डीडवाना परबतसर से आये सदस्य, जिनका कुछ ताल्लुक है देहातों के इलाकों से, और जिनकी थोड़ी आवाज पहुँचती है ऊपर तक, और जिन तक मेरी आवाज भी पहुँच रही है, मेरे खयाल में, वे मेरी आवाज सुनेंगे तो उनको और उनके बाजू में बैठे मित्र को भी इस बात का समर्थन करना ही पड़ेगा, और इस तरह से मेरी आवाज आगे पहुँचती जावेगी। और यहां के वातावरण से अगर प्रभावित होंगे तो मजबूरी का प्रश्न आ जाता है, इसलिए मैं हाउस के सामने अधिक कहना नहीं चाहता। अब मेरे दांता रामगढ़ से आने वाले माननीय मित्र ने क्या कहा है? उनका कहना यह है कि टिनेन्ट को बेचारे को पेड़ से उल्टा तो लटका दिया, वे कहते नहीं, लेकिन उन्होंने उसके नीचे उसके मुँह के पास पानी से भरी हुई बाल्टी रख दी है। तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, कि प्रोविजो जो है उसमें थोड़ी सी उस किसान को राहत है कि अगर वह सफिसि-येन्ट कॉज़ दिखा दे, तो अगले साल खेती करने के लिए उसको छूट है। उन्होंने संशोधन रखा है कि दोनों प्रोविजो को हटा दिया जाय। वह अगर दर असल में काश्तकार के हित की बात करने का इरादा रखते हैं, तो मेरी उनसे यह अर्ज है कि वह एक छोटासा संशोधन और प्रस्तुत करें कि 'टिनेन्ट' के लिए 'लैंड होल्डर' शब्द रख दें।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—दोनों को रखा था।

श्री हरिकृष्ण व्यास—दोनों को रखने का कोई मतलब नहीं। अगर यह नहीं रखें और पूरी क्लॉज़ को हटा दिया जाय तो जैसा कि कहा गया है यह टिनेन्सी बिल लम्बा हो गया है, और दर-हकीकत में यह टिनेन्सी बिल लम्बा हो गया है, और मेरे माननीय मित्र ने तरह तरह की धमकियां देकर इस बिल को बड़ा लम्बा चौड़ा करा दिया। ज्यादातर कई क्लॉजेज़ ऐसी हैं जो कि रिडन्डेन्ट हैं, लेकिन उसके बारे में हमारी अपनी राय है वह देना चाहिये, लेकिन जो क्लॉजेज़ पॉजिटिवली खतर-

Page No.66

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

नाक हैं उनको तो इसमें से हटा दिया जाना चाहिये, और इस वजह से बहुत ही तहे दिल से पार्टी बाजी के प्रश्न को अपने दिमाग से हटाकर और एक आम व्यवहारिक दृष्टिकोण से डीडवाना परबतसर से आये हुए माननीय मित्र का समर्थन करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि it will not be let down और उनके सहयोगी मुझ से ज्यादा समर्थन करेंगे, और इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय चेयरमेन, जोधपुर से आये हुए माननीय मित्र के भाषण से मैं बहुत प्रभावित होकर जो अपना अमेंडमेंट १३० पर है उसको मैं विदड्रा करने की इजाजत चाहता हूं। मैं तो आपके जवाब से बहुत प्राभावित हो चुका हूं और मेरा अमेंडमेंट बाद में आयेगा लेकिन मैं तो अभी विड्रा कर लेता हूं।

(हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—बड़ा dangerous influence है उनका।

श्री मथुरादास माथुर—माननीय चेयरमेन, वास्तव में जो तरमीम डीडवाना परबतसर से आये हुए साथी ने रखी है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ और इत्तिफाक से जोधपुर से आये हुए साथी का समर्थन भी हो जाता है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—Dont' be so shy of it.

श्री मथुरादास माथुर—उसका मुझे खेद है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—कोई डिसीप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जायगा।

श्री मथुरादास माथुर—इसके बारे में दलीलें काफी दी जा चुकी हैं और युटिलाइजेशन ऑफ लैंड बिल का भी जिक्र इसमें हो चुका है। ऐसी सूरत में मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर राजस्व मंत्री से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इस बात को मद्देनजर नहीं रखते हुए कि किस तरफ से सपोर्ट मिला है, वह इस तरमीम को मन्जूर कर लेंगे।

श्री वेदपाल त्यागी—You have nullified his support.

श्री हरिकृष्ण व्यास—Notwithstanding the support you can withdraw it.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—What is the opinion of Mr. Tyagi ?

श्री वेदपाल त्यागी—It should be deleted.

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय चेयरमेन, जो तरमीमें क्लॉज़ १३० बी में रखी गई हैं उनमें एक तरमीम जो कि नीम के थाने से आये माननीय सदस्य की है, उन्होंने यह कहा है कि "मैं वह तरमीम विद्ड्रा करने की इजाजत चाहता हूँ" उसके बाद में जो कि मेन तरमीम डीडवाना परबतसर से आये हुए माननीय सदस्य ने इस क्लॉज़ के बारे में रखी है वह यह है कि इस दफा को स कानून से बिल्कुल हटा दिया जाय, और उसके साथ साथ दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो तरमीम रखी है कि इस दफा में तीन साल को काटकर एक साल कर दिया जाय, और वह जो दोनों तरमीमें उन्होंने रखी हैं, कि अगर यह प्रोविजो कायम रहता है, तो सबडिवीजनल आफिसर के बजाय जैसा कि शिड्यूल में असिस्टेन्ट कलेक्टर है वैसा कर दिया जाय, और दूसरी तरमीम थोड़े से में यह है कि इस प्रोविजन को बिल्कुल ही न रखा जाय। माननीय चेयरमेन साहब, जो मकसद दांतों रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने तरमीमों का बताया, वह यह था कि एक किसान के पास में जो जमीन है, अगर वह उस जमीन पर. एक साल पड़ी रखकर, काश्त नहीं करता है, तो उसको बेदखल कर दिया जाना चाहिये उस जमीन से, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय हित में खाद्यान्न ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए हम ग्रामों में आज काफी वर्षों से आन्दोलन चला रहे है। बात उनकी देखने में काफी स्वस्थ और अच्छी नजर आती है, मगर वास्तव में वह खुद, मैं मानता हूं, खेती करने वाले आदमी हैं। खेती खुद नहीं करते हैं लेकिन उनके घर में जरूर खेती होती है। उनको इस बात का, मेरा ख्याल है, अच्छी तरह से पता है कि किसान के पास आम तौर से जो जमीन है, जितनी जिसके पास में है वह सारी जमीन को हर साल नहीं जोतता है। उस जमीन में से कुछ जमीन हमेशा न कुछ पड़ी रखना लाजमी होता है और रोटेशन ऑफ क्रॉप्स के प्रिन्सिपल्स पर वह जमीन पड़ीरखी जाना किसान के लिए लाजमी है स्वाइल (soil)की फर्टिलिटी अलग-अलग इलाकों में अलग अलग तरह की। और किन्हीं इलाकों में स्वाइल (soil) की फर्टिलिटी के रिगेन होने का पीरियड है, वह छोटा है, और किन्हीं इलाकों में जहां कि जमीन की किस्म खराब है, उन इलाकों में जमीन को जब तक ज्यादा समय के लिए पड़ी, नहीं रखी जाती, तब तक उस जमीन में फर्टिलिटी वापिस पैदा नहीं होती हैं, और जो फर्टिलीटि पैदा होती है, वह फर्टिलिटी क्रॉप्स के बोने पर बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाती है। मिसाल के तौर पर, कई इलाकों मे जो कि डेजर्टेड हैं, जहां कि रेतीली जमीन है वहां आम तौर से एक काश्त करने के बाद पांच या छः साल पड़ी रखनी पड़ती है। कई जगह दो ही मास के रेस्ट मिलने पर वह वापिस काश्त में आनेवाली लगती है।जिन इलाकों मे के स्वाइल फरटाइइल ज्यादा है वहां पर प्रेशर ऑफ पापुलेसन भी आजकल काफी है, जमीन पर भार है, इसलिए वहां जमीन का जो पीरियड है रेस्ट लेने का, वह घटता जा रहा है। यह दिक्कतें आम तौर से रोटेशन आफ क्रोप्स के लिए जमीन पर आती हैं।

इसलिये इसमें यदि आज तीन साल का रखा हुआ है उसमें भी कई जगहों पर यदि हम इस तीन साल के पीरियड को रखते हैं, तो काफी कन्फ्यूज़न क्रिएट किया जा सकता है इस धारा के जरिये। रोटेशन ऑफ क्रोप के प्रिंसिपल को ध्यान में नहीं रखकर यदि कोई एप्लीकेशन पेश कर दे

[श्री नाथूराम मिर्धा]

तो किसान को तो अदालत में जवाब देने के लिये हाजिर होना पड़ेगा, और यह बहुत बुरी बात होगी इस तीन साल के पीरियड को घटा कर एक माननीय सदस्य, काफी जानकार होते हुए भी, एक साल कराना चाहते हैं। यदि ऐसा करदिया गया तो काफी दिक्कत पड़ेगी। एक माननीय साथी, जो जोधपुर से आये हैं उन्होंने कहा कि कुछ दिनों पहले हमने एक ऐसा कानून पास किया है, जिसके जरिये जमीन को बिना काश्त के जान-बूझ कर पड़ा नहीं रखा जा सकता इस नियत से नहीं पड़ी रखी जा सकती कि मेरे पास पड़ी रहे, और दूसरों के काम नहीं आवे जिसके कारण राष्ट्रीय अहित हो; बेरोज़गारों को ज़मीन नहीं मिले, और मैं उसका मालिक बनकर पड़ा रहूँ, चाहे वह मेरे लिये उपयोगी हो या न हो इस टेन्डेन्सी को कम करने के लिये हमने एक कानून पास किया था। असली इरादा हमारा यह है कि जमीन बेकार नहीं पड़ी रहे, काश्त के काम में आती रहे। इन सारी चीजों को हमने रेगुलेट कर दिया है। अब जहां पर रोटेशन ऑफ क्रॉप होता है उसको ध्यान में रखकर तीन साल किया है; वह भी कहीं कहीं डिफिकल्टीज़ पैदा कर सकता है तो उसको घटा कर एक साल कर देने से बहुत गड़बड़ पैदा हो सकती है। यदि इसमें नियत यह है कि किसान को किसी तरह से परेशान किया जाय तो वे चाहे जैसा कर सकते हैं। वह जमीन तीन साल से पड़ी हुई है, लेकिन किसान उस पर खेती नहीं कर सकता चाहे उसको नोटिस दिया जाय उस हालत में किसान जाकर कारण बता देगा कि मैं इस कारण से तीन चार साल तक काश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इस अर्से में उस जमीन में कुछ भी पैदा होने वाला नहीं है। वह किसान आकर एस. डी. ओ के सामने यह कह सकता है। लेकिन इस प्रॉविजन के रहते हुए लैंड होल्डर अदालत में उस किसान को बुला सकता है और इजेक्टमेन्ट की कोशिश कर सकता है। रोटेशन ऑफ क्रॉप के लिये लैंड को काफी समय के लिये फेलो रखना पड़ता है। यदि नहीं रखा जाय तो अच्छा नहीं होता। यदि हम नाजायज़ तौर पर जो जमीन बिना काश्त के पड़ी रहती है, उसको रोकना चाहते हैं तो उसके लिये भी कानून में गुंजायश है। इसलिये डीडवाना परबतसर से जो सदस्य आये हैं, उन्होंने इस धारा को इसमें से हटा देने के लिये कहा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ और बाकी अमेन्डमेन्ट्स का विरोध करता हूँ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय चेअरमेन, क्लॉज़ १३० बी के बारे में काफी विरोध प्रकट किया गया और उसके विरोध के बाद भी मैंने देखा कि कोई समर्थन में खड़ा होकर क्लॉज़ को कोई भी शायद पसन्द नहीं करता है, ऐसा मालूम होता है। इस धारा को रखने का कारण यह था कि कुछ व्यक्ति ज्यादा जमीन लेकर खुद चाहे उसको काश्त न करें और पड़ी रहने दें और दूसरी तरफ इतना प्रेसर है जमीन पर, कि हम उस जमीन का उपयोग नहीं कर पायें, तो उचित नहीं होगा। लेकिन जिस वक्त यह धारा रखी गई थी, उसके बाद में हमने युटिलाईजेशन ऑफ लैंड के बारे में एक कानून पास किया, और सीलिंग्ज़ के बारे में हमने एक कमेटी कायम कर रखी है, जो जल्दी ही अपनी रिपोर्ट देगी और उस पर कानून ही संभवतः जल्दी ही पेश हो जायगा। इस स्थिति में यदि यह धारा इसमें न भी रहे तो, मैं समझता हूँ, हमारी मंशा में कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है और जो निरर्थक भ्रम इसकी वजह से पैदा हो सकता है, उसका भी निवारण हो सकता है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि इस क्लॉज़ को इसमें से डिलीट कर दिया जाय।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—इसका मतलब यह हुआ कि आप जोधपुर से आनेवाले मित्र का संशोधन मानते हैं ?

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह संशोधन उनका है, आप डराने की कोशिश न करें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—संशोधन इनका होता तो भी मुझे स्वीकार करने में एतराज़ नहीं था।

श्री भैंरूसिंह (डि० नं०१६)—चेयरमेन महोदय, मेरे संशोधन का उत्तर राजस्व मंत्री जी ने दिया एक बात को लेकर, कि इस धारा को इस बिल में से निकाल दिया जाय तो कोई विशेष अन्तर नहीं आयगा। माननीय चेयरमेन, किसी भी कानून का जो राजस्थान में टिनेन्सीज़ को गवर्न करता है, उसका मतलब यह होता है कि एक प्रान्त के कानूनों में से उन सब छोटे मोटे कानूनों का समावेश हम एक ही कानून में करना चाहते हैं। जो छोटे छोटे कानून अलग प्रकार के हैं और अलग अलग काश्तकारों और लैंड होल्डरों से सम्बन्धित हैं, उनको हम एक ही कानून में शामिल करना चाहते हैं, ताकि काश्तकारों को अदालत का दरवाजा नहीं देखना पड़े। इस आशय को लेकर जब हमारा राजस्थान टिनेन्सी बिल इस धारा सभा में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ तो यह भी आवश्यक समझा गया, कि राजस्थान के संबन्ध में जितने भी टिनेन्सी कानून हैं उनको रिपील कर दिया जाय। उसमें हमने यह रखा है, कि जो राजस्थान के काश्तकारों को संरक्षण देता है, काश्तकारों के हितों की रक्षा करता है, और सरकार की ओर से ऐसे कानून बने हैं उनको रिपील किया जाय। हमने कई कानून चाहे इस धारा सभा के चालू अधिवेशन में पास किये हैं, या पहले के अधिवेशनों में पास किये। हैं,वे सब एक्ट्स हैं और उनको भी गवर्न करता है राजस्थान का यह टिनेन्सी बिल। आवश्यकता तो यह थी कि उनका वैसा का वैसा समावेश इस कानून में होता और उनके अन्तर्गत कोई नियम बने हैं तो उनका भी समावेश इस कानून में होता। बनिस्पत इसके कि हम इसको यों का यों बनाये रखते उससे उचित यह होता कि इसका समावेश भी इसमें करते। इसका समावेश करने की यही धारा है इसलिए इसको यों की यों रखी जाय।

मेरे संशोधन के उत्तर में जोधपुर की तरफ से आने वाले कई सदस्यों ने और खास करके मेड़ता से आने वाले सदस्य ने यह कहा कि खेतिहर आदमियों के लिए या खेती से सम्बन्ध रखने वालों के लिये यह धारा ज्यादा उचित नहीं होगी। उन्होंने अपनी दलील में यह कहा कि राजस्थान में कृषि पर भार है, जमीन पर भार है। राजस्थान की जमीन की उपजाऊ शक्ति और यहां की उपज बढ़ाई जानी चाहिये। सरकार ने भी इस प्रकार के कई भूमिदारी आन्दोलन चला रखे हैं। अधिक-अन्न उपजाने के आन्दोलन चल रहे हैं। उन सब की मंशा यह है कि जमीन की उपज ज्यादा बढ़ाई जाय। इस दृष्टिकोण से उन्होंने यह बात कही कि राजस्थान के कई हिस्सों में जमीन ऐसी है जिनकी उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए उसको एक साल, दो साल या तीन साल के लिए पड़त रखना पड़ेगा। ऐसी सूरत में यह आवश्यक है कि वह जमीन बिना खेती के पड़ी रहे। लेकिन इसमें जो

[श्री भैरोंसिंह]

जिक्र है without any sufficient ground वह इसको गाइड करता है। मैं समझता हूं कि जमीन को उपजाऊ बनाने के लिये यदि उस पर खेती नहीं की जाती है, तो उसको पड़त रखने के लिए एक सफिशियेन्ट काज हो जाता है फिर चाहे वह दो साल, तीन साल या दस साल तक पड़ी रहे, यानि तीन साल के बजाय यदि १० साल भी उपजाऊ बनाने के लिए लग जावें, तो भी वह सफिशियेन्ट कॉज होगा और उसको पड़त रखने में इस प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। इस तरह की जमीन पड़त रखी जायगी तो बेदखल नहीं कराई जा सकेगी।

लेकिन उन्होंने उसके साथ एक दूसरी दलील दी। वह यह कि आपने छूट किया। इसको बताने के लिये अदालत में जाना पड़ेगा। और कोर्ट को सेटिस्फाई कर देते हैं कि जिस जमीन को पड़त रखा है, उसकी वस्तुत: क्या भावना है। जब तक कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर देंगे तब तक कोर्ट को उसको बेदखल कर देने का हक है। हमने क्लॉज़ १२६ पास की है उसमें यह रखा है कि एक्ट और ओमिशन के जरिये काश्तकार यदि जमीन को नुक्सान पहुँचाता है तो उस नुक्सान के कारण उसको बेदखल किया जा सकता है। एक्ट और ऑमिशन उसी वक्त साबित हो सकते हैं जब लैंड होल्डर जा कर दावा करेगा, कि इसके कारण मुझे यह नुक्सान हुआ है और काश्तकार कोर्ट में यह दावा करेगा कि लैंड होल्डर को नुक्सान नहीं हुआ है।

इस जमाने में जमीन का जो प्रेशर है, जमीन की जो मांग है, उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने की, उपज बढ़ाने की जो मांग है, इन सब चीजों को देखते हुए आवश्यक हो जाता है कि जमीन को कम से कम समय तक पड़ा रहने दें। without any sufficient cause अगर जमीन को पड़ा रखा जाता है, तो उस आदमी को एक साल का मौका दिया जाय और अगर एक साल से ज्यादा पड़त रखना चाहता है, पड़त रखता है तो उसको बेदखल करने की कार्यवाही कर दी जाय।

मैं तो अर्ज करूंगा कि मेरे इस संशोधन के साथ इस क्लॉज़ को स्वीकर किया जाय।

दूसरा मेरा संशोधन इस प्रोविजो को डिलीट करने का था। यह प्रोविजो सुपरफ्लुअस है। इसका मूल क्लॉज़ में समावेश हो जाता है, उसी बात का जिक्र इस प्रोविजो में किया गया है।

एस. डी. ओ. शब्द ही इसमें ज्यादा है, इसकी जगह एसिस्टेन्ट कलेक्टर मूल क्लॉज़ में कर दिया जाता है तो इस प्रोविजो की जरूरत नहीं रहती।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री सभापति—१३० बी. पर श्री कपिलदेव अग्रवाल का जो अमेन्डमेन्ट है, वे उसे वापिस लेना चाहते हैं। क्या सदन की इजाजत है ?

(स्वीकृत)

Page No.71

[श्री सभापति]

स्वीकृति प्रदान की गई।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूँ साहब।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—क्लॉज़ १३० बी. पर श्री भैरोंसिंह का अमेंडमेंट है। प्रश्न कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

अमेन्डमेन्ट गिर गया।

(विराम)

१३० बी. पर श्री मोतीलाल चौधरी का अमेन्डमेन्ट है। प्रश्न यह है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ और इस प्रकार यह क्लॉज (१३० बी.) विधेयक से पृथक किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ १३१।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसे डेफर किया जाय क्योंकि जागीर रिज़म्प्शन एक्ट के कारण अमेंडमेंट करना पड़ेगा। यह उससे ताल्लुक रखता है। कल तक इस पर विचार किया जा सकेगा।

श्री सभापति—१३१ पर विचार कल तक के लिये स्थगित रखा जाता है।

(विराम)

क्लॉज़ १३१ ए. श्री एच. के. व्यास।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय चेयरमेन, १३१ ए. दरअसल १३१ से सम्बन्धित है, और यह कठिन काम है कि १३१ पर निर्णय होने से पहले १३१ ए. पर संशोधन रखा जाय और बहस हो। परन्तु फिर भी कुछ बातें ऐसी हैं कि जिन पर निर्णय लिया जा सकता है। इसलिये मैं अपना संशोधन १३१ में पेश करना चाहता हूँ।

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

मेरा पहला संशोन सब क्लॉज़ (४) के पार्ट (ए) की लाइन टू में है, उसमें "or substitute 'sixty' in place of 'thirty' in sub-clause (4) (a)."

अर्थात् जो नोटिस दिया जाता है, टिनेन्ट को, इस सिलसिले में प्रोविजन है कि :-

"(a) that, if he desires to dispute the ejectment, he must contest the notice within 30 days of its being served on him,"

मेरे संशोधनानुसार ३० दिन के बजाय ६० दिन की लिमिट कर दी जाय, यह मेरा पहला संशोधन है।

मेरा दूसरा संशोधन इसी सब क्लॉज़ के पार्ट बी. के सिलसिले में है, और वह है यह कि इस पार्ट (बी.) को डिलीट कर दिया जाय।

पहले संशोधन के बारे में ज्यादा लम्बी चौड़ी दलीलें देने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोटिस देने के बाद काश्तकार को सलाह मशविरा के लिये देहात से कस्बों में, और शहर में आना जाना पड़ेगा और इस प्रकार ३० दिन का अर्सा काफी नहीं होगा, ६० दिन का अर्सा कर दिया जाना चाहिये। यह संशोधन मेरे ख्याल से स्वीकार करने लायक है और मैं समझता हूं कि इसके पक्ष में ज्यादा दलीलें देने की आवश्यकता भी नहीं है।

लेकिन पार्ट बी. है वह थोड़ा ऐसे ढंग से रखा हुआ भाग है कि जिसका फायदा होता है ऐसा दिखता है परन्तु नुकसान ज्यादा होता है। पार्ट बी. के शब्द यदि आप देखेंगे तो ये हैं कि :-

"(b) that if, within thirty days of the service of the notice he appears and admits his liability to ejectment he will not be liable for any costs.

मेरा ख्याल है कि जहां तक कि कॉस्ट का सवाल है इसको इस ढंग से फोर्मुलेट करना यह एक वन साइडेड है और अन्यायपूर्ण है। यदि मान लीजिये कि टिनेन्ट एपीयर होता है but he does not admit his liability for ejectment.

और कोर्ट जब इस मामले में फैसला करता है तो उसको महसूस होता है कि कॉज़ रीजनेबल ग्राउन्ड्स पर था। यह सोचना जरूरी है, जो कोस्ट के बारे में ऑर्डर होता है दोनों पार्टी को कि 'Both the parties to share their own costs.

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

तो यह एक perverse view लिए जा रहे हैं । जी. में हैं कि अगर इजेक्टमेंट की बात मन्जूर कर लें तो कोर्ट का खर्चा नहीं लगे । मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि नहीं मंजूर करे तो कोर्ट का खर्चा नहीं लगना चाहिये ।

(११ बजकर २० मिनिट पर श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इसमें बहुत खतरनाक परिस्थिति आ सकती है । वह यह है कि हम इस बात को भूले नहीं, कि हम राजस्थान में राजस्थान के काश्तकारों के लिए यह कानून बना रहें हैं और हमें यह भी नहीं भूलना है कि भारतीय संविधान के बावजूद राजस्थान के देहातों में ऐसी परिस्थितियां आज भी मौजूद हैं । कभी कभी तो बड़ी मात्रा में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि जब तरह तरह के दबाव, तरह तरह के टेरर काश्तकार के दिमाग में पैदा किये जाते हैं, किये गये हैं । तो काश्तकारों से यह कहा जावेगा कि देखो या तो इजेक्टमेंट को मन्जूर कर लो, कबूल कर लो, नहीं तो जमीन से तो बेदखल होवेंगे ही, किन्तु इसके उपरांत इतना रुपया और तुमको देना पड़ेगा । इस प्रकार का काश्तकारों को डर दिखाया जावेगा और उनको दिखाकर लिखवा लिया जावेगा । माननीय उपाध्यक्ष, जहां हमने इस प्रकार का बन्धन काश्तकारों पर रखा है, एप्लीकेन्ट पर तो हमने किसी प्रकार का बन्धन नहीं लगाया । जिसने बेदखली को अर्जी की है If he loses his application he shall be liable to pay double costs-half to the tenant and half to the Court.

फिर ये लोग क्यों बन्धे रहें ? अगर लैन्ड होल्डर या जो कोई भी व्यक्ति इजेक्टमेंट की अर्जी करे तो उस पर यह पाबन्दी होनी चाहिये कि अगर उसकी अर्जी फेल हो गई तो उसकी कोस्ट काश्तकार को देनी होगी । जिस प्रकार काश्तकार पर यह बन्धन है, कि अगर किसान ने किसी तरह से वे बेदखल होने की बात को कबूल करा लेते हैं तो ये तेरे कोस्ट के रुपये नहीं लगेंगे, यह कहा जाता है । इस तरह से यह तो एक प्रकार का काश्तकारों को नुकसान पहुंचाने वाला इन्स्ट्रूमेंट बन जावेगा । इसी कारण से मेरा यह कहना है कि पार्ट (३.) को डिलीट कर दिया जावे और कॉस्ट का प्रश्न ;

should be decided on its own merits by the court.

इसको कोर्ट पर छोड़ दिया जावे कि अगर रीजनेबल ग्राउन्ड हो उसको कॉस्ट दिला दी जावे और अगर कोई उस बात को महसूस करे कि इस मामले को डिटरमिन करना कोई आसान बात नहीं थी, तो वे अपना अपना कॉस्ट बर्दास्त करें । ऐसा ऑर्डर कोर्ट पास करती है । जिस प्रकार दूसरे मामलों में करती है उसी प्रकार इसमें भी पास करे । अगर सूट फ्राडूलेन्ट हो तो कॉस्ट अवश्य दिलानी चाहिये । यह स्टेन्डर्ड कोर्ट का है और इसी सिद्धान्त को मद्देनजर रखते हुये मैंने यह रखा है और यही मेरा दूसरा संशोधन है कि कोई दूसरा स्टेन्डर्ड कायम नहीं किया जावे । अभी हम १३१ को

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

कम्प्लीट नहीं कर पाये हैं। इसी बीच में हम १३१ (ए) के बारे में कुछ फैसले ले रहे हैं। हो सकता है कि हम १३१ (ए) धारा को पूरी तरह से डिलीट कर दें। यह भी मुमकिन हो सकता है कि गैर खातेदार के लिए स्पेशल प्रोविजन होना चाहिये। ये सब बातें सदन के अख्तियार की बातें हैं, जैसे उन्होंने १२६ को डिलीट कर दिया उसी प्रकार १३१ को भी डिलीट कर दें। ऐसी हालत में यह १३१ ए रिडेन्डेन्ट हो जावेगा। लेकिन फिर भी चूंकि इसको सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है, इसलिए मैंने इस पर अपने विचार रखें हैं और उम्मीद करता हूँ कि प्रोत्साहन और सही बात को मानने की भावना को लेकर जो यह बात पैदा हो गई है, उसको मान कर इसको मन्जूर कर लिया जावेगा।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ में मेरे भी दो छोटे छोटे संशोधन हैं। पहली मेरी तरमीम तो यह है कि क्लॉज १३१ ए के सब क्लॉज़ (१) में लाइन २ में "an application for ejectment of a tenant" के आगे ये शब्द और बढ़ा दिये जावें "or a sub-tenant" इसकी मन्शा यह है कि यह दफा टिनेन्ट और सब टिनेन्ट दोनों को कवर कर लेगी। हालांकि टिनेन्ट की डेफिनेशन में साफ लिखा हुआ है फिर भी ज्यादा खुलासा ठीक है।

दूसरी तरमीम यह है कि "Omit the words 'section 130B or' in line 2 of sub-clause (1)."

जब क्लॉज़ 130B हमने ओमिट कर दिया है तो जैसा कि डीडवाना से आये हुए माननीय सदस्य की तरमीम पर बोलते हुए बहुत जोर से जोधपुर से आने वाले सदस्य ने उसको बहुत जोर से सपोर्ट किया था, इसलिए यह एक प्रकार से कोन्सीक्वेन्सियल तरमीम है।

तीसरी बात यह है कि जैसा अभी एक माननीय सदस्य जो जोधपुर से आये हैं उन्होंने कहा कि अगर एक टिनेन्ट आता है और कहता है कि यह मामला बिल्कुल झूठा है, मुझे कुछ नहीं देना है, और अगर वह जीत जावेगा तो उसका क्या होगा, उसको कॉस्ट दिलाई जावेगी या नहीं। उन्होंने इस सम्बन्ध में जो दलीलें दी उनमें बहुत कुछ सार प्रतीत होता है।

कुं श्री जसवन्तसिंह—Strange persons have met together.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—सही बात जब कभी कोई आदमी कहता है तो उसको नहीं मानना, यह भावना नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष, यह बात किसने कही, यह नहीं देखना है। बात किसी ने कही हो अगर वह बात रीजनेबल है और अक्ल से सही और रीज़नेबल साबित होती है तो उसको मानना चाहिये।

Page No.75

कु० श्री जसवन्तसिंह—इसके माने यह होंगे कि Circumstances have forced strange fellows to come together.

श्री कपिलदेव अग्रवाल—ऐसा आपको भ्रम हो सकता है।

श्री वेदपाल त्यागी—इसमें भ्रम की सी बात ही हो रही है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—यह तो टेक्टिक्स हैं।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—अगर आप, जो कुछ जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है उस पर सोचेंगे, तो आपको मालूम होगा कि जो बातें उन्होंने कही है वे उनके तबके के खिलाफ होते हुए भी उन्होंने उनको कही हैं। और मैं समझता हूँ कि उनकी बातों में सार है इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सब क्लॉज़ (३) है :

"On an application being made in accordance with the foregoing sub-sections. a notice shall, on payment of the prescribed fee, be served on the tenant in the prescribed manner".

उसके आगे यह और जोड़ दिया जावें informing him that if he desired to Dicops the ejectment he must contest the notice within 30 days of its being served on him."

और सब क्लॉज़ (४) को ओमिट कर दिया जावे। इससे यह होगा कि कोर्ट जिसको कॉस्ट दिलाना चाहेगी दिला देगी। दावा करते हैं और उसके बाद हार जाते हैं, तो क्या स्थिति होगी और जीत जाते हैं, तो क्या स्थिति होगी इसलिए कोर्ट जो रीजनेबल कॉस्ट समझेगी दिला देगी। इस अमेंडमेंट के बाद इसका फार्म यह होगा।

"An application for ejectment of a tenant or a sub-tenant under section 131 shall be made between the first day of July and the 30th day of September and not otherwise.

(2) Every application Under sub-section.(1) shall state the ground on which ejectmentis applied for.

(3) On an application being made in accordance with the foregoing sub-sections, a notice shall, on payment of the prescribed fee, be served on the tenant in the prescribed manner informing him that if he desires to dispute the ejectmet, he must contest the notice within 30 days of its being served on him."

और सब क्लाज़ (४) ओमिट हो जावेगा।

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

इसलिए मैं यह अर्ज करता हूं कि इसमें जो भावनाएं आपने बताई हैं, और सवाई माधोपुर से आने वालों ने बताई है वे सब स्पष्ट हो जाती हैं। मैं आशा करता हूँ कि माननीय उपाध्यक्ष, इसको पास करेंगे।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, अभी जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उसकी कापी हमारे सामने नहीं है लेकिन जहां तक सुन पाया हूं उस पर अपनी सम्मति जाहिर करना आवश्यक समझता हूं।

लेकिन एक शब्द के लिए जरूर निवेदन करना चाहता हूँ और वह उन्होंने सबसे पहले संशोधन के जरिये निवेदन किया है कि जहां पर 'टिनेन्ट' शब्द है उसके आगे 'सब टिनेन्ट' शब्द और जोड़ दिये जांय। मैं इस बात को अभी तक मानने के लिए असमर्थ हूं कि जब हमने एक टिनेन्ट की परिभाषा दे रखी है और उसमें खास तौर पर सब-टिनेन्ट इन्क्ल्युड होते हैं फिर कोई वजह मालूम नहीं होती है कि टिनेन्ट शब्द के साथ और 'सब-टिनेन्ट' शब्द जोड़ दिये जांय। अगर यहां 'सब-टिनेन्ट' शब्द एड किये गये तो दूसरी मिसअन्डरस्टेन्डिंग्स क्रियेट हो सकती हैं और वह मिसअन्डरस्टेन्डिंग्स यह हो सकती हैं कि फिर उसमें से 'गैर खातेदार' को क्यों एक्सक्लयूड करेंगे जब कि हम यहां पर 'सब-टिनेन्ट' शब्द 'टिनेन्ट के आगे जोड़ने के लिए कह रहे हैं? वैसे 'टिनेन्ट' शब्द 'सब-टिनेन्ट' शब्द को भी इनक्ल्यूड करता है और दूसरों का भी उसमें समावेश हो सकता है। उनका यह आशय हो सकता है कि धारा १३१ में गैर खातेदार और उन आदमियों का नाम आया है इसलिये 'टिनेन्ट' शब्द को रखना होगा। उनको यह शंका थी कि शायद इसमें से 'सब-टिनेन्ट, शब्द निकल सकता है और १३१ क्लॉज़ का प्रोविजन 'सब-टिनेन्ट' पर लागू न हो।

अगर 'टिनेन्ट' शब्द के साथ 'सब-टिनेन्ट' शब्द जोड़ा जाता है तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर टिनेन्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? हम तो समझते हैं कि 'टिनेन्ट' शब्द से 'सब-टिनेन्ट' का भी अर्थ निकलता है और उसको इस क्लॉज़ में नहीं रखने से कोई असर नहीं पड़ने वाला है, और उसका अर्थ भी वही होगा जो कि 'सब-टिनेन्ट' शब्द को जोड़ने से होगा। मैं इसके साथ साथ यह भी निवेदन करूं कि कानून में ऐसे शब्द जरूरत के माफिक न समझते हुए भी रखना चाहते हैं, केवल शंकाओं को दूर करने के लिए, तो मैं समझता हूँ, वह उचित नहीं होगा। हम कानून में लेम्जिटी लाना चाहते हैं। यह कानून की क्लॉज़ें आज के बाद अमल में आयेंगी। इन पर डिसीजन्स होंगे और इस प्रकार से कई उलझनें आवेंगी, एक बेकार का शब्द आपकी शंकाओं को निमूल करने के लिए एड करेंगे तो उससे अनर्थ हो जायगा। आप यहां 'टिनेन्ट' शब्द को रखना चाहते हैं और उसके आगे सब-टिनेन्ट को और एड करना चाहते हैं और उसके बाद जो दूसरे प्रकार के टिनेन्ट हैं वे भी रहने चाहिए जैसे कि 'गैर खातेदार टिनेन्ट'। अतः मैं आवश्यक समझता हूँ कि जो मूल क्लॉज़ में शब्द हैं, वे ही रखे जाने चाहिए और 'सब-टिनेन्ट' के लिए जो संशोधन मेरे से पूर्व वक्ता ने रखा है उसको मंजूर नहीं किया जाना चाहिए।

श्री वेदपाल त्यागी—माननीय उपाध्यक्षजी, क्लॉज़ १३१ (ए) में जो संशोधन नीम के थाने से आनेवाले माननीय सदस्य ने रखे हैं उनसे मैं इत्तिफाक नहीं करता हूँ। कारण यह है कि जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने बताया कि 'टिनेन्ट' शब्द में सभी तरह के 'टिनेन्ट्स' का समावेश हो जाता है। यदि उसमें 'सब-टिनेन्ट' और जोड़ दिया जाय तो जैसे 'गैर खातेदार टिनेन्ट्स' वगैरा की समस्या पैदा हो जायगी। इसलिये सब टिनेन्ट शब्द को यहां जोड़ना जरूरी नहीं है।

जो संशोधन जोधपुर से आये हुए माननीय सदस्य ने सब सेक्शन ४ के सब क्लॉज़ (बी) को डिलीट करने के बारे में किया है उससे भी मैं इत्तिफाक नहीं रखता हूं। उसका कारण यह है कि बो कॉस्ट दिलाने का सिद्धान्त है और जिस आधार पर कचहरियों में आज तक निर्णय देते आये हैं वह यह है, कि जो व्यक्ति कोर्ट में जाता है उसके केसेज़ को सेटल किया जाता है दूसरी पार्टीज़ के कॉस्ट से। अदालत जो केस मंजूर करती है उसकी कॉस्ट दूसरे पर डालती है। अतः यह उप क्लॉज़ जरूरी है और कानून काश्तकारों की रक्षा करने के लिये है। अगर आप इसको उड़ा देंगे, चाहे ऐसे केसेज़ रेयरली हों, तो कोई काश्तकार आकर कहता है कि मैंने उसकी होल्डिंग पर कब्जा कर रखा है, उसका कब्जा उस पर होना चाहिये तो वैसी सूरत में प्रोविजन रखा गया है कि अगर उसका इजेक्टमेन्ट किया जाता है तो उस पर कॉस्ट न डाली जाय। अगर इसको उड़ा देंगे तो उस इमानदार आदमी को इजेक्ट तो कर दिया जायगा किन्तु बेजा तरीके से कब्जा रखने की वजह से उनको कॉस्ट भी देना पड़ेगा। इसलिये बी ऑफ सब सेक्शन ४ ऑफ सेक्शन १३१ (ए) कायम करना चाहिए।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्षजी, अभी एक तरमीम नीम के थाने से आये हुए माननीय सदस्य ने रखी, कि सब क्लॉज़ (१) के अन्दर 'टिनेन्ट' के आगे 'सब टिनेन्ट' शब्द और बढ़ा दिये जायें और १३१ के सब क्लॉज़ ४ के सब सेक्शन बी को डिलीट कर दिया जाय। यह डिलीट करने के बाद में १३० (बी) का सम्बन्ध १३१ से रहता है। किसी से नहीं रहता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें 'टिनेन्ट' शब्द को उड़ा दिया जाय, और यह रखा जाय कि "An application for ejectment of a Ghair Khatedar of sub-tenant" जैसा कि दिया हुआ है क्लॉज़ १३१ के अन्दर कि "Addititional provision foi ejecement of a Ghair Khatedar or sub-tenant. (1) An application for ejectment of a Ghair Khatedar tenant or a sub-tenant under section 131 shall be made between the first day... १३१ में दिया हुआ है कि इजेक्टमेंट हुआ, और उसके अलावा उसको फोर्स में लाने के लिये प्रोसिजर दिया हुआ है। 'टिनेन्ट' और 'सब टिनेन्ट' के रहने से वास्तविक संशय रहता है, और उससे आगे गड़बड़ी पैदा हो सकती है, और कानून के जानने वाले इन्टरप्रिटेशन अलग अलग कर सकते हैं। १३१ के लिए प्रोसिजर दिया हुआ है। इजेक्ट करने के लिए गैर खातेदार टिनेन्ट और "सब टिनेन्ट" जैसा कि उसमें दिया हुआ है कि जिसको इजेक्ट करना है तो क्लॉज़ १३१ ए (1) के माफिक An application for ejectment of a Ghair Khatedar tenant or a sub-tenant under section 131 shall be made between the first day of July and the 30th day of Sep-tember and not otherwise.' जिसके अन्दर नीम के थाने से आये हुए सदस्य ने जो तरमीम रखी है उसके ऊपर मेरी यह तरमीम है कि गैर खातेदार...

श्री जवानसिंह—नीम के थाने से आये हुए सदस्य पर कोई तरमीम नहीं हो सकती है।

(हंसी)

श्री मोतीलाल चौधरी—नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य की तरमीम के ऊपर मेरी जो तरमीम है वह इस तरह से रहेगी कि :

"An application for ejectment of a Ghair Khatedar tenant a tenant or a sub-tenant under section 131..." 'ए और टिनेन्ट' के बीच में 'गैर खातेदार' रहना चाहिए और उसके बाद 'और ए सब टिनेन्ट' रहना चाहिए, 'और ए सब टिनेन्ट' अन्डर क्लॉज़ १३१ इस तरह से रहना चाहिए। यह साफ है कि इस सेक्शन के द्वारा उस इजेक्टमेन्ट के प्रोसिजर को फुलफिल करे, जो कि १३१ के अन्दर रहेगा। यहां दूसरे से कोई सम्बन्ध नहीं है। वही 'सब टिनेन्ट' रहेगा जो कि १३१ में दिया है। वैसे दुनिया में सब टिनेन्ट 'बहुत बैठे हैं और' गैरखातेदार भी बहुत बैठे है।

मेरे ख्याल से यह साफ है कि माननीय मंत्रीजी ने ध्यान इस पर दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो बतायें। पहले सब क्लॉज़ (१) है उसके अन्दर यह है कि "An application for ejectment of a tenant" उसकी जगह ऑफ ए टिनेन्ट ' की जगह, गैर खातेदार टिनेन्ट, ए टिनेन्ट और ए की जरूरत इसलिए है कि :

Additional provision for ejectment of Ghair Khatedar or sub-tenant के लिये है and for none others. इसमें प्रोविजन है कि १३१ के मातहत इजेक्ट करेगा। जिसको १३१ के मातहत इजेक्ट कर रहे हैं वह कौन है तो वह उसकी बोडी में दिया हुआ है

श्री मोतीलाल चौधरी—ये शब्द रखे जाने चाहिये, बाकी के नहीं:

"An application for ejectment of a Ghair khatedar tenant or a tenant of a sub—tenant under section 131...... "

श्री हरिकृष्ण व्यास—I have . a suggestion to offer. Why repeat the words of clause 131. Say, 'an application for ejectment under setion 131," that is all.

यह टिनेन्ट, सब टिनेन्ट, गैर खातेदार, ये सब हट जायेंगे.

मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अमेन्डमेन्ट टिनेन्ट, शब्द के बाद सब टिनेन्ट शब्द एड करने के लिये रखा है

[मेजर आपजी श्री रघुराजसिंह]

मैं उसका विरोध करता हूँ। इसका कारण यह है कि टिनेन्ट की जो डेफिनेशन दी हुई है उसमें सब टिनेन्ट गैर खातेदार आदि सब का.......

श्री कपिलदेव अग्रवाल—मैं अपने अमेन्डमेन्ट को वापिस ले रहा हूँ।

श्री आपजी श्री रघुराजसिंह—तो ऐसी हालत में मुझे कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, जो सुझाव जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया है मैं उससे पूर्ण रुप से सहमत हूँ और उसको स्वीकार करता हूँ "An application of ejectment under section 131 shall be made..."होकर ये शब्द हट जाने चाहिये "of a tenant under section 130B or that will cover up the objections of everybody. तो यह सबक्लॉज़ इस प्रकार हो जायगा: "An application for ejectment under section 131 shall be made between the first day of July and the 30th day of September and not otherwise.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय उपाध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि जो अलग अलग तरमीमें पेश की गई हैं उन पर बहस चल रही है लेकिन 'टिनेन्ट' और 'सब टिनेन्ट' शब्द रखने के बारे में जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य, जो आज अच्छे सुझाव देने पर उतारू हैं, मैं उसको उचित समझता हूँ और सदन से निवेदन करता हूँ कि उसे मान लिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास—समझने की मनोवृत्ति में फर्क है, मेरे सुझाव तो हमेशा ही अच्छे होते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—(अपना भाषण जारी रखते हुए) इस संशोधन को इनकोर्पोरेट करने के बाद नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है, जिसके अनुसार चौथा सब क्लॉज़ का ए. बी. डिलीट होकर फर्स्ट के सब सेक्शन में जो शब्द जोड़े गये हैं '30 days will इन शब्दों को जोड़कर के जो संशोधन पेश किया गया है वह मुझे स्वीकार है। इसके अलावा ६० दिन का संशोधन है वह मैं उचित नही समझता। ६० रोज के नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं, ३० रोज का नोटिस ही काफी है। इसलिए नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन रखा है सदन उसे स्वीकार कर लेगा। वह मुझे भी स्वीकृत है।

श्री हरिकृष्ण व्यास—परम्पराओं का स्वागत करते हुए मैं ६० दिन के अपने संशोधन को वापिस लेता हूँ।

श्री मथुरादास माथुर—भविष्य में भी आप इस प्रकार की परम्पराओं का ध्यान रखेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना संशोधन वापिस लेना चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि श्री एच. के. व्यास को अपने संशोधन वापिस लेने दिया जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री हरिकृष्ण व्यास—मैं अपना संशोधन वापिस लेता हूँ।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय उपाध्यक्षजी, नीम के थाने से आने वाले माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार किया, उससे मेरा मकसद पूरा हो जाता है इसलिए मैं अपने संशोधन को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—फॉर्मेली आपका संशोधन मूव ही नहीं हुआ था।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री कपिलदेवजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

श्री कपिलदेव अग्रवाल का संशोधन स्वीकृत किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १३१ ए संशोधित रूप से स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १३१ ए संशोधित रूप से स्वीकार किया गया।

(विराम)

क्लॉज़ १३१ बी, श्री अग्रवाल।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—माननीय उपाध्यक्ष, क्लॉज़ १३१ बी पर मैं कुछ संशोधन मूव करना चाहता हूँ जो निम्न प्रकार हैं :

"Subsitite the words 'Assistant Collector' for the words 'Sub-Divisional Officer'."

[श्री कपिलदेव अग्रवाल]

राजस्थान में सब डिवीजनल आफिसर और असिस्टेंट कलेक्टर करीब बराबर के ही अधिकारी हैं। ऐसा भी है कि कहीं एस. डी. ओ. है, तो कहीं असिस्टेंट कलेक्टर। इसलिए असिस्टेन्ट कलेक्टर को भी ऐसे ही अधिकार देने की शुरू से हमारी यह धारणा रही है कि सब डिवीज़नल ऑफिसर को इन्क्ल्यूड किया जाय असिस्टेन्ट कलेक्टर में। यह तरमीम इसीलिए रखी गई है। असिस्टेन्ट कलेक्टर को भी वही अधिकार मिले।

दूसरा मेरा सुझाव यह है;

"In sub-section (4) the following proviso shall be added:-

"Provided that in the event of the application having been made by the Tehsildar in respect of land held directly from the State Government, no court fee shall be payable."

ओरीजनल क्लॉज़ यह था:

"In such case the application shall on payment of the proper court fee be deemed to be plaint and the case shall proceed as a suit."

तो जैसा कि हम सभी क्लॉज़ेज़ में करते आये है, गवर्नमेंट की लैंड्स जो हैं, उनमें टिनेन्ट एप्लीकेशन देता है। इसके अन्दर कोर्ट फीस देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चूंकि इसमें प्रोविजो नहीं था इसको स्पेसिफाई करने के लिए यह प्रोविजो कर दिया जाय;

After sub-clsuse (4) insert the foliowing:—

"(5) To decretal order for ejectment passed under this section the provisions of section (1) of 130 shall apply."यह सब क्लॉज़ (५) होगा।

क्लॉज़ १३० में ये प्रोविजन्स हैं डिक्री होने के, सूट होने के लिए। इसमें यह प्रोविज़ो एड किया जाय। जिस प्रकार क्लॉज १३० में डिक्रियां exclude होती हैं तो इसलिए मैं यह समझता हूँ, कि यह जो तरमीम है वह कोई सैद्धान्तिक तरमीम नहीं है, बल्कि यह कोन्सिक्वेंसियल है। यह जो क्लॉज़ है उसको क्लेरिफाई करने के लिये यह प्रोविजन रखा गया है आशा है सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जिस प्रकार यह कहा कि ये संशोधन कोन्सिक्वेन्सियल हैं इन बातों में मेरे अमेंडमेंट को स्वीकार करने के बाद जो कोन्सिक्वेन्सियल

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

अमेंडमेंट पैदा हुआ उसको मूव करना भूल गये। क्लॉज़ १३१ बी के सब क्लॉज़ (१) के आखिर में :

"...Shall pass an order for ejectment but he shall not be liable for any costs.''

कॉस्ट के सिलसिले में जब आपने सब क्लॉज़ (४) को डिलीट कर दिया तो कॉस्ट का जो यह सेक्शन है वह यहां से हटा दिया जाना चाहिये।

दूसरा मेरा संशोधन यह है कि :

"Sub-clause (2). between the word 'tenant' and 'does'. insert the following;—

"After proper service of notice on him.'

आप सब-क्लॉज़ (२) को देखें तो वह यह कहता है कि ;

''If the tenant does not appear within the period prescribed by such notice the court shall pass an order for his ejectment."

यह एक मेन्डेटरी सा प्रोविजन है कि वह न आवे तो "Court shall pass an order for his ejectment,"

ऐसा सेकिंड प्रोविजन अगर आप रखते हैं तो only in cases where a notice has been served on him. जो पहले आपने नोटिस के बारे में कन्डीशन्स रक्खी हैं, वे रक्खी हैं : 'in the prescribed manner' or in the prescirbed way' और उन 'प्रेस्क्राब्ड मेनर ऑर वे' में यह भी आ सकता है कि मकान में अगर न मिले, तो मकान के बाहर चार आदमियों के सामने चस्पा कर दें। तो जब तक नोटिस उसको पर्सनली सर्व हो तब तक क्लॉज़ २ का राइट नहीं मिलना चाहिये। यह इसका तात्पर्य होता है और सब क्लॉज़ (२) जैसे एब्सोल्यूट राइट जिसमें हो कि अगर नोटिस चस्पा हो जावे पर काश्तकार न आवे, तो इकतरफा फैसला दे दिया जावे। तो ऐसी हालत में फिर वह काश्तकार तो मर गया। आपने तो सिर्फ यह रखा है : "The Court shall pass an order for ejectment. होना यह चाहिये :"The Court, after such enquiry as it may deem fit..." वह भी पेशी आपने नहीं रक्खी है। इसलिए नोटिस के बारे में तो बिलकुल सख्त रेस्ट्रिक्शन रखनी चाहिये। यह मेरे दूसरे संशोधन का मतलब है।

और तीसरा यह है कि "Add a proviso at the end of the sub-clause :

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

"Provided that if the tenant appears after expiry of the notice and shows sufficient cause for his nonappearance, the Court, or in case of the order having been forwarded to the S.D.O. who shall now be called Assistant Collector, the S.D.O. shall proceed with the case de-novo."

इसका मतलब हिन्दी में यह है कि यदि मियाद बीत गई और इसके बाद टिनेन्ट आया और उसने स्पष्ट चीज बताई कि वह क्यों नहीं मियाद में आया तो ऐसी हालत में या तो वह कोर्ट के सामने पहुंच गया है, तो वह रेवेन्यू कोर्ट और अगर उसने प्रोसीडिंग्स फोर्वर्ड कर दी है टू दी असिस्टेन्ट कलेक्टर को, तो जिसके पास वह मामला है वहां उसके द्वारा स्पष्ट चीज़ बताने पर "he shall proceed with the case de-novo." यह प्रोविजन आपने पहले जो क्लॉज़ेज़ हैं, यानि जो क्लॉजेज़ पास हो चुके हैं और अब जो क्लॉज़ेज़ बन गये हैं उनमें भी यह रखा है और उसमें इस तरह के राइट्स दिये हैं कि अगर वक्त बीत जाने पर आवे और स्पष्ट चीज़ बता दे तो इस तरह के अधिकार मिलेंगे, मसलन क्लॉज़ १२५ में।

मैं आपका ध्यान क्लॉज़ १२५ की ओर दिलाना चाहूँगा जिसमें टिनेट्न्स के क्लेम पर कम्पेन्सेशन की बात है, इसकी तहत कुछ प्रोविजन दिया गया है, और इसका जो प्रोविजो है वह मैं पढ़ कर सुना देता हूँ। वह इस प्रकार है;

"Tenants" claim for compensation on appearance: —

(1) Notwithstanding anything...

Provided that, if the tenant appears after the expiry of the period specified in the notice and satisfies the Tehsildar either that the notice was not served on him or that he had sufficient cause for non-appearance within such time the Tehsildar shall entertain the claim made by the tenant forcompensation."

तो जिसे कम्पेन्सेशन के निस्बत हमने यह प्रोविजन रक्खा है वैसा ही इजेक्टमेंट के निस्बत भी इस प्रकार का प्रोविजन रक्खा जाना चाहिये और मैंने इसके बारे में शब्द करीब करीब क्लॉज़ १२५ से ही कापी करके यहां रखने की कोशिश की है। तो ये मेरे तीन संशोधन स्वीकार कर लिए जायेंगे।

श्री भैरूंसिंह (१६)—टाइम हो गया है साहब।

श्री मोतीलाल चौधरी—माननीय अध्यक्ष,

श्री कपिलदेव अग्रवाल—समय हो गया साहब।

श्री उपाध्यक्ष—एक हॉफ एन ऑवर डिस्कशन के लिए प्रस्ताव है। लेकिन वह श्रीदास गोयल की तरफ से है और वे उपस्थित नहीं जान पड़ते हैं।

(विराम)

बहस उठाने वाले मौजूद नहीं है

श्री कपिलदेव अग्रवाल—There are other signatories also to that.

श्री जवानसिंह—कुछ ऐसा शक सा मालूम होता है कि जानबूझ कर नो उन्हें रवाना नहीं कर दिया गया है।

एक माननीय सदस्य—भगा दिये गये मालूम पड़ता है।

श्री कुम्भाराम आर्य—मैं भी उन्हीं की इन्तजार में बैठा हूँ।

श्री जवानसिंह—तो यह तो रूप दूसरा है।

दूसरे सिग्नेटरीज़ भी तो हैं।

श्री हरिकृष्ण व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरे सिग्नेटरीज़ भी शुरू कर सकते हैं। ऐसी क्या बात है! एक अगर गैर हाजिर हैं तो दूसरा कर सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—जिन्होंने नोटिस दिया वे खुद मौजूद नहीं हैं इसलिए ड्रॉप किया जावे हॉफ एन आवर डिस्कसन के लिए वे प्रस्तुत नहीं हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—क्वेश्चन का नोटिस दिया जिन्होंने वे भी पूछ सकते हैं One who had put the question, he can also be allowed to make move.

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—तो क्या पुलिस को रिपोर्ट की जावे कि जहां कहीं हों वे बुलाये जावें। कहीं एक्सीडेन्ट तो नहीं हो गया है।

श्री कपिलदेव अग्रवाल—दूसरे सिग्नेटरीज़ हैं उन्हें कहा जावे।

I have signed that. If I am permitted to speak, I am prepared to speak,

श्री उपाध्यक्ष—नियम की तहत जो मूव करता है वह इसे शुरू कर सकता है।

Page No.85

एक माननीय सदस्य—रिद्धिचन्दजी बोल रहे हैं।

(श्री रिद्धिचन्द पालीवाल बोलने के लिए खड़े होकर बैठ गये)

श्री कपिलदेव अग्रवाल—दस्तखत तो सब के बराबर हैं। यह नहीं चलता कि मूव किसने किया ?

हॉफ एन ऑवर डिसकशन के लिए १० आदमियों ने दस्तखत किये हैं। फिर कैसे माना जाय कि उन्होंने ही मूव किया है, सब ने किया है। आप उन्हें ही प्रायोरिटी क्यों देते हैं कि उन्होंने मूव किया है, हमारे भी दस्तखत हैं। समझ लीजिये कि हमने ही मव किया है।

श्री कंवरलाल जेलिया—इन १० हस्ताक्षर करने वालों का मतलब यह नहीं कि.......

श्री हरिकृष्ण व्यास—अगर सदन की यह इच्छा है और आपके अख्तियार में है तो इजाजत दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री सचिव से परामर्श के उपरान्त) सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। फिर कल मिलेंगे। (हंसी)

(सदन की कार्यवाही १२, ०३ बजे, कल बृहस्पतिवार, दिनांक २३ सितम्बर, १९५४, के ८. ०० बजे प्रातः तक के लिए स्थगित हुई।)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक २२ सितम्बर, १९५४

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट

(अतारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सदन की मेज पर रखे गये)

प्रश्न

१. (३६६ । एफ. एम.) श्री चांदमल मेहता एम .एल. ए., विभाजन संख्या (८७)—क्या विधि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) किशनगढ़ सब डिविजन में पिछले ५ वर्षों में किस २ साल में कितने कितने मुकदमे सेशन्स कोर्ट के सुपुर्द किये गये ?

(ख) उक्त मुकदमों में किस २ साल में कितने २ मुकदमों में कितने व्यक्तियों को सजा हुई ?

(ग) कितने मुकदमे किस २ साल में खारिज किये गये ?

उत्तर

क. सन् १९४९ से सन् १९५३ तक पांच वर्षों में अतिरिक्त सेशन्स कोर्ट, किशनगढ़ के न्यायालय में जो अभियोग सैशन सुपुर्द किये गये वे इस प्रकार है:

क्रमांक	वर्ष	मुकदमों की संख्या
१	१९४९	६
२	१९५०	५
३	१९५१	१३
४	१९५२	३
५	१९५३	५

(ख) अभियोगों की संख्या जिनमें सजा की आज्ञा प्रदान की गई और अभियुक्तों की सजा उनकी हुई संख्या इस प्रकार है:

क्रमांक	वर्ष	मुकदमों की संख्या जिसमें सजा की आज्ञा दी गई	अभियुक्तों की संख्यां जिनको दंड दिया गया
१	१९४६	३	४
२	१९५०	०	०
३	१९५१	१	१
४	१९५२	३	१२
५	१९५३	६	८

(ग)अभियोगों की संख्या जो खारिज किये गये अर्थात् जिनमें अपराधी रिहा या बरी किये गये अथवा अभियोग अन्यथा निर्णीत हुए, इस प्रकार है:

क्रमांक	वर्ष	मुकदमों की संख्या
१	१९४९	१
२	१९५०	४
३	१९५१	१५
४	१९५२	१
५	१९५३	३